खण्ड-251, अंक-7
सोमवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1886
(24 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४६७–४७०
प्रश्नोत्तर	४७०–५००
उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४ (मेज पर रखा गया) ..	५००
कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन में की गई सरकार की आलोचना पर मुख्य मन्त्री के 'नेशनल हेरल्ड' में छपे वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	५००–५०२
१९ अगस्त, १९६४ को सदन में प्रयुक्त अश्लील वाक्यों के सम्बन्ध में श्री मुलतान सिंह का पत्र	५०२–५०३
इंडियन मिलिटरी एकेडेमी देहरादून के समीप चीनी तथा देशी कारतूस मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (अनुज्ञा नहीं दी गई)	५०३
सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम	५०३–५०४
निलम्बित सदस्यों द्वारा सदन की समितियों में भाग न लेने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	५०४–५०६
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (सहकारिता मन्त्री के प्रस्ताव पर कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय—विचार जारी)	५०६–५४४
श्री विजयपालसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	५४४
प्रदेश की खाद्य स्थिति पर साप्ताहिक वक्तव्य	५४४–५५१
नत्थियां	५५२–५६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—२५३

अभयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुरंहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० आइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णानन्द राय, श्री
कदारनाथ भार्गव, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह मदौरिया, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
मंगल, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरासिंह, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री

बूलचन्द शास्त्री, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कँवर, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती

सेवाराम, श्री	हरीसिंह, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री	हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हमीद खां, श्री	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हरिगैनराम, श्री	होतीलाल अग्रवाल, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री	

नोट—शिक्षा मन्त्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा गृह मन्त्री श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ अगस्त, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बोर्ड के परीक्षा शुल्क में वृद्धि

**१—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने हाई स्कूल तथा इन्टर मीडिएट परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क १९६५ की परीक्षा के लिए बढ़ा दिया है? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी हां।

परीक्षा शुल्क की वर्तमान दरें १९२३ में ४२ वर्ष पूर्व निर्धारित हुई थीं। तब से कागज एवं स्टेशनरी के मूल्य तथा छपाई, डाक व्यय एवं रेल भाड़े की दरों आदि में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण बोर्ड का प्रासंगिक व्यय बहुत बढ़ गया। इस बढ़े हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क १९६५ की परीक्षा शुल्क से ५ रुपया बढ़ा दिया गया है।

गोंडा में दुकानों पर हुल्लड़

**२—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि १५ अगस्त को गोंडा जिले के कई बाजारों पर बहुत भीड़ ने छोटे-छोटे दूकानों तथा सोनचा वाले, फलवाले लोगों को लूट लिया? यदि हां, तो कितने धन की हानि हुई और लूटने वालों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

गोंडा स्टेशन पर एक घटना हुई जिसमें कुछ लड़कों ने दुकानदारों से लगभग १५ रु० का सामान लिया और बिना कीमत चुकाए हुल्लड़ करके भाग गए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य घटना १५-८-६४ को गोंडा जिले में होने की सूचना नहीं है। उक्त घटना में चूंकि लड़के भाग गये थे, और उनका पता नहीं चला, अतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में भर्ती होने के लिये आयु में छूट

**३—श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस वर्ष पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में भर्ती होने हेतु पिछड़ी तथा परिगणित जाति के उम्मीदवारों को उम्र में जो रियायत दी जाती थी वह नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मुख्य मन्त्री के समा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

पुलिस ट्रेनिंग कालेज में भर्ती होने के लिए परिगणित जाति के उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली छूट इस वर्ष भी दी जा रही है। जहां तक पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों का प्रश्न है उनको यह छूट १९६३ के सत्र से समाप्त कर दी गई है, क्योंकि यह सरकार की सामान्य नीति के विरुद्ध थी।

**४—श्री शिवराजसिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त चुनाव में War services के आधार पर भी सरकार कोई रियायत देने जा रही है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां।

श्री शिवराजसिंह—

वह कौन से आधार थे और कारण थे जिनकी वजह से सन् ६२ के सत्र तक यह छूट दी जाती थी?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस समय तो यह कारण मेरे पास नहीं है कि क्यों सन् ६२ के बाद इसको बन्द कर दिया गया।

श्री शिवराजसिंह—

श्रीमन्, संविधान के आर्टिकिल १५ (४) में यह स्पष्ट लिखा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ यह विशेष सुविधा दी जायेगी, क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, यह रिजर्व सीटों तथा परिगणित जाति के लोगों के लिए है और सरकार की नीति यह है कि जब भी इनका चुनाव हो तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाय और हर वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व हो जाय।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि बकवड क्लासेज की तादाद बहुत कम है, इस सुविधा को पुनः देने पर विचार करेगी?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह सब चुनाव कमेटी करती है और उनको यह हिदायत है कि उनका उचित प्रतिनिधित्व रहे।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अब तक पुलिस ट्रेनिंग में हरिजनों के लिए आयु में जो छूट दी जाती थी वह नहीं दी गई है। तो क्या जिन पुलिस अधिकारियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कोई ऐक्शन सरकार लेगी?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

परिगणित जाति के लोगों के लिए तो ५ साल की छूट है ही।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

प्रश्न नं० ४ के उत्तर में जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है "जी हां", तो मैं जानना चाहता हूं कि वार सर्विसेज को क्यों नहीं इनक्लूड किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

वार सर्विसेज को कुछ समय तक तो इन्क्लूड किया गया, लेकिन चूंकि द्वितीय महायुद्ध को बीते १८ वर्ष हो चुके हैं इसलिए अब उस रियायत को खासकर पुलिस विभाग में देना उचित नहीं समझा गया ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जातियों की परिभाषा कुछ जातियों के आधार पर की गई है या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को आधार माना गया है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरे पास तो अभी इस बात की सूचना है नहीं। गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ बनाया है, लेकिन मेरे पास वह सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री शिवराजसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पुलिस ट्रेनिंग कालेज में भर्ती केवल इन्टरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाती है, और उसमें फिजिकल टेस्ट और रिटेन एग्जामिनेशन के मार्क्स को शामिल नहीं किया जाता है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

दोनों को ही देखकर किया जाता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न]

खाद्यान्नों का निर्यात

*१—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६४ से ३० जून, १९६४ के बीच कब-कब गेहूं, चावल, चना तथा अन्य प्रकार के गल्ले को इस प्रान्त से बाहर भेजने का परमिट दिया गया और इस प्रकार कितना टन गल्ला अलग-अलग प्रान्त से बाहर गया ?

प्रदेश से बाहर जाने का परमिट प्रान्त से मिला या केन्द्र से ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

जनवरी, ६४ से ३० जून सन् १९६४ तक कुल ५५० टन चावल तथा १.८६ क्विंटल गेहूं के निर्यात परमिट दिए गए। यह परमिट राजकीय सरकार एवं रीजनल फूड कन्ट्रोलरों ने जनवरी से जून तक दिए। अन्य किसी गल्ले के परमिट नहीं दिए गए। रीजनल फूड कन्ट्रोलरों ने परमिट मार्च, १९६४ तक दिए।

*२—श्री रामलखन वकील (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त परमिट व्यापारियों को दिये गये या किसानों को या अन्य किसी को और उसका आधार क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपरोक्त चावल के परमिट निजी प्रयोग के लिए तथा कुछ व्यापारियों को भी दिए गए जिनके हाथ सरकारी चावल का पुराना स्टाक बेचा गया था।

गेहूं का एक परमिट निजी प्रयोग के लिए दिया गया।

दुद्धी क्षेत्र में खाद्यान्न व्यवस्था

*३—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दुद्धी, मिर्जापुर के इन्टीरियर तथा पुनर्वास क्षेत्रों में स्थित चपकी, म्योरपुर, कोटा गोदामों में गल्ला न पहुंचने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है? यदि हां, तो सरकार उस के सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही कर रही है?

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

क्या माननीय सदस्य ने उक्त स्थानों के विषय में जो सूचना दी थी उस के आधार पर (१)दुद्धी, (२) विन्ढमगंज,(३)म्योरपुर,(४)तुर्रा में खाद्यान्न भण्डार खोले जा चुके हैं।

श्री राम प्यारे—

क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, कि जो मेरी सूचना थी, और जो उनका उत्तर है उस म कोई सामंजस्य नहीं है, मेरा प्रश्न था इन्टीरियर तथा पुनर्वास क्षेत्रों में स्थित चपकी, म्योरपुर तथा कोटा के बारे में जिसमें म्योरपुर का तो नाम है, लेकिन में चाहता हूं कि चपकी में जो कि बिलकुल इन्टीरियर में है, जहां कोई आने जाने का साधन नहीं है, वहां सरकार कोई गोदाम खोलने का विचार करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहां की समिति के साथ विचार-विमर्श कर के जो नाम भेजा है वह मैंने बताया। अब आप का जो विचार है उसको मैं वहां भेज दूंगा। उसके ऊपर वह विचार कर लेंगे।

श्री रामप्यारे—

क्या सरकार ने जुलाई में ही इन स्थानों पर गोदाम खोलने के लिए आदेश दिये हैं, लेकिन वहां के जिलाधीश या दूसरे जिलाधिकारी गल्ला वहां पर नहीं भेज रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, आदेश दिया था कि पिछड़े क्षेत्रों में खोल दिये जायं और उन्होंने इन-इन स्थानों पर बताया कि वहां पर खोल दिये जायं। अब आप और स्थानों को बता रहे हैं तो उसके विषय में भी उनको लिख देंगे।

श्री रामप्यारे—

यह देखते हुए कि वह क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है और १९५८ में सरकार ने सरकारी स्तर पर वहां दूकानें खोल रखी थीं, क्या माननीय मन्त्री महोदय वहां की बैकवर्डनेस को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि वहां पर रिटेलर भी नहीं मिलते हैं, वहां सरकारी स्तर पर दूकान खोलने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोदाम तो सरकारी होगा, लेकिन दूकानें नहीं होंगी। उस के लिए माननीय सदस्य प्रयत्न करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस में सहायता करेंग।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अन्न संकट प्रदर्शन

*४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, class III, IV ने दिनांक २९ जुलाई, १९६४ को विधान भवन के सामने वर्तमान अन्न संकट के बारे में प्रदर्शन किया था तथा कोई मेमोरेन्डम सरकार को दिया है? यदि हां, तो उन की मांगें क्या थीं तथा सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। उल्लिखित प्रदर्शन तो किया था, परन्तु उस दिन कोई मेमोरेन्डम सरकार को नहीं दिया गया। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

कानपुर में सीमेंट में मिट्टी मिलाने की जांच

*१--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या खाद्य मन्त्री को कोई ऐसी सूचना है कि कानपुर शहर में जैसा कि "आज" हिन्दी दैनिक के पूर्वांचल की प्रति में दिनांक ९ जून, सन् १९६४ के पृष्ठ २ पर कानपुर की चिट्ठी में छपा है, "आटा की चक्कियों में मिट्टी को पीस कर सीमेंट की बोरियों में भर कर बेचा जा रहा है तथा इस में वहां के पूर्ति विभाग के बड़े अधिकारियों का भी हाथ है"? यदि हां, तो इसकी जांच सी० आई० डी० से करा कर सरकार एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी हां। हिन्दी दैनिक "आज" में जो कानपुर की चिट्ठी छपी है उस की सूचना सरकार के पास है। पुलिस को इस बात का पता लगाने के लिए कि यह बात कहां तक सत्य है और यदि सत्य है तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या उनको पुलिस या सी० आई० डी० की तरफ से कोई इन्टेरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

अभी रिसेन्टली ही ये आर्डर विभाग की तरफ से गये हैं। इस से पहले विभाग की तरफ से जांच की गयी थी, उन्होंने इन्कार कर दिया, इसलिए पुलिस को आर्डर्स दिये गये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्रीजी को ज्ञात है कि रात के १० बजे के बाद उन आटा चक्कियों पर, जिन पर मिट्टी पीसने की मशीन अलग से लगायी गयी है, ३ हजार मिट्टी के बोरे पीस कर ६ हजार सीमेंट के बैग्स तैयार किये जाते हैं और बाहर भेजे जाते हैं, इसके बारे में मन्त्री जी को क्या कोई सूचना है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

छोटी-छोटी चक्कियां बहुत बड़ी तादाद में हैं, कोई बड़ी रोलर फ्लोर मिल तो है नहीं। सभी अधिकारियों को इस के लिए सतर्क कर दिया गया है। मुमकिन है आप जो कह रहे हैं वह ठीक हो, लकिन सरकार को इसकी इत्तला नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि वहां के जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ वहां के नुमाइन्दों ने यह शिकायत की थी कि उससे मिल कर ही इस प्रकार की कार्यवाही होती है और इस बीच जिन लोगों ने परमिट प्राप्त कर के उस सीमेंट को लिया उनके मकान गिर गये ? क्या इस बारे में जो सूचना अखबारों में छपी है, उसकी सूचना मन्त्री जी को है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह छोटी चक्कियां जिला पूर्ति अधिकारी के अधिकार में तो हैं नहीं। मेरे पास इस किस्म की सूचना नहीं है। मुमकिन है आप जो कह रहे हैं, यह ठीक हो। जब सप्लाई वालों ने इन्कार कर दिया तभी तो पुलिस को यह मामला दिया गया कि पता लगाया जाय कि कहां तक यह बात ठीक है।

श्री कल्पनाचंसिह (जिला गोरखपुर)--

क्या इस बारे में सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि इस प्रकार मिट्टी में सीमेंट मिला कर बेचने वाली कौन सी एजेंसी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मगर हमारा जो सीमेंट होता है वह तो सीधा ब्लाक्स में चला जाता है प्लानिंग के लिए और थोड़ा सा रिपेयर के लिए मिलता है। यह मुमकिन है कि ठेकेदारान कुछ बचा लेते हों और उसमें मिलावट कर के बेचते हों।

श्री कल्पनाचंसिह (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी सरकारी विभागों को दिये जाने वाले सीमेंट में किसी प्रकार का रंग मिलाने की व्यवस्था करेंगे ताकि इस प्रकार की मिलावट न हो सके या ब्लैक मार्केटिंग न हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो फैक्टरियों की बात है कि वे उसमें रंग मिलायेंगी या नहीं। हमने चीफ इन्जीनियर को लिख दिया कि वे उन ठेकेदारों पर विशेष निगरानी रखें जो ऐसा कर रहे हों।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी, जो सरकार की है, क्या सरकार उसको ऐसे आदेश देगी कि वह इस सम्बन्ध में विचार कर के कार्यवाही करे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह नहीं कहा जा सकता कि रंग मिलाने से उसकी उपयोगिता में कोई कमी आ जायगी या नहीं। अगर कमी न आ सकती होगी, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि किसानों ने डी० एम०, कानपुर को एक पत्र लिखकर भेजा था कि जो सीमेंट उनको परमिट के द्वारा दिया गया था, उसमें मिट्टी मिली हुई थी, इस कारण जिन मकानों में लगाया, वे गिर गये ? यदि हां, तो क्या सरकार यह मालूम करेगी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया और जिनकी तरफ से यह सीमेंट सप्लाई किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिन महाशय को यह सीमेंट मिली जिसके लगाने से उनका मकान गिर गया, अगर वे उसकी रिपोट करते, और उनका नाम पता मालूम हो जाता और स्पेसिफिक केस हो जाता, तो जरूर जानकारी करने की कोशिश की जाती।

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे रखी है, और वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस को मांग ले।

श्री शिवराजसिंह —

क्या माननीय मन्त्री जी इस सुझाव को स्वीकार करेंगे कि सरकारी सीमेंट फैक्टरी से सरकारी विभागों को दिये जाने वाले सीमेंट के बोरों को किसी न किसी रंग में रंग दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो जोन्स में बंटा हुआ है, किसी जोन में चुर्क सीमेंट फैक्टरी का सीमेंट जाता है, किसी जोन में ए० सी० सी० का सीमेंट जाता है, किसी जोन में किसी दूसरी फैक्टरी का सीमेंट जाता है और वहां से वह विभिन्न विभागों को भी जाता है। इसलिए एक ही फैक्टरी में इस चीज को करने से उसका कोई हल नहीं होने वाला है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे कि जिससे सरकारी काम में आने वाले सीमेंट के बोरों को पहचान लिया जाय और मालूम हो जाय कि ये सरकारी काम के लिए हैं, चाहे उसे रंगा जाय या न रंगा जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मेटिरियल रिसोर्सेज कमेटी का सम्बन्ध है, वही इसका वितरण करती हैं। अगर एक ही फैक्टरी से सरकारी विभागों को सीमेंट जाता होता तब तो सीमेंट के बोरों को रंग दिया जाता, परन्तु विभागों को तो विभिन्न जगहों से सीमेंट जाता है। दूसरी बात यह है कि बोरों को रंगने में विलम्ब भी होगा और खर्चा भी बढ़ जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट तरीके से इस बात का एलान करने के लिए तैयार हैं कि एडल्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का कोई आदेश देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर सख्त से भी ज्यादा कोई चीज हो तो उसको करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते कि वह पकड़ा जाय।

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

बिजनौर जिले के सरकारी जंगलों में नाजायज कटान

*३—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजनौर के जंगलों से लोग लकड़ी काट कर प्रति दिन हजारों मन की संख्या में ला रहे हैं, जिससे वनों को हानि हो रही है तथा सरकार को कोई आय नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)--

जी हां, नवम्बर से जून तक के महीनों में बिजनौर के सरकारी व अन्य जंगलों में से लोग प्रति दिन हजारों मन की संख्या में लकड़ी काट कर लाते हैं परन्तु यह सब कटान नाजायज रूप से नहीं होता है और इससे न तो सरकारी वनों को हानि होती है और न सरकार की आय को कोई क्षति पहुंचती है।

सरकारी जंगलों से नाजायज कटान की रोकथाम के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को पूर्ण रूप से सतर्क रखा जाता है तथा जिन इलाकों में चोरी से पेड़ काटने की घटनायें ज्यादा पायी गयी हैं, वहां चेकिंग गैंग (Checking Gang) की नियुक्ति की गयी है जो गुप्त रूप से जंगलों का गश्त करता है।

रामपुर विकास क्षेत्र का सीमेंट पकड़ा जाना

*४--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि जौनपुर जिलान्तर्गत रामपुर विकास क्षेत्र का लगभग ६० बोरा सीमेंट गत मई मास में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा रामपुर में पकड़ा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां।

*५--श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिले के सभी प्रमुख नेता सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त घटना पर लीपा-पोती करने के लिए दबाव डाल रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह सही नहीं है।

*६--श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री उपर्युक्त सम्बन्ध में घटी घटना का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे कि अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

रुद्रपुर ब्लाक में असिस्टेंट वेटेरिनरी सर्जन, श्री ए० सी० भट्टाचार्य को वेतन वृद्धि न मिलना

*७--श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला के अन्तर्गत कितने पशु-चिकित्सकों को वेतन वृद्धि पिछले कई वर्षों से नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में विभाग ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

कृषि उप-मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत केवल एक पशु-चिकित्सक के अतिरिक्त, जो नियोजन बजट पर कार्य कर रहे हैं, सभी पशु-चिकित्सकों को उनकी वेतन वृद्धि दी जा चुकी है। इन एक पशु-चिकित्सक की सेवा पुस्तिका की पूर्ति के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों एवं नियोजन

विभाग के अधिकारियों में पत्र-व्यवहार चलते रहने के कारण उनकी वेतन-वृद्धि उन्हें नहीं मिल पायी। उनकी सेवा पुस्तिका अब पूर्ण हो गयी है और उनकी वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निदेशक, पशु पालन, द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्यामलाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पशु चिकित्सक को गत कई वर्षों से वेतन-वृद्धि नहीं मिली है उन को पिछले कितने वर्षों से नहीं मिल पायी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

२ सितम्बर, १९५७ से।

श्री श्यामलाल--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पशु चिकित्सक को गत ७ वर्षों से वेतन-वृद्धि नहीं मिली है उनका नाम क्या है तथा गोरखपुर जिले में उनकी पोस्टिंग किस जगह पर है और किन परिस्थितियों में उन्हें नियोजन प्रोजेक्ट में काम करना पड़ता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उनका नाम श्री ए० सी० भट्टाचार्य है और वे इस समय गोरखपुर जिले के रुद्रपुर ब्लाक में असिस्टेंट वेटेरिनरी सर्जन की पोस्ट पर हैं। और इस बीच में उनको इसलिए वेतन-वृद्धि नहीं मिल पायी कि जिन बी० डी० ओ० के अन्डर या प्रिंसिपल प्रोजेक्ट-कम-एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेन्टर के अन्डर वे काम करते थे--वे उनकी चरित्र-पुस्तिका यानी सर्विस बुक को कम्पलीट नहीं कर पाये, जिसके कारण यह विलम्ब हुआ।

चूंकि नियोजन विभाग और एनिमल हस्बैन्डरी विभाग अलग-अलग हैं इसलिए देरी हुई और अब उनकी सर्विस बुक करीब-करीब कम्पलीट हो गयी है और जल्द ही उनको वेतन-वृद्धि दे दी जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) --

जिन बी० डी० ओ० की वजह से उनकी सर्विस बुक कम्पलीट नहीं हुई और श्री भट्टाचार्य की ७--८ साल से वेतन वृद्धि नहीं हुई, क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

निदेशक पशुपालन बराबर इस संबंध में लिखते रहे और गोरखपुर रीजन के पशुपालन उप-निदेशक बराबर बी० डी० ओ० और प्रिंसिपल से लिखा पढ़ी करते रहे, लेकिन जल्द उत्तर न मिलने के कारण यह विलम्ब हुआ।

श्री अहमद बख्श--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस देरी के लिये जो भी अथारिटीज जिम्मेदार हैं क्या उनके खिलाफ वह कार्यवाही करेंगे ताकि औरों को आइन्दा परेशानी न हो ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अभी जांच हो रही है, जैसे ही जांच पूरी हो जायगी किसी न किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जायगी।

श्री शिवराजसिंह--

क्या मंत्री जी इस तरह के कोई आदेश जारी करेंगे कि नियत समय से ज्यादा किसी कर्मचारी की सर्विस बुक इनकम्पलीट न रहे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सरकार की ओर से ऐसे आदेश तो हैं ही कि सबकी सर्विस बुक्स समय के अन्दर ही कम्पलीट की जायं लेकिन इसके बावजूद कभी-कभी देरी हो जाती है, इस चीज को अब दूर करने की कोशिश की जा रही है।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डायरेक्टरेट ने इतने समय में कितनी चिट्ठियां लिखीं और उनका उत्तर कब-कब प्राप्त हुआ और उनका कम्पलायेंस बक्त से किया गया या नहीं और नीचे से बी० डी० ओ० से कितनी चिट्ठियां आईं और गईं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सन् ६२ में पहली बार श्री भट्टाचार्य ने एक प्रार्थना-पत्र डायरेक्टोरेट में भेजा था कि उनको वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है, उसके कौरन बाद ही निदेशक, पशुपालन ने बार-बार चिट्ठी-पड़ी की और कई रिमाइन्डर भेजे, अपनी ओर से वह चुप नहीं रहे और बराबर कोशिश करते रहे परन्तु बी० डी० ओ० और प्रिन्सिपल ने उत्तर नहीं दिया।

श्री श्यामलाल—

क्या मंत्री जी तारीख बतायेंगे कि श्री भट्टाचार्य की [सर्विस बुक किस तारीख को पूरी हुई और कब तक वेतन-वृद्धि उन्हें मिलने की आशा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

तारीख बताना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन इतनी तो आशा की ही [जा सकती है कि उनको अब वेतन-वृद्धि जल्द से [जल्द मिल जायगी।

श्री श्यामलाल—

यदि यह प्रश्न न पूछा गया होता तो अभी तक उनकी वेतन-वृद्धि का प्रश्न न उठता, इसलिये क्या आप की तरफ से सरकार को यह आदेश होंगे कि इस तरह की समस्याओं को सरकार को स्वयं फौरन ही हल करना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

आप ही धन्यवाद और बधाई दोनों के पात्र हैं।

श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी—

मंत्री जी ने कहा कि सन् ६२ में प्रार्थना-पत्र दिया, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिस को वेतन-वृद्धि नहीं मिल रही है जब तक वह न लिखे तब तक उसको इन्क्रीमेन्ट न देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन चूंकि वह नियोजन विभाग में काम कर रहे थे इसलिये प्रार्थना-पत्र देना पड़ा वर्ना पशुपालन विभाग तो सामान्यतया अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ठीक समय से वेतन-वृद्धि [देता है, इसमें चूंकि २ विभागों का संबंध था इसलिये विलम्ब हुआ।

बलरामपुर में खाद्यान्न स्थिति

*८—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि बलरामपुर, जिला गोंडा, में भुखमरी की स्थिति गल्ले की कमी के कारण है और सस्ते गल्ले की दूकानों पर महीनों से गल्ला न होने से स्थिति बेकाबू होती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या करने जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

अतीत में सरकारी गोदाम बलरामपुर में गल्ले के अनियमित प्राप्ति के कारण सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ले की सप्लाई भी अनियमित रही जिसके कारण स्थिति चिन्ताजनक हो गई थी। परन्तु वर्तमान स्थिति सप्लाई के नियमित रूप से हो जाने से सन्तोषजनक है ।

*श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

*१०-११—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

कुआना क्षेत्र में पेड़ों का नाजायज कटान

*१२—श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुआना रेंज, जिला गोंडा, में महाराजगंज चौकी के अन्दर १ १/२ हजार चोरी से कटे हुए पेड़ों के खूट हाल में मिले हैं ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह--

एक माह पहले जांच करने पर कुआना रेंज, जिला गोंडा की महाराजगंज चौकी के अन्तर्गत चोरी से काटे गये पेड़ों के ६४७ खूट मिले हैं। इनमें से २६८ पेड़ों को काटने वालों के विरुद्ध अपराध रिपोर्ट लगा दी गई है और उन पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। शेष ३७९ पेड़ों को काटने वाले अपराधियों की खोज की जा रही है। पता लगने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

नाजायज कटान की रोकथाम के लिये आठ वाच गार्डों की नियुक्ति अभी हाल में की गई है। यह लोग जंगलों में बराबर दौरा करेंगे ।

केन्द्र से प्राप्त अनाज का वितरण

*१३—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, १९६४ से ३० जून, १९६४ तक केन्द्रीय सरकार से कितना गेहूं सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये और कितना गेहूं आटा मिलों के लिये माहवारी प्रदेश को प्राप्त हुआ ?

*१४--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, सन् १९६४, से हर महीने सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा कितना गेहूं बेचा गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

वांछित सूचनाओं की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५३ पर)

*१५--श्री नवल किशोर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें हैं, उन पर कितने यूनिट्स लगाये गये हैं और उनको माहवारी कितना गल्ला दिया जाता है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

प्रदेश में कुल १२,४७६ सस्ते गल्ले की दूकानें हैं और हर दूकान पर लगभग ४,००० यूनिट लगाये गए हैं। प्रत्येक दूकान की यूनिटों की संख्या तथा गल्ले की उपलब्धता को ध्यान में रख कर गल्ला दिया जाता है।

श्री नवलकिशोर—

क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से इस बात का वायदा किया था कि हम १ लाख टन गेहूं सरकार के काम के लिये और ६८ हजार टन आटा चक्कियों के लिये देंगे ? यदि हां, तो क्या अनाज आया ? और यदि नहीं आया, तो प्रदेशीय सरकार ने मांग की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रदेशीय सरकार ने बहुत मांगा, मगर वह दे नहीं पाये।

श्री नवलकिशोर—

मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं कि कितना-कितना माल उठा है सस्ते गल्ले की दूकानों से, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं यह चूंकि आपके पास गेहूं नहीं था इसलिये नहीं उठा या लोगों ने मांगा नहीं था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पिछले महीने जितना मिलता गया उतना ही मुहैया करते रहे दूकानों के लिये और उतना ही उठता रहा।

श्री नवलकिशोर—

मंत्री जी ने कहा है कि ४ हजार यूनिट की दुकान पर है। यह शहरों का है या देहातों में भी यही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

देहात में जरा मुख्तलिफ है। वहां पर इतनी रिजिडिटी नहीं है कि ४ हजार ही हों। मगर आम तौर पर ४ से ५ हजार यूनिट्स के बीच में होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच की है कि जो गेहूं आटा मिलों को १४ रु० मन के हिसाब से देते हैं उसको मिल सूजी बना कर ६०, ७० रु० मन के हिसाब से बेचती है ? तो इस फर्क को रोकने का प्रयास सरकार ने किया है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मेरी जानकारी है, केन्द्रीय सरकार उनको १४ रु० मन पर देती है और उसके आटे की होल मिल प्राइस, रिजल्टेंट, सूजी, मैदा आदि का भाव केन्द्रीय सरकार ही निर्धारित करती है और उसी भाव पर वह बेचती है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

जैसा मंत्री जी ने प्र० सं० १३ के उत्तर में कहा है, तो जब उनको मालूम हो गया कि नवम्बर के महीने से आपके पास गल्ला की कमी महसूस हुई और अप्रैल, मई में केन्द्रीय सरकार ने आटा मिलों को गेहूं दिया, तो क्या आपने कोई प्रोटेस्ट लेटर केन्द्रीय सरकार को भेजा कि गेहूं की कमी हो गयी है और मंहगाई है इसलिये इस गेहूं को सस्ते गल्ले की दूकान के जरिये देहात में बेचा जाय जिससे प्राइस डाउन हों ? यदि हां, केन्द्रीय सरकार ने क्या जवाब दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केन्द्रीय सरकार के डाइरेक्टर जनरल मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास काफी गल्ला है जिससे कीमतें घटेंगी और सरकारी दूकानों के अलावा अगर ट्रेडर्स से बटवा दें तो अच्छा है, गो हमने ऐसा नहीं किया। इसलिये प्रश्न ही नहीं था कि गल्ला उनके पास नहीं है। उन्होंने फरवरी के आखिर में हमको विश्वास दिलाया कि हमारे पास गल्ला है और वह देते रहेंगे अलावा कबाल टाउन्स और आटा मिलों के।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि इस महीने में जितना गेहूं या गल्ले का एलाटमेन्ट हुआ है या केन्द्रीय सरकार से आ रहा है वह जून जुलाई से अधिक हुआ है लेकिन जो रिवाइज्ड आर्डर्स हुए हैं उसमें बनारस कमिश्नरी के लिये कम से कम कोटा एलाट किया गया और वह जून और जुलाई से भी कम कोटा डिस्ट्रीब्युशन के लिये किया गया है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जून और जुलाई के महीने में हमने पिछला जितना बचा हुआ था उसको निकाला और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की। अब चूंकि उन्होंने १ लाख ५ हजार टन निर्धारित कर दिया है इसलिये उसके अनुपात से हमने रखा है और आबादी तथा वहां की उपज का भी ध्यान रखते हुए हर कमिश्नरी का कोटा अलग रखा है और उसके अन्तर्गत हर जिले का होता है। उसमें सबसे ज्यादा गोरखपुर का है और फिर बनारस डिवीजन का है और इसी तरह से दूसरे डिविजन्स में और कम होता गया है। अगर हमारे पास पंजाब से आ गया, तो जहां आवश्यकता होगी बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि कुछ दूकानों पर ऐसा है कि फी यूनिट ३–४ सेर गेहूं फी आदमी को दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बिलकुल सही है। कहीं-कहीं पर तो बिलकुल भी नहीं दिया गया है क्योंकि पहले जो दूकानों को गल्ला दिया गया वह २ लाख टन था जिसमें से १ लाख टन सस्ते गल्ले की दूकानों को उसी आधार पर था। पर चूंकि बाद को कुछ नहीं आया अब उसमें से ४० हजार टन के करीब हम देहाती क्षेत्र के लिये पूर्ति कर पाये हैं। उसी के अनुसार चल रहा है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय मंत्री जी ने जिन सस्ते गल्ले की दूकानों का जिक्र किया उनमें से कितनी दूकानें देहातों में हैं जिनमें गल्ला दिया गया और कितने प्रतिशत शहरों की दूकानें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लगभग उनमें से ४–४ १/२ हजार शहरों में हैं और बाकी ८ हजार के करीब देहातों में होंगे। उनमें अनुपात यह है कि ६०,००० के करीब शहरों में और ४० हजार के करीब देहातों में वितरण होता है।

श्री जे० पी० मिश्र--

इस बात को माननीय मंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे कि उनकी जनता शहरों में रहती है और देहातों में भी। इस वक्त तक गांवों के लिये किसी किस्म के गल्ले का आप कोई इन्तजाम नहीं कर सके हैं और जो इन्तजाम है वह एक-एक गांव में १०-१२ आदमियों का है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता देहातों में रहती है या शहरों में? गरीब जनता को भोजन देने की क्या आप व्यवस्था कर सकेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जनता शहरों में भी रहती है और देहातों में भी रहती है। मैंने अभी बताया है कि हम ६० हजार टन शहरों में और ४० हजार टन देहातों में देते हैं। जैसे ही पंजाब से गल्ला आ जायेगा हम, जहां पर जरूरत होगी, अवश्य देंगे।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जून और जुलाई के महीनों में बहुत सी सस्ते गल्ले की दूकानें, जो देहातों में हैं, वे, इन्डिस्क्रीमिनेटली बन्द कर दी गई थीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

बन्द तो नहीं की थीं लेकिन जब वहां पर गल्ला नहीं पहुंच पाया तो अपने आप बन्द हो गयीं।

श्री भवलकिशोर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो यूनिट्स आपने सस्ते गल्ले की दूकानों पर लगाये हैं उनमें कितने परसेन्ट शहर में हैं और कितने परसेन्ट देहातों में हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

शहर में तो लगभग ८५ परसेन्ट की है और देहात में करीब २० के जाकर पड़ेगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि गोरखपुर तथा बनारस डिवीजन के कोटे को बढ़ा दिया गया है और अब उन लोगों को फी यूनिट गल्ला कुछ ज्यादा मिलेगा तो क्या उनको इस बात की सूचना है कि गोरखपुर में पहले ८ किलोग्राम फी यूनिट फी महीना मिलता था और अब ६ किलोग्राम हो गया है। और ३ किलोग्राम आपकी बढ़ोत्तरी के बाद जो देहातों में नान-एग्रिकल्चरिस्ट हैं उनको मिलने जा रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मुझे सूचना है कि शहरों में और देहातों में दोनों जगह ६ कर दिया है।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--

यह देखते हुए कि शहर से आबादी देहातों में ज्यादा है और गरीबों की है लेकिन १ महीने से देहातों में गल्ला नहीं जा रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं खुद देहात का रहने वाला हूं और मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है और यथाशक्ति कोशिश कर रहा हूं कि उनको ज्यादा से ज्यादा गल्ला मिले।

श्री जे० पी० मिश्र--

माननीय मंत्री देहात के रहने वाले हैं इसीलिये देहात के रहने वालों को गल्ला नहीं मिल रहा है ? क्या यह बात सही है कि जब आटा और गेहूं की सप्लाई घटी तो शहरों की जनता को बराबर मिलता रहा और देहात में सभी दूकानें बन्द कर दी गयीं और किसी को गल्ला नहीं मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

शहर में भी कई हफ्ते तक बहुत सी दूकानें बन्द रहीं लेकिन फिर भी यह बात सही है कि शहर वाले खेती नहीं करते और एक दूसरे से ले नहीं सकते, इसलिये उनको जरूरत का खयाल करना पड़ता है। देहात में फिर भी एक दूसरे से मदद मिल ही जाती है।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार को मालूम है कि जो आटे का कोटा मिलों से जिलों के लोग आते हैं वे चार-चार मर्तबा लौटाये जाते हैं और चार-चार दिन उनको पड़ा रहना पड़ता है जिससे वे ब्लैक मार्केट करने को मजबूर होते हैं ? अगर सरकार को इत्तला नहीं है तो मेरे इस प्रश्न को सूचना मान कर इस बात का उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह बात सही है कि मिलों का कोटा बाज दफा नहीं आता है और गेहूं न होने की वजह से वे बन्द रहती हैं और कई जिलों से एक साथ आदमी आ जाते हैं तो फिर उस वक्त उनको निराश होना पड़ता है लेकिन आशा है कि आगे ऐसी अवस्था नहीं होगी।

लखनऊ में कान्यकुब्ज कालेज के निकट नाले की दुरवस्था

*१६--श्री अहमद बख्श--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में मुहल्ला पुराना किला और जुब्बली गर्ल्स कालेज तथा कान्यकुब्ज कालेज के बीच में कोई नाला बहता है जिसको पार करके सैकड़ों लड़के और लड़कियां इन कालेजों में पढ़ने जाते हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

मुहल्ला पुराना किला तथा जुबली गर्ल्स कालेज के बीच नाला है। यह नाला गाजी-उद्दीन हैदर कैनाल से लगभग २० फीट पहले ही समाप्त हो जाता है तथा शेष भाग कच्चा पड़ा है। इस नाले का अन्तिम भाग जो कि कान्यकुब्ज कालेज की हद के बाहर है क्षतिग्रस्त हो गया है तथा उस स्थान पर एक गढ़ा बन गया है किन्तु स्कूल आने-जाने वाले लड़के तथा लड़कियां इस गढ़े को पार नहीं करते हैं बल्कि जी० एच० कैनाल को पैदल पार करके गढ़े के बगल से कालेज निकल जाते हैं। इन बच्चों को गढ़ा पार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बगल से निकल सकते हैं।

*१७--श्री अहमद बख्श--

क्या सरकार को पता है कि वर्षा के कारण यह नाला इतना कट गया है कि इसको पार करना बच्चों के लिये असम्भव हो गया है और जिससे अभिभावकों के लिये वह चिन्ता का विषय बन गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ ने सूचित किया है कि वर्षा के कारण नाला कई स्थानों पर कट गया है तथा नगरमहापालिका गढ़े एवं टूटे हुए नाले को शीघ्र ठीक करा देगी।

*१८---श्री अहमद बख्श---

क्या सरकार लखनऊ नगर महापालिका को आदेश देगी कि बच्चों की सुरक्षा और आने जाने की सुविधा के लिये वह कोई पुल बनवाने या बच्चों के आने-जाने के लिये रास्ते को ठीक करने का प्रबन्ध तुरन्त करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

नगर महापालिका ने जनता की सुविधा हेतु जी० एच० कैनाल (गाजीउद्दीन हैदर कैनाल) पर पुल बनवाने की योजना स्वीकृत कर दी है और गढ़े एवं टूटे हुए नाले को शीघ्र ठीक करा देगी ।

श्री अहमद बख्श---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस जगह से स्कूल के बच्चे नाला पार करते हैं वह जगह इस गढ़े से कितनी दूर है और दूर का रास्ता तय करने के बावजूद उन्हें किसी पुल पर से गुजरना पड़ता है या फिर भी इसी नाले स ही गुजरना पड़ता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसकी पैमाइश तो नहीं दी गयी है लेकिन यह जरूर मालूम हो गया है कि पुल टूट जाने से आने जाने में थोड़ी असुविधा हो गई है जिसे शीघ्र बनाने के लिये आश्वासन प्राप्त हो गया है ।

श्री अहमद बख्श---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले तीन वर्षों से बारिश के ज्यादा होने से नाला पार करने से कितने बच्चे डूब कर मरे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जे० पी० मिश्र---

क्या मंत्री जी इस मौके को देखने की कृपा करेंगे क्योंकि जो जवाब आपको दिया गया है वह भ्रमात्मक है और मौके का मुआयना करने के बाद सदन में जवाब देने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

श्रीमन्, इस कालेज क पास ही में रहता हूं और घूमने भी जाता हूं, लेकिन मुझे तो जवाब भ्रमात्मक नहीं मालूम पड़ रहा है और मुआयने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती ।

श्री अहमद बख्श---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वह नाला कई जगह से टूट गया है और वहां एक गढ़ा हो गया है और बच्चे वहां से गुजरते हैं तो विलम्ब की क्या वजह है कि जो अभी तक वह ठीक नहीं हो सका ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

हमारे मुख्य अभियन्ता ने उसे देखा है और महापालिका के अधिकारियों से बात भी की है और आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही मरम्मत होगी ।

श्री अध्यक्ष---

इतने दिनों की देर क्यों हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह तो महापालिका ही बता सकती है ।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पुल कब तक बन जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जल्द से जल्द ।

श्री अहमद बख्श—

क्या सरकार बतायेगी कि गाजीउद्दीन हैदर कैनाल में नाला मिलता है उस पर किस मुकाम पर नाला बनाया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जहां ठीक समझा जायगा उस मुकाम पर बनाया जायगा ।

*१९—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[माननीय सदस्य क सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

[२४ अगस्त १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[५ वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७३–७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

खाद्य सलाहकार समिति, इलाहाबाद का प्रस्ताव

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में खाद्य सम्बन्धी जो कमेटी है उसने सरकारी आज्ञा के अनुसार कमेटी बनाने के बाद कितने बार मीटिंग आयोजित की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सात बार ।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में खाद्य सलाहकार कमेटी ने जो दिनांक ९ जुलाई, १९६४ को आयोजित की गई थी, कोई प्रस्ताव पारित कर सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । प्रस्ताव यह हैं:

(१) जिले के खाद्यान्न कोटे में जो कमी हुई है उसकी पूर्ति की जाय, तथा (२) जब तक आटे की कमी है सरकार व्यापारियों को उत्तर प्रदेश के बाहर से आटा लाने की आज्ञा प्रदान करे।

सरकार ने इन दोनों प्रस्तावों पर निम्नांकित कार्यवाही की है :

(१) जुलाई मास में खाद्यान्न की कमी के कारण जिलों में कम मात्रा के खाद्यान्न पहुंचा परन्तु सरकार का यह प्रयत्न बराबर रहा कि अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपभोक्ताओं को मिले। वर्तमान मास से यह व्यवस्था कर दी गयी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अति गरीब जनता को तथा शहरी जनता को ६ किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से खाद्यान्न उपलब्ध हों । इस मात्रा के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आयुक्तों को तथा शहरी क्षेत्रों की जनता के लिये जिलाधीशों को गेहूं, आटा तथा चावल आवंटित कर दिया गया है तथा खाद्य नियंत्रकों को आदेश जारी किये गये हैं कि वह खाद्यान्न जिलों में जल्द से जल्द भेजें ।

(२) प्रदेश के बाहर से आटा लाने की आज्ञा केन्द्रीय सरकार ही दे सकती है। अतः प्रादेशिक सरकार इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इधर हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश में पजाब से आटा लाने की आज्ञा दे दी है।

मगरवारा में उर्वरकों में बालू मिलाने की शिकायत

*६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मोहनलाल शुक्ला, मंत्री, जिला कम्युनिस्ट पार्टी, उन्नाव ने दिनांक १ अप्रैल, १९६४ को जिलाधीश व पुलिस कप्तान, उन्नाव को लिखित सूचना दी, कि रैलीज केमिकक्स लि०, मगरवारा, जिला उन्नाव में उर्वरकों में बालू मिला कर बोरे में भरे जा रहे हैं और बाहर भेजने की तैयारी हो रही है और तुरन्त उन बोरों को कब्जे में लेने की प्रार्थना की थी ?

श्री चरणसिंह—

जी हां।

*७—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शिकायत मिलने पर जिले के कुछ अधिकारी कारखाने पर गये और बालू मिले हुय उर्वरकों के बोरे पकड़े और उसका नमूना लेकर जांच के लिये भेजा ? यदि हां, तो कितने बोरे इस प्रकार के कब्जे में लिये गये और नमूने की जांच का क्या परिणाम निकला और कारखाना मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

लगभग २,००० बोरों के लाट में से रैन्डम नमून लिये गये। जांच करने पर खाद निर्धारित स्तर के अनुकूल रही।

रामनगर फार्म के इंचार्ज का भत्ता

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिल के फार्म इंचार्ज, रामनगर ने इस जिले के अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में प्रतिमाह कितना पैसा टी० ए०, डी० ए० का सरकार से प्राप्त किया है ?

श्री चरणसिंह—

इनके बाराबंकी में सम्पूर्ण कार्यकाल के टी० ए०, डी० ए० बिलों की तालिका संलग्न है, जिसका प्रतिमाह औसत लगभग ४८ रु० है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५४–५५६ पर)

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कार्य घाटे पर चलता है और कागजों पर लाभ दिखाया जाता है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फार्म की विगत पांच वर्षों की और इस वर्ष की बैलेन्स शीट अलग-अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। फार्म की जैसी आर्थिक स्थिति होती है वैसी ही कागजों पर दिखाई जाती है। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१०-११--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) --

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३-१४--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५-१६--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

*१७-१९--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद क्षेत्र के कृषि फार्मों में घाटा

*२०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी डायरेक्टर कृषि, फैजाबाद डिवीजन के अन्तर्गत कितने कृषि फार्म हैं और उनमें से कौन-कौन फार्म घाटे पर चल रहे हैं ? घाटे का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--

डिप्टी डायरेक्टर कृषि, फैजाबाद डिवीजन के अन्तर्गत अब २३ फार्म हैं । वर्ष ६२-६३ में केवल २२ फार्म थे, उनमें से घाटे पर चलने वाले फार्मों की सूची संलग्न है । घाटे के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं--

१--६२-६३ में गल्ले का भाव गत वर्षों की अपेक्षा कम था ।

२--वर्षा असामयिक तथा कम हुयी ।

३--फार्म का लगभग दो तिहाई खर्च मजदूरी पर होता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी बढ़ गयी ।

४--कुछ फार्मों पर ६२-६३ से ही फसल लेना प्रारम्भ हुआ है ।

५--कुछ फार्मों की भूमि उसरीली, बलुई तथा कटाव ग्रस्त है ।

६--कुछ फार्मों की जमीन नशेवी है और पानी निकलने का कोई प्राकृतिक माध्यम नहीं है ।

७--एक फार्म जंगलों से तीन ओर से घिरा है । जंगली जानवरों से क्षति हुआ करती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५७ पर)

जैन विद्या मंदिर इंटर कालेज, नहटौर को गुड़ निर्यात का परमिट

*२१--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जैन विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, नहटौर, जिला बिजनौर के नाम हाल में कोई गुड़ एक्सपोर्ट करने का परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो कितने टन का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, जैन विद्या मन्दिर इंटर कालेज, नहटौर, जिला बिजनौर को दिनांक २२ अप्रैल, १९६४ को ३ परमिट कुल २८६ मैट्रिक टन गुड़ प्रदेश से बाहर भेजने के दिये गये थे ।

*२२--श्री हलीमुद्दीन (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को यह मालूम है कि वह परमिट केवल २,५०० रु० में बेच दिया गया ? सरकार ने इस अवैधानिक कार्य के लिये जैन विद्या मन्दिर के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सिलसिले में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपरोक्त कालेज के मैनेजर के कथनानुसार ये परमिट कालेज की कार्यकारिणी के एक सदस्य को उचित कार्यवाही के लिये दिये गये । उक्त सदस्य ने इन परमिटों को कुछ व्यापारियों को दे दिया जिनसे कालेज को २,५५० रुपया लाभ में हिस्से तथा दान के रूप में प्राप्त हुये ।

उपरोक्त मामले में जांच परताल की जा रही है । कालेज के अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न वर्तमान जांच परताल का नतीजा मालूम होने के पश्चात् ही उठेगा ।

*२३--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*२४--श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

*२५--श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६-२८--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जेल से श्री रामनरेश चौबे को छोड़ने की प्रार्थना

*२९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या कारागार मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के श्री हरिवंश चौबे, ग्राम बरोही चौबे, पो० रसूलपुर नन्द लाल ने अपने लड़के श्री रामनरेश चौबे, कैदी नं० १७१८, आजमगढ़ जेल से छोड़ने का प्रार्थना-पत्र हाल में दिया है और कुछ सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि सरकार का छोड़ने का आदेश होते हुये भी किसी कर्मचारी की लापरवाही से उक्त कैदी नहीं छूट सका ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां, प्रार्थना-पत्र दिया है, लेकिन बन्दी रामनरेश को छोड़ने के आदेश अभी सरकार ने नहीं दिये हैं अतएव किसी कर्मचारी की लापरवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*३०--श्री उमाशंकर तथा श्री इन्द्रासनसिंह--

क्या यह सच है कि उक्त रामनरेश के ही मुकदमें में सजा पाये हुये दूसरे उनके साथी वर्षों पहले ही छोड़ दिये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां ।

श्री उमाशंकर--

जब रामनरेश के और साथी कैदी छोड़ दिये गये जो उसी जुर्म में सजा पाये थे तो इनको नहीं छोड़ा गया इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जो सूचना मेरे पास है उससे मालूम होता है कि जजमेन्ट में यह बतलाया गया है कि रामनरेश साहब के पास गड़ासा था। जो डाक्टरी रिपोर्ट आयी है उससे मालूम हुआ कि गड़ासे की वजह से ही उसकी चोटें ज्यादा आयी थीं और इसलिये यह समझा गया कि उसका जुर्म ज्यादा है इसीलिये उसको शायद नहीं छोड़ा गया है।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी ने उस जजमेन्ट को पढ़ा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैंने जजमेन्ट तो नहीं पढ़ा लेकिन जो नोट मेरे पास है उसमें है कि उसके पास गड़ासा था और शायद उसकी वजह से मामला सीरियस समझा गया और इसलिये उसको रोके रखा।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी ने रामनरेश सिंह, कैदी के पिता के उस दरख्वास्त को देखा है जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि सेक्रेटेरियट के आफिसरान को पैसा न मिलने के कारण उसका लड़का नहीं छोड़ा गया है और क्या उन्होंने उसकी जांच की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इसमें सरकार का फैसला वही था अधिकारियों का सवाल इसमें कहां उठता है।

श्री श्यामलाल--

इन रामनरेशसिंह जी को कब सजा हुयी, कितने दिनों की हुयी, किन धाराओं में हुयी और कितने दिनों से वे जेल में बन्द हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इस में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

प्रोबेशन बोर्ड के जो फैसले बन्दियों को छोड़ने के सम्बन्ध में होते हैं उनमें से कितने प्रतिशत सरकार मानती है और कितने को उसमें रिजेक्ट किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह सवाल बिलकुल दूसरा है। इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री इन्द्रासनसिंह--

जब सभी कैदी १४८/३०४ और ३०७ में बन्द थे और सभी को छोड़ दिया गया तो केवल इन्हीं को न छोड़ने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष--

इसका कारण तो उन्होंने बता दिया।

श्री उमाशंकर--

प्रोबेशन बोर्ड ने इस कैदी को छोड़ने की सिफारिश की थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा–

जी हां, की थी, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना ।

श्री उमाशंकर ––

क्या माननीय मंत्री जी ने प्रोबेशन बोर्ड की रिपोर्ट और जजमेन्ट को पढ़ा है क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि व्यक्ति का मर्डर गड़ासे से हुआ जब इस केस में मर्डर हुआ ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष ––

वह यह कह रहे हैं कि चोट जो आयी वह ज्यादा थी और वह चोटें गड़ासे की थीं और चूंकि वह इंस्ट्रूमेंट उसके पास था इसलिये सरकार ने उचित समझा कि उसको न छोड़ा जाय ।

श्री चतुर्भुज शर्मा ––

जी हां, किसी के पास लाठी और वल्लम थे, लेकिन इनके पास गड़ासा और उसी गड़ासे की वजह से चोटें थीं इसलिये उसका मामला सीरियस समझा गया ।

श्री इन्द्रसनसिंह ––

क्या मंत्री जी सूचना को आधार मानकर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि रामनरेश नाम का एक दूसरा कैदी १ साल पहले छोड़ दिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा ––

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्यामलाल ––

मैं यह जानना चाहता हूं कि १४८/३०७ और ३०४ में रामनरेश को सजा कब हुई, कितने वर्ष के लिये हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा ––

४ फरवरी, १९५८ को धारा १४८/३०७ और १४९ के अन्तर्गत दंड दिया गया था । सभी बन्दियों को १४८ के अन्तर्गत १ वर्ष का तथा अन्य धाराओं के अन्तर्गत ७ वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया गया था ।

श्री धर्मदत्त वैद्य ––

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस प्रोबेशन बोर्ड का गठन सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही किया गया है तो उसकी सिफारिश न मानने का क्या आधार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा ––

यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रोबेशन बोर्ड की सारी सिफारिश मान ली जाय ।

श्री उमाशंकर––

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस कैदी को रेमीशन नहीं मिला तो तब भी उसकी पूरी मियाद बाकी रह गई है तो उसको छोड़ने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा ––

जी हां, जो माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं तो इसको देख लिया जायगा ।

*३१––श्री उमाशंकर तथा श्री इन्द्रासनसिंह––

[हटा दिया गया ।]

*३२--श्री काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती)--

[६ ठे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बदायूं नगरपालिका में वार्डों का परिसीमन

*३३--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २९ नवम्बर, १९६३ के असाधारण गजट में प्रकाशित बदायूं नगरपालिका के वार्डों के परिसीमन पर वहां की जनता द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ? यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा --

यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है ।

कृषि उत्पादन

*३४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय --

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन के लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये थे तथा कितने की प्राप्ति हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य --

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे प्रश्न ५५८ पर)

*३५--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या कृषि मंत्री यह भी बतलायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन सालों में खाद्यान्न का क्या लक्ष्य निर्धारित था तथा कितने की प्राप्ति हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

तृतीय पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन सालों में खाद्यान्नों के लक्ष्य एवं पूर्ति इस प्रकार हैं---

लाख टन

वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति
१९६१-६२	१४४.१२	१३८.३९
१९६२-६३	१५३.३४	१३२.८३
१९६३-६४	१५६.७४	११६.२० (अनुमानित)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या कृषि मंत्री जो इस बात को देखते हुये कि प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने के बाद और तृतीय पंचवर्षीय योजना के ३ सालों में जो १९६३-६४ में खाद्यान्न का लक्ष्य था उससे कम लक्ष्य की पूर्ति हुई तो उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके कारण लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी ?

श्री चरणसिंह --

अध्यक्ष महोदय, इसके कारण पर प्रकाश डाला जायगा तो पूरा व्याख्यान देना पड़ेगा। इसका काफी जिक्र बजट सेशन पर आ चुका था। तब से लेकर अभी तक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

क्या माननीय मंत्री का ध्यान तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट १९६२-६३ की तरफ गया है जिसमें कहा गया है मैन्योर वर्ष १९६१-६२ में १६.०२२ लाख तथा १९६२-६३ में १७.६३ लाख लक्ष्य रखा गया था जिसमें केवल ९.५१६ लाख तथा १२.४३५ लाख खर्च किया गया जिसके कारण जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका ?

श्री चरणसिंह--

यह बात ठीक है कि लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी गया है कि १९६२-६३ में ग्रीन मैन्योर का जो लक्ष्य था वह भी पूरा नहीं हो सका और २९.२६ की जगह १९.९९ लाख एकड़ को ही ग्रीन मैन्योर दी जा सकी इस वजह से भी उत्पादन कम हुआ ?

श्री चरणसिंह---

मुझे यह भी स्वीकार है कि इस लक्ष्य (३९.०२ लाख एकड़) की पूर्ति भी नहीं हुई ।

श्री शिवराजसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में भारी कमी हुई है और तीसरे वर्ष में तो ४० लाख टन उत्पादन में कमी हुई है, प्रदेश में कोई एग्रीकल्चरल कमीशन इस बात की जांच करने के लिये बैठाने की कृपा करेंगे कि पैदावार में इस घटाव का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी अर्ज किया, खेती की पैदावार न बढ़ने का कारण एक नहीं, अनेक हैं। उनमें एक कारण मेरी और मेरे विभाग की इनएफीशियेंसी भी है । लेकिन एक बहुत बड़ा कारण मौसम है । सन् १९६०-६१ में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ हमारे यहां और रबी का प्रोडक्शन हाइयेस्ट हुआ, पहले जमाने को देखते हुए । यहां तक कि सारे देश में उत्तर प्रदेश को उसके लिये इनाम मिला जो सरदार स्वर्णसिंह ने अभी सेरीमोनी की थी उसमें, लेकिन अब प्रोडक्शन १६ लाख टन कम हो गया । तो पैदावार बढ़ने में भी सब से बड़ा फैक्टर मौसम था और इस घटने में भी सब से बड़ा फैक्टर मौसम है । इत्तफाक से १९६०-६१ में जब के लिये हमने इनाम पाया, उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैं ही था, और जब प्रोडक्शन १६ लाख टन कम हो गया है, एग्रीकल्चर विभाग मेरे ही चार्ज में है । तो मैं नहीं समझता कि मेरी एफीशियेंसी में इतना अन्तर आ गया है कि प्रोडक्शन उसकी वजह से घट कर १४२ लाख टन से ११६ लाख टन ही रह जाय। दूसरे फैक्टर भी हैं और जैसा मैंने कहा, इन सब के बाद ओवर-आलफैक्टर है डिपार्टमेंट की इनएफीशियेंसी और जिसमें मेरी इनएफीशियेंसी भी शामिल है ।

आजमगढ़ जिले में खाद्य स्थिति

*३६--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि मास जुलाई के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर के आयुक्त ने आजमगढ़ जिले के विधायकों की एक बैठक करके खाद्य समस्या के समाधान के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी नहीं ।

उक्त बैठक जुलाई के तीसरे सप्ताह में हुई थी ।

*३७--श्री बृजबिहारी--

यदि उत्तर "हां" में है तो क्या सरकार को ज्ञात है कि उस बैठक में इस समस्या के समाधान के लिये क्या-क्या निर्णय लिये गये थे और उनमें से कौन-कौन से अब तक कार्यान्वित किये जा चुके हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि अतिरिक्त गल्ला आ जाने एवं गेहूं तथा चावल का स्टाक संतोषजनक हो जाने पर प्रत्येक न्याय पंचायत में दूकानें खोल दी जायं। और इस बीच तत्काल गल्ला निकासी की आंशिक मात्रा देहाती क्षेत्रों की दूकानों पर जहां अधिक आवश्यकता समझी जाय, दी जाय तथा शहरी क्षेत्रों में गल्ला दिया जाय ।

गल्ला गोदाम से खाद्यान्न की निकासी एक गजटेड अधिकारी की निगरानी में हो और उसका समुचित वितरण हो ।

उपरोक्त सभी निर्णय कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

श्री बृजबिहारी--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उस बैठक में यह भी कहा गया था कि देहाती क्षेत्र की दुकानें ३ महीने से बन्द हैं और यह तय हुआ था कि उनको तुरन्त चालू कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हो सकता है, लेकिन चालू तो तभी की जायं कि जब उनमें गल्ला हो ।

श्री बृजबिहारी--

जब वहां गल्ला पहुंच गया है तो वे दूकानें चालू कर दी गयी हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह जिला खाद्य समितियों को अधिकार दे दिया गया है कि वह जहां आवश्यकता समझें और जिस मात्रा में, उस के अनुसार अपने जिले में कार्य कर लें ।

श्री बृजबिहारी--

क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि कमिश्नर की बैठक के बाद अभी २४ जुलाई को खाद्य समिति की बैठक हुयी थी और उसमें निश्चय किया गया था कि जो दूकानें बन्द की गयी हैं वह तत्काल जारी कर दी जायं, तो क्या वह जारी कर दी गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

दुकानें बन्द तो नहीं की गयीं, गल्ला नहीं था इसलिये बन्द थीं । इसलिये कौन चलायी जा सकती है, कौन नहीं, इसका निर्णय स्वयं खाद्य समिति करेगी ।

श्री इन्द्रासनसिंह--

आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील में ढाई हजार एकड़ घाघरा के कटाव से जमीन कट गयी और फसल, घर-बार बरबाद हो गये । घोसी में भी १५-२० गांव प्रभावित हैं, तो ऐसी स्थिति में जिनके पास घर, जमीन और खेती का सहारा नहीं, वहां के लिए सस्ते गल्ले का क्या माननीय मंत्री जी विशेष प्रबन्ध करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं पहले ही कह चुका हूं कि जितना जिले का कोटा उपलब्ध है और जिस क्षेत्र में ऐसी क्षति हुई है, जहां आवश्यकता है वहां उस कोटे के अनुसार देने का अवश्य निर्णय करेंगे ।

*३८-३९--श्री अखण्डप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

[हटा दिये गये ।]

*४०--श्री अखण्डप्रतापसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम--

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नैनीताल में मुख्य वन्य-जन्तु प्रतिपालक की मोटर और ट्रक में भिड़न्त

*४१--श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, जून सन् १९६४ में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन ने सरकारी मोटर जिसको वह स्वयं चला रहे थे, किसी ट्रक से नैनीताल जिले में लड़ा दिया था ?

श्री चरणसिंह--

जी हां।

*४२--श्री मैनेजरसिंह--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन किस अधिकार के अन्तर्गत सरकारी गाड़ी स्वयं चला रहे थे जब कि दौरे पर गाड़ी चलाने के लिये सरकारी ड्राइवर की व्यवस्था रहती है ?

श्री चरणसिंह--

उक्त गाड़ी के ड्राइवर के पैर में तकलीफ थी इसलिए मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक को ही गाड़ी चलानी पड़ी ।

*४३--श्री मैनेजरसिंह--

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उक्त सरकारी गाड़ी की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ और उसका भुगतान किसने किया ?

श्री चरणसिंह--

गाड़ी की मरम्मत सरकारी खर्च से हुई और १०६.७८ रुपये व्यय हुए ।

नोट--तारांकित प्रश्न ३७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश के कलकत्ता स्थित प्रिंसिपल लाइजन आफिसर के कार्यालय में क्लर्कों की नियुक्तियां

*४४--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) तथा श्री उमाशंकर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के कलकत्ता स्थित जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय (प्रिंसपल लाइजन आफिसर) में इस समय कितने लिपिक किस वेतन-क्रम में कार्य कर रहे हैं और उनकी पदोन्नति किस आधार पर की जाती है ? क्या पिछले ६-७ माह पूर्व कुछ लोअर डिवीजन के लिपिकों की पदोन्नति अपर डिवीजन में हुई है ? यदि हां, तो कितने को और उस पदोन्नति का क्या आधार रखा गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उत्तर प्रदेश सरकार के कलकत्ता स्थित प्रिंसिपल लाइजन आफिसर के कार्यालय में १६ लिपिक कार्य करते हैं जिनका वेतन क्रमानुसार ब्योरा निम्नलिखित है:--

(क) १ हैड असिस्टेंट-एकाउन्टेंट रु० १००-८-१४०-१०-१७० ।
(ख) १ मुख्य लिपिक (हेड असिस्टेंट) रु० १००-८-१४०-१०-१६० ।
(ग) १ आशु लिपिक (स्टेनोग्राफर) रु० ७५-४-९५-५-१५० ।
(घ) ७ प्रवर वर्ग सहायक (अपर डिवीजन क्लर्क) रु० ८०-५-१००-६-१३० ।
(ङ) ५ लोअर डिवीजन क्लर्क रु० ६०-३-९० ।
(च) १ टाइपिस्ट रु० ६०-३-९० ।

लिपिकों की पदोन्नति करते समय उनकी वरिष्ठता तथा योग्यता (सीनियारिटी तथा मेरिट) का समान रूप से ध्यान रखा जाता है । पिछले ६-७ महीनों में अपर डिवीजन असिस्टेंट का एक पद रिक्त हुआ था । उसमें उपर्युक्त आधार पर ही कु० सान्त्वना मजूमदार की पदोन्नति की गई ।

*४५--श्री गंगाप्रसाद वर्मा तथा श्री उमाशंकर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्यालय में नयी Appointment (नियुक्तियां) कहां से होती हैं Employment exchange से या डाइरेक्ट ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जब कभी लोवर डिवीजन क्लर्क के स्थान रिक्त होते हैं, तो नियुक्तियों के लिए रोजगार के कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम मांगे जाते हैं । इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र कार्यालय में सीधे आ जाते हैं, उन्हें भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है । ऐसी परीक्षा तथा साक्षात्कार के उपरान्त सर्वश्रेष्ठ पाये गये अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाता है ।

*४६--श्री गंगाप्रसाद वर्मा तथा श्री उमाशंकर--

क्या उक्त कार्यालय को नियुक्तियों सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र माननीय खाद्य मंत्री, माननीय मुख्य मन्त्री, एवं Provincial Iron and Steel Controller, कानपुर को कुछ समय पूर्व (२६ अप्रैल, १९६४) को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

एक गुमनाम पत्र, दिनांक २६ अप्रैल, १९६४ जो कलकत्ता रोजगार दफ्तर के रोजगार आफिसर को सम्बोधित था उस की एक प्रतिलिपि खाद्य मन्त्री को प्राप्त हुई थी । यह पत्र

गुमनाम होने के कारण इस पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं वांछित समझी गयी। इस पत्र की एक प्रतिलिपि प्रांविशियल आइरन ऐन्ड स्टील कन्ट्रोलर को भी भेजी गयी थी। और उन्होंने सरकार को सूचित किया है कि वह उन के विचाराधीन है।

*४७--श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

[हटा दिया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

[५वें शुक्रवार के लिए प्रश्न ५-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बाराबंकी जिले के कृषि कार्यालय से स्थानान्तरण

३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी कृषि आफिस के हेड क्लर्क, रामनगर फार्म के इन्चार्ज एक अर्से से इस जिले में एक ही स्थान पर नियुक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--

जी हां। इन के स्थानान्तरण की प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार का ध्यान स्वतन्त्र भारत दिनांक २७ मई, १९६४ के "घोटाले की सूचना" शीर्षक की ओर गया है जिसमें हजारों रुपये की रासायनिक खाद में की गयी गड़बड़ी का जिक्र किया गया है और जिस का मामला पुलिस के भी विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी?

श्री चरणसिंह--

जी हां। इस विषय में स्थिति यह है कि ८ अप्रैल, १९६४ की रात में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्रीवगंज, बाराबंकी के एक बाड़े से ६८ बोरी कैलशियम खाद लद रही है। सूचना देने वालों ने यह बताया कि यह खाद कृषि विभाग की है। इस के आधार पर जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी ने पुलिस में रिपोर्ट की। जिला कृषि अधिकारी ने विभागीय जांच भी की, किन्तु जांच में बीज भंडार का स्टाक पूर्ण पाया गया। अतएव किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। पुलिस द्वारा किये गये जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई।

५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के कृषि कार्यालय के हेडक्लर्क, फार्म इन्चार्ज, रामनगर का ट्रांस्फर बीते काल में कब-कब और कहां-कहां के लिए किया गया था?

श्री चरणसिंह--

सूचना तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५९ पर)

६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि रामनगर फार्म इन्चार्ज के विरुद्ध जब ये गाजीपुर जिले में सीड स्टोर इन्चार्ज थे, पुलिस केस कायम हुआ था और जेल भी गये थे और इन के कैरेक्टर रोल में यह दर्ज है कि इन्हें कभी कोई जिम्मेदारी की जगह नहीं दी जाय ? यदि हां, तो उसका पालन न होने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--

श्री हीराप्रसादसिंह जब गाजीपुर जिले में बीज भंडार इन्चार्ज के पद पर कार्य कर रहे थे, तो १९५३ में श्री गनेशराम, ग्राम नोनहरा द्वारा इन के ऊपर पुलिस केस कायम कराया गया था और यह पुलिस की हिरासत में भी ले लिये गये थे। किन्तु जब पुलिस ने उस केस की जांच की तो यह निर्दोष पाये गये। श्री सिंह के कैरेक्टर रोल में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है कि इन्हें कोई जिम्मेदारी की जगह न दी जाय।

७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त फार्म का स्पेशल आडिट करने का आदेश हुआ है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्या सरकार स्पेशल आडिट करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

रामनगर फार्म के एकाउन्ट का स्पेशल आडिट कराने के सम्बन्ध में न तो कोई आदेश हुआ है और न इसकी कोई आवश्यकता ही प्रतीत होती है। वैसे अन्य फार्मों की भांति इस फार्म का भी सामान्य आडिट होता रहता है।

८--१२--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

कानपुर व बहराइच के कम्पट कारखानों में शकर की खपत

१३--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में और बहराइच में कितते कम्पट (लेमनचूस) के कारखाने हैं और उनको प्रति माह कितनी चीनी का कोटा मिलता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कानपुर में १५ व बहराइच में ६ कम्पट के कारखाने हैं। बहराइच में इनको २०६ क्विन्टल, ९० किलोग्राम शकर मासिक दी जाती है। कानपुर में इनका कोटा चीनी की उपलब्धि पर आधारित रहता है। जुलाई मास में इन को ३३.५० क्विन्टल चीनी व १३४ क्विन्टल खांडसारी दी गयी।

१४--श्री ऊदल--

क्या सरकार इन कारखानों की जांच करायेगी कि उन के यहां कितनी चीनी की वास्तविक खपत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। बहराइच का कोटा बहुत ज्यादा दिया गया है और घटाया जायगा।

फारेस्ट सेटलमेंट आफिसर, बांदा के खिलाफ शिकायत

१५--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के फारेस्ट डिपार्टमेंट के डी० एफ० ओ० द्वारा तारीख ७ जून, १९६४ ई० को पे-बिल पास कराकर तारीख ९ जून, १९६४ को स्टेट बैंक, बांदा भेजवाया गया, किन्तु वह रुपया जो वेतन का था मुलाजिमान मुताल्लिका को न देकर श्री फारेस्ट सेटिलमेन्ट आफिसर ने अवैध रूप से अपने पास तारीख २७ जून, १९६४ तक रखा और तारीख २८ जून, १९६४ को तनख्वाह गत मई, मास की बांटी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री चरणसिंह---

जिला बांदा के फारेस्ट सेटिलमेंट कार्यालय के कर्मचारियों की मई, १९६४ के महीने की तनख्वाह का चेक, जिसे डी० एफ० ओ०, बांदा ने जारी किया था, फारेस्ट सेटिलमेंट कार्यालय में ७ जून, १९६४ को प्राप्त हुआ। इस चेक का रुपया स्टेट बैंक से ९ जून, १९६४ को प्राप्त हुआ और उसी दिन फारेस्ट सेटिलमेंट कार्यालय को कैश-बुक में दर्ज कर के वहां की तिजोरी में रख दिया गया था। इस जिले में अलग से कोई फारेस्ट सेटिलमेंट आफ़िसर नियुक्त नहीं है और परगनाधीश (S.D.O.), बबेरू-नरैनी, जिनका हेडक्वार्टर बांदा है, अपने कार्य के अतिरिक्त फारेस्ट सेटिलमेंट का कार्य भी देखते थे। उन्हीं दिनों कर्वी के ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट का तबादला हो जाने के कारण परगनाधीश, बबेरू-नरैनी जो कर्वी परगने के कार्य की भी देख-भाल करते थे, कर्वी चले गये थे। इस कारण तनख्वाह न बांटी जा सकी। २८ जून, १९६४ को जब वे कर्वी से वापस आये तो उस दिन उन के सामने फारेस्ट सेटिलमेंट के कार्यालय के कर्मचारियों की तनख्वाह बांटी गयी। इस कारण यह गलत है कि स्टेट बैंक से चेक का रुपया प्राप्त करने के बाद उसको धनराशि को फारेस्ट सेटिलमेंट अफसर ने अवैध रूप से अपने पास रक्खा।

१६---श्री मतोलासिंह---

क्या यह भी सत्य है कि उक्त फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर को सितम्बर, १९६३ म सेटिलमेंट आफिसर, लखनऊ द्वारा फील्ड बुक बनाने के लिए नये ढंग का प्रो-फारमा भेजा गया, किन्तु फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर ने लापरवाही बरती और फील्ड बुक पुराने ठंग से बनवाते रहे और सितम्बर से अप्रैल तक सारा कार्य व्यर्थ गया और सब कागजात बदलना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी लापरवाही से सरकारी पैसे की कितनी हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह---

फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर, बांदा को सितम्बर, १९६३ में सेटिलमेंट कमिश्नर, लखनऊ द्वारा फील्ड-बुक नये ढंग के प्रो-फारमा के अनुसार बनाने के लिए कोई आदेश नहीं प्राप्त हुये थे। बांदा जिले में उस समय एक होल टाइम (whole time) फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर था। ३ सितम्बर, १९६३ को उसका वहां से तबादला होने पर उस के स्थान पर कोई होल टाइम फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर को नियुक्ति नहीं हुई। फारेस्ट सेटिलमेंट का कार्य परगनाधीश (S.D.O.), बबेरू को उनके कार्य के अतिरिक्त सौंपा गया। परगनाधीश, बबेरू, के फारेस्ट सेटिलमेंट के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस कार्यालय का ड्राफ्टमैन फील्ड-बुक की तैयारी का कार्य कर रहा था। अप्रैल के महीने में यह फील्ड-बुक पूरी करके डी० एफ० ओ० के पास भेजी गयी जिस में उन्होंने कुछ त्रुटियां पायीं और उसे संशोधन के लिए लौटा दिया। ये त्रुटियां ड्राफ्टमैन की असावधानी के कारण हुई थीं और इस के लिए उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। इन त्रुटियों को दूर करने में कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय नहीं करनी पड़ी।

१७---श्री चन्द्रबलीसिंह---

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा---

आप की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४ सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५६०-५६२ पर)

कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन में की गई सरकार की आलोचना पर मुख्य मंत्री के 'नेशनल हेरल्ड' में छपे वक्तव्य के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेक राम शर्मा ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। वह उपस्थित नहीं हैं, लेकिन चूंकि विशेषाधिकार का ऐसा प्रश्न होता है जिस में सदन के अधिकारों के सम्बन्ध में तथ्य सदन के सामने आते हैं इस वजह से मैं उस प्रश्न को लिये लेता हूं। उनकी सूचना इस प्रकार से थी, "संविधान के अनुच्छेद १९४ (१) के अन्तर्गत सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता है . . .

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

इस सम्बन्ध में नियम क्या कहते हैं? क्या मेम्बर का प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी में भी ऐसा प्रश्न लिया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष---

सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन जैसे प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम है कि अगर कोई माननीय सदस्य उपस्थित न हो, तो प्रश्न नहीं प्रस्तुत किया जायगा, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में कोई इस बात का संकेत नहीं है। तो मैंने यह सोचा कि यह प्रश्न ऐसा है जिस में सदन इन्टरेस्टेड हो सकता है। उन्होंने प्रश्न भी ऐसा उठाया है जिसको इस सदन में स्पष्ट कर देना मैं उचित समझता हूं। उन्होंने कहा है कि "भाषण स्वतन्त्रता में किसी का हस्तक्षेप करना माननीय सदस्य और सदन का अवमान है।" माननीय मुख्य मन्त्री ने अभी १७ अगस्त, १९६४ के "नेशनल हेरल्ड" में छपे वक्तव्य द्वारा खेद प्रकट किया है कि सदन में हाल ही में अविश्वास के प्रस्ताव पर जो भाषण हुये हैं, उस में कुछ सदस्यों नें जो कांग्रेस दल के ही सदस्य हैं, बहुत ही कटु आलोचना की है जो विरोधी दल के सदस्यों से भी कटु है। इस तरह के माननीय मुख्य मन्त्री के वक्तव्य से उन माननीय सदस्यों की जिन्होंने इस प्रकार के भाषण दिये हैं, स्वतन्त्रता अधिकार का अपहरण हुआ है।"

इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि हमें स्पष्टरूप से लोकतन्त्रीय पद्धतियों के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट और साफ कर देने चाहिए। जनतन्त्रीय पद्धतियों में दलों का होना अनिवार्य है, पार्टी का होना अनिवार्य है। एक पार्टी जो बहुमत में होती है, वह सत्तारूढ़ होती है और दूसरी पार्टी जो अल्पमत में होती है, वह विरोधी दल का काम करती है। तो चाहे

सत्तारूढ़ी पार्टी हो या चाहे विरोधी दल की पार्टी हो, पार्टी बनाकर प्रजातन्त्रीय पद्धतियों का संचालन करना हमारी वर्तमान नीति का एक अंग है। अगर पार्टी कायम करना, उसको संगठित करना और सुचारु रूप से चलाना और पार्टी द्वारा राजतन्त्र का संचालन करना आवश्यक है तो फिर आवश्यकता इस बात की भी है कि उस पार्टी के अन्दर एक अनुशासन हो, वह पार्टी कुछ नियमों से अपने आप को आबद्ध करे। और जो पार्टी का अनुशासन हो उनको स्वयं अंगीकार कर के, उन के ऊपर अमल करे, यह पार्टी के लिए अनिवार्य है। जो माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है उस में यह बात नहीं कही है कि हमारी पार्टी के सदस्यों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है और न करना चाहिए थी। उन्होंने केवल एक बात पर ध्यान आकृष्ट किया है, वह यह है कि जिस कटुता के साथ कुछ उनके दल के सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, वह कटुता उससे अधिक थी जो कि विरोधी दल के सदस्यों ने प्रकट की थी। उनका मतलब केवल यह था कि हमें जिस अनुशासन के अन्दर रहना चाहिए उसी अनुशासन के अन्दर विचार व्यक्त किये जाने चाहिए। इसका मतलब केवल यह है कि उस दल की आन्तरिक स्थितियों के सम्बन्ध में वह अपने विचार प्रकट कर रही थीं। जहां पर आन्तरिक प्रश्न के सम्बन्ध में कोई माननीय सदन नेता या कोई सदस्य कुछ कहें तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता। इस सम्बन्ध में हमारे सदन में पहले भी विचार प्रकट इस आसन से हो चुके हैं। मैं माननीय खेर साहब के दिये हुये निर्णय की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सन् १९५२ से ६२ तक के संकलन के पृष्ठ ३३८ पर दिया हुआ है :—

"किसी भी दल के आन्तरिक अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।" मैं केवल हेड नोट आप के सामने पढ़ रहा हूं। नहीं, पूरा आप के सामने पढ़ दूं, ताकि आप लोग भी उस विचार से अवगत हो जायं :—

"मेरे पास तीन विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न भेजे गये हैं जो कि एक ही विषय के ऊपर हैं। एक तो आचार्य दीपंकर ने भेजा है, दूसरा श्री राजनारायण ने और तीसरा श्री चन्द्रजीत यादव ने भेजा है। उन्होंने यह कहा है कि श्री चरणसिंह जी ने जो यह कहा था कि वह सदन में अपना वक्तव्य देंगे कि क्यों उन्होंने मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया, लेकिन आज के अखबार में कुछ ऐसी बात छप गई कि उनको कांग्रेस प्रेसीडेंट ने वक्तव्य देने से मना किया है, इसलिये कांग्रेस प्रेसीडेंट के ऊपर उन्होंने विशेषाधिकार की अवहलना का प्रश्न उठाने की आज्ञा मांगी है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें पहली बात तो यह है कि यह निश्चित नहीं है, अखबार में कोई चीज छप जाना इससे घटना निश्चित नहीं होती है और अगर निश्चित भी हो तो भी जब सर्वत्र पार्लियामेंटरी पद्धति में पार्टी सिस्टम अनिवार्य सा है और हर पार्टी अपने-अपने सदस्यों के सम्बन्ध में अनुशासन रखती है, इस कारण अगर उसे मदाखलत समझा जाय इस आदरणीय सदन के कार्य में, तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी सिस्टम को ही तोड़ देना पड़ेगा और तभी सदस्यों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है, नहीं तो रोजाना जब सदन में पार्टियों द्वारा "व्हिप्स ईश्यू" होते हैं, रोजाना पार्टियों की केन्द्रीय संस्थाओं से प्रान्तीय संस्थाओं को हिदायतें आती हैं और उसी के अनुसार यह कार्य करती हैं तो प्रस्तुत परिस्थिति में उनको मैं समझता हूं कि एक तरह से ऐडवाइस या सलाह ही माननी चाहिये। हर पार्टी अपने आदमियों को ऐडवाइस देती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जब्र नहीं है कि अगर वह उनको न माने तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जायेगा या जेलखाने भेजने का दण्ड दिया जायगा। बल्कि सिर्फ यही हो सकता है कि उसे पार्टी छोड़नी पड़े। ऐसी अवस्था में इस तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि अगर किसी पार्टी के अन्दरूनी मामले में कोई अनुशासन की बातें होती हैं तो उसके लिये सदन में ऐसा प्रश्न उठाया जाय। इस कारण से मैं अगर उक्त अखबारी बात को सही भी मान लूं, हालांकि मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है और

[श्री अध्यक्ष]

सिर्फ अखबारों में पढ़कर माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है तो भी मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं ।"

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

बात यह है कि जो विरोधी दल है, सत्तारूढ़ दल के अच्छे से अच्छे कामों की इसलिये भी आलोचना करना चाहता है, क्योंकि विरोधी दल खुद सत्तारूढ़ दल होना चाहता है, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल के कुछ काम, हरकतें और आचरण विरोधी दल के लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको यह इजाजत तो होनी ही चाहिये कि वे उसकी आलोचना करें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने शुरू में ही कहा था कि मुख्य मंत्री का यह मतलब नहीं था कि आलोचना न हो । वह यह कम्प्लेण्ट कर रही थीं कि अगर हमारे साथी आलोचना करते हैं तो ठीक करें, लेकिन उसमें कटुता न हो । उन्हें अफसोस इस बात का है कि हमारे अन्दर कुछ मतभेद होने के कारण ऐसा हुआ है ।

१९ अगस्त, १९६४ को सदन में प्रयुक्त अश्लील वाक्यों के संबंध में श्री मुलतानसिंह का पत्र

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुलतानसिंह का एक पत्र आया है जो इस प्रकार है :--

"मुझे आपका पत्र दिनांक २१-८-६४ जिसके संलग्न कार्यवाही विधान सभा का उद्धरण दिनांक १९ अगस्त, सन् १९६४ भी है, प्राप्त हुआ । उपरोक्त उद्धरण के पढ़ने पर मुझे अन्तिम दो पंक्तियों में कुछ शब्द छूटे हुये मिले जो गलत रिपोर्टिंग के कारण हुआ है । मैंने निम्नलिखित शब्द सदन में कहे थे :--

"यहां और दिल्ली में ये भ्रष्ट सरकारें बेशर्म रंडियों की तरह आज कुर्सियों पर बैठी हुई हैं यह सब नाकाबिले बरदाश्त है ।"

जो हमारी प्रोसीडिंग्स में उनका वक्तव्य है, वह इस प्रकार है :--

"देखिये, यह आपकी और इस सरकार की नादिरशाही, हिटलरशाही, कंसशाही और रावणशाही चलने वाली नहीं है । आप आज नादिरशाह जो लोग कुर्सी पर बैठे हुये हैं वह अपनी बेशर्मी से बैठे हुये हैं । यहां भी और दिल्ली में बेशर्म रंडियां आज कुर्सियों पर बैठी हुई हैं, ये सब नाकाबिल हैं।

उसको आप कहते हैं कि मैंने अन्त में यह कहा था:--

"ये भ्रष्ट सरकारें बेशर्म रंडियों की तरह आज कुर्सियों पर बैठी हुई हैं, यह सब नाकाबिले बरदाश्त है ।"

सदन में मेरे भाषण के समय किसी माननीय सदस्य, माननीया सदस्या तथा माननीय उपाध्यक्ष जो उस समय पीठासीन थे, नहीं टोका । यदि किसी किस्म का व्यक्तिगत आक्षेप होता अथवा कोई शब्द असंसदीय होता तो अवश्य टोका गया होता । इससे स्पष्ट है कि मेरा उपरोक्त कथन किसी तरीके पर निन्दनीय, व्यक्तिगत आक्षेप तथा असंसदीय नहीं था । मुझे आशा है आप उपरोक्त शब्दों में मेरे बयान को ठीक कराने की कृपा करेंगे ।"

माननीय मुलतानसिंह जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। जब वे यहां आयेंगे तब मैं इस प्रश्न को इस आदरणीय सदन के सामने रखूंगा और जो निश्चय यह आदरणीय सदन इस सम्बन्ध में करेगा वह करूंगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

अगर माननीय मुलतानसिंह जी सदन में नहीं आते या कल उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप इन शब्दों को कार्यवाही में रहने देंगे ? मैं समझता हूं आपका निश्चय तो हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप ठीक कहते हैं, जितना क्लेश और दुख इन शब्दों से मुझे है, मैं समझता हूं उतना ही कदाचित सभी माननीय सदस्यों को होता होगा, मगर साधारण न्याय इस बात का तकाजा करता है कि जब हम किसी के बारे में कोई निर्णय लें तो उसकी मौजूदगी में लें और उसे भी कुछ कहने का अवसर दें । अगर वह परिस्थिति पैदा हो जाय, जो आप कहत हैं, तो हम सोचग कि क्या करना चाहिये । सम्प्रति, मरा यह आदश है कि उनकी उपस्थिति में इस विषय को लिया जायेगा ।

एक सदस्य--

किसी भी न्याय के लिये यह जरूरी नहीं है कि जो कनविक्ट हो वह हाजिर हो और उसी के सामने न्याय हो ? इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अगर सदन इस राय का है कि उनको यहां फलां दिन बुलाया जाय या जो भी उसकी राय हो तो उसके लिये नियम बने हुये हैं आप उसके लिये प्रस्ताव लायें । अब यह मेरे लिये शोभा नहीं देता कि मैं अपनी तरफ से आपको सब नियम आदि बताऊं ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप सदन के माननीय सदस्यों को इजाजत दें कुछ कहने की और उनकी बात को आपको सुनना चाहिये । ३-४-५ बार इस विषय पर कुछ कहने के लिये मन आपका ध्यान आकर्षित किया और आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर बठ जाना पड़ा । यह ऐसा विषय है इस समय कि मैं आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं और आप मुझे समय देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत दूंगा, इस समय आप मेरी बात मान जाइए ।

इंडियन मिलिटरी एकेडेमी, देहरादून के समीप चीनी तथा देशी कारतूस मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम ७ पर माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य है । श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी यहां उपस्थित नहीं हैं । और उन्होंने ही सूचना मांगी थी, तो मैं इसे रूल आउट करता हूं ।

सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

आपकी अनुमति से मैं इस सप्ताह का कार्यक्रम सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

२४-२५ अगस्त--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार एवं उसका पारग ।

[श्री बनारसीदास]

२६ अगस्त---उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर विवाद ।

२७ अगस्त---(१) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष १९६०-६१ के प्रतिवेदन पर विवाद, और

(२) उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी अत्यधिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

२८ अगस्त---असरकारी दिवस ।

२९ व ३० अगस्त---शनिवार व रविवार ।

३१ अगस्त---जन्माष्टमी की छुट्टी ।

निलम्बित सदस्यों द्वारा सदन की समितियों में भाग न लेने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

पूर्व इसके कि मैं माननीय सहकारिता मंत्री को बुलाऊं, कि वह अपना विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करें, मैं एक सूचना आदरणीय सदन को देना चाहता हूं ।

अभी तक निलम्बित सदस्यों के सम्बन्ध में आदेश यह जारी होते रहे हैं कि यद्यपि वे निलम्बन प्रस्ताव के अधीन सदन की सेवाओं से वंचित किये जाते हैं, तो भी जिन-जिन समितियों के वे सदस्य हैं उनमें काम करने के लिये वे सदन में उपस्थित हो सकेंगे । अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के कारण १८० में यह है कि निलम्बित हुआ सदस्य भी अपनी कमेटियों में उपस्थित होकर काम कर सकेगा । यह करण या आदेश सन् ५७ से चला आ रहा है । बीच में सन् ५८ में कुछ समय के लिये यह स्थगित कर दिया गया था । फिर ५९ से पुनः इस पद्धति को हमने स्वीकार किया और उसके अन्तर्गत हम निलम्बित सदस्यों को समितियों में भाग लेने के लिये अनुज्ञा देते रहे हैं । मार्च ६३ में या अप्रैल ६३ में, मेरे सामने यह प्रश्न आया जब लोक सभा के अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि निलम्बित सदस्य सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, यहां तक कि अगर इलेक्शन हो रहा हो तो निर्वाचन में भी सम्मिलित होकर वह अपना मत नहीं दे सकता । वह उस अधिकार से भी वंचित हो जाता है । अतः मैंने इस विषय में अध्ययन किया और मे के पृष्ठ ६२ पर जो मुझे वक्तव्य मिला उससे भी यही सिद्ध होता है कि निलम्बित सदस्य सदन की सभी सेवाओं से, सभी कार्यों से, मुक्त हो जाता है । एक सेलेक्ट कमेटी जो १९३८-३९ में हाउस आफ कामन्स में बैठी थी उसका प्रतिवेदन है जिस का उद्धरण पृष्ठ ६२ में सोलहवें एडीशन में, इस प्रकार से है—

> "Proceedings of the House cover both the asking of a question and the giving written notice of such question, and includes everything said or done by a member in the exercise of his functions as a member in a committee of either House."

अर्थात्, सदन की कार्यवाही या सदन की सेवाओं के अन्तर्गत सदन के वे सब कार्य निहित हैं या समाविष्ट हैं जिनका सम्बन्ध प्रश्नों के पूछने से हो, जिनका सम्बन्ध लिखित सूचना के देने से हो, नोटिस के देने से हो या अन्य कार्यवाहियों से हो जो कमेटी के सदस्य होने के नाते वह करता है । आप स्वयं समझेंगे कि जो सदन की समितियां हैं वे सदन का ही कार्य-संचालन के लिये हैं । अंग्रेजी में यहां तक कहा गया है कि "They are miniature House." अर्थात् वे सदन की प्रतीक ही हैं । तो सदन की सेवाओं से अगर कोई व्यक्ति वंचित किया जाय, निलम्बन के कारण,

वह सदन की उन सेवाओं से जो समितियों द्वारा होती हैं उनसे भी वंचित हो जाता है । ऐसी स्थिति में मैंने यह निर्णय किया कि निलम्बित सदस्य समिति के कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे न वे काम कर सकेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, हमारे यहां दो प्रकार की कमेटीज हैं, एक तो सदन की और दूसरी स्टैंडिंग कमेटीज जिनके अध्यक्ष विभागीय हैड होते हैं । हाउस आफ कामन्स की स्टैंडिंग कमेटीज में और हमारी हाउस की कमेटीज में एक बड़ा वाइड कन्वेंशनल अन्तर है । स्टैंडिंग कमेटी में निलम्बित सदस्य पार्टीसिपेट कर सकता है या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । इसे स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

सदन की सेवाओं से वंचित करने का हमारा आदेश होता है । वे सेवायें जो सदन में रहकर और समितियों में रहकर होती हैं । सदन की समितियां सदन का कार्य करती हैं, प्रतिवेदन यहां रखती हैं, अपने विचार रखती हैं । आपने यह प्रश्न उठाया है कि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके लिये क्या कहना । उसके सम्बन्ध में हम समिति की जो व्याख्या, परिभाषा है उसे देखें । "समिति का तात्पर्य किसी विशिष्ट या सामान्य प्रयोजन के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित ऐसी समिति से है जो अध्यक्ष के निर्देश के अन्तर्गत कार्य करें और अपना प्रतिवेदन सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत कर ।"

जितनी समितियां इस व्याख्या के अन्दर आती हैं उन समस्त समितियों को मेरा यह आदेश लागू होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, साफ नहीं हुआ । मेरा कहना यह है कि आप हाउस की कमेटीज के हाउस के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिये बनाते हैं और उनके चेयरमैन को आप नामांकित करते हैं । लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में श्रीमन्, डिपार्टमेन्ट का जो मिनिस्टर होता है वह उस डिपार्टमेन्ट को राय देने के लिये, उसको सलाह देने के लिये स्टैंडिंग कमेटी बनाता है । जिस रूलिंग का आपने हवाला दिया है उसमें स्टैंडिंग कमेटी के बारे में ऐसा विचार व्यक्त नहीं किया गया है । वह हाउस की कमेटीज के बारे में व्यक्त किया गया है और हमारे और वहां के फंक्शन में दोनों में फर्क है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि हाउस से बाहर की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं जिनका इन्चार्ज मिनिस्टर होता है अगर उस कमेटी की मीटिंग हो तो क्या उसमें वे सदस्य भाग ले सकते हैं या नहीं ? आपकी हाउस की कमेटीज में तो भाग नहीं ले सकते हैं आपके कथनानुसार लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में जिसका इन्चार्ज मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिये जो बनायी जाती हैं उसमें वह भाग ले सकते हैं या नहीं, इसका स्पष्टीकरण आप कर दें ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, जो आपने पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया है और एक अपनी रूलिंग भी पहली बतलायी है, उसमें हमको यह देखना है कि किस बात पर वह बेस्ड है । यह तो साधारण बुद्धि, कामनसेंस की बात है, किसी भी कमेटी में, चाहे वह स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे हाउस की कमेटी हो, जहां कहीं भी कोई मेम्बर कार्य करता है वह बहैसियत एम० एल० ए०, बहैसियत इस हाउस के मेम्बर, के करता है न कि कोई व्यक्तिगत रूप से । इसलिये अगर कोई वह एम० एल०ए० की हैसियत से कार्य करने के लिये वंचित किया जाता है सदन की ओर से तो उस समय तक जब तक कि वह निलम्बित हो, किसी भी कमेटी की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, यह कामनसेंस की बात है और पार्लियामेंन्ट्री प्रैक्टिस भी है । इसलिये जो आपकी रूलिंग है उसका मैं समर्थन करता हूं और वह बिलकुल ठीक है ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह चाहे जिस कमेटी में हों चाहे आपकी नामजद कमेटी हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे सेलेक्ट कमेटी हो, सबमें वह बहैसियत एम० एल० ए० के ही जाते हैं, सबकी बुनियाद हैसियत में एम० एल० ए० होना है और जब बुनियादी चीज मुअत्तल है तो फिर वह हर जगह से मुअत्तल हो जाते हैं । यही मैं अर्ज करना चाहता था ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

मान्यवर, जो आपने अपनी व्यवस्था दी उसमें पांडेय जी की बात से कुछ ऐसा मैं समझा कि उनको शायद कन्फ्यूजन यह है कि स्टैंडिंग कमेटी और जो हमारे हाउस की कमेटी होती है इनके अन्दर कुछ थोड़ा सा डिफरेंशियेशन वह करना चाहते हैं । लेकिन श्रीमन्, जितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं उन सबका चुनाव हाउस से होता है । कोई कमेटी ऐसी नहीं है जिसका चुनाव हाउस से नहीं होता है । और जैसा कि माननीय मुकन्दीलाल जी ने कहा, मैं भी ऐसा समझता हूं कि जब आप सस्पेंड करते हैं मेम्बर को तो जितनी पार्लियामेन्ट्री ऐक्टिविटीज हैं सबसे सस्पेंड वह हो जाता है और उसके मानी यह हैं कि जहां भी वह ऐज मेम्बर आफ दि हाउस जिन जिन कमेंटीज में है, वहां उसे कार्य करने का अधिकार नहीं होना चाहिये वरना सस्पेन्शन के कोई मानी ही नहीं होते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अब इस विषय में जैसा मैंने निवेदन किया कि सदन की सेवाओं से निलम्बित व्यक्ति किसी भी समिति में काम नहीं कर सकता जिससे कि सदन की सेवा होनी हो । अब अगर किसी विशेष कमेटी का प्रश्न आयेगा और उस पर आपत्ति होगी तब मैं उसका अन्तिम निर्णय दूंगा । इस समय तो सदन की समितियों की व्याख्या मैंने कर दी है और फिर जो जो मेरे सामने प्रश्न आता जायगा, उस पर निर्णय करता जाऊंगा कि वह इस सदन की है या कैसी है, यह बाद में देखा जायगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४*

†सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है । सन् १९०४ में यह सहकारी विधेयक बना और बहुत सी कमेटियां बनीं और आखिर में श्री निकलसन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर यह महसूस किया गया कि ग्रामीण काश्तकारों को कर्जा देने के लिये कोई व्यवस्था करना जरूरी है । १९०४ में कोआपरेटिव कानून बना लेकिन उसका लक्ष्य बिलकुल सीमित था । केवल इस प्रकार की सोसाइटीज देहातों में बनीं जो किसानों को कर्जा दे सकती थीं । १९१२ में यह महसूस किया गया कि प्रस्तुत कानून नाकाफी है और यह आवश्यक समझा गया कि सहकारी क्षेत्र में और भी कार्यों का समावेश किया जाय, जैसे कि मार्केटिंग आदि के कार्य । १९१२ में कोआपरेटिव का कानून पुनः संशोधित किया गया । १९१२ से अब तक उसी कानून के मातहत हमारे प्रदेश के अन्दर कार्य चलता रहा है । १९१२ से उस समय तक जब तक हमारे देश ने आजादी हासिल की कोआपरेटिव का कार्य धीरे-धीरे चलता रहा । १९४६ में सबसे पहले जब हमारे

---

*१९ अगस्त, १९६४ को कार्यवाही में छपा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश के विकास मंत्री डाक्टर काटजू थे, उन्होंने इस संबंध में कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश की । ग्राम सुधार विभाग को सहकारी विभाग में शामिल किया गया और एनीमल हसबैंडरी तथा कृषि विभाग के विकास के लिये सहकारी समितियों का इस्तेमाल किया गया । उस वक्त इस सदन ने इस सिद्धान्त को माना और बहुधंधी सहकारी समितियां स्थापित की गयीं। यह माना गया कि इन समितियों के द्वारा न केवल ऋण देने का काम हो बल्कि बीज गोदामों के द्वारा बीज भी दिया जाय तथा दूसरे अन्य कामों के लिये भी इनको इस्तेमाल किया जाय । लेकिन सहकारी आन्दोलन का असली विकास सन् १९५१ के बाद शुरू होता है । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तमाम ऋण व्यवस्था की जांच करने के लिये एक सर्वे कमेटी नियुक्त की । उसने रिपोर्ट दी कि सहकारी आन्दोलन को प्रदेशों में मजबूत बनाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार, इस सब की सहायता सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये मिले तथा उनको प्राविधिक परामर्श भी दिया जाय । आर्थिक क्षेत्र में कोआपरेटिव के आधार पर संगठन किया जाय ।

१—इसलिये जब कि दूसरी पंच वर्षीय योजना शुरू की गयी, १९५६ में कोआपरेटिव क्षेत्र में देहातों में ऋण देने के अतिरिक्त और भी कई काम आ गये । २—यह कि कोआपरेटिव फार्मिंग को संगठित किया जाय, ३—सहकारी आधार पर मार्केटिंग की व्यवस्था की जाय, ४—प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय, ५—कोआपरेटिव के आधार पर दूध की सप्लाई और दूध के प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाय । विशेष रूप से दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको बहुत महत्व दिया गया तथा इस बात का भी इसमें निर्देश दिया गया कि सहकारी आन्दोलन प्रत्येक गांव में पहुंचे । वहां सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज बनें तथा लार्ज साइज सोसाइटीज का क्षेत्र १५–२० ग्रामों के बराबर हो। जो ग्रामों में न केवल ऋण देने का कार्य करें, इम्प्लीमेंट्स देने, बीज देने, खाद देने तथा उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था करें ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में न केवल इन पांच लक्ष्यों पर जोर दिया गया बल्कि लेबर सोसाइटीज पर बल दिया गया और खास तौर से मिल्क सोसाइटीज को और ज्यादा मजबूत बनाने की बात सोची गयी । इस प्रकार के संघ स्थापित किये गये तथा वेअर हाउसेज के जरिये से किसानों और कोआपरेटिव सोसाइटीज के माल को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश की गयी । और कोआपरेटिव प्रशिक्षण की विस्तार के साथ कोशिश की गयी । इस दौरान में जो कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं उनके समय-समय पर सम्मेलन हुए और इस बात पर भी बल दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा कोआपरेटिव संस्थाओं का आन्दोलन गैर-सरकारी हाथों के अन्दर दिया जाय । इस समय जो हमारी कोआपरेटिव संस्थायें हैं—जैसे कोआपरेटिव फेडरेशन, केन फेडरेशन, औद्योगिक फेडरेशन इनका अध्यक्ष पहले रजिस्ट्रार होता था या जिला मैजिस्ट्रेट होता था । इस संबंध में यह कोशिश की गयी कि उनके स्थान पर इन संस्थाओं का संचालन गैर-सरकारी लोग करें वे ही इसके अध्यक्ष हों। इस बात पर भी बल दिया गया कि चाहे कोआपरेटिव आन्दोलन के अन्दर कोई दोष हो, खास तौर पर हमारे स्वर्गीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इस बात पर बल दिया कि हो सकता है कि सरकार के निर्देशन के अन्दर कोआपरेटिव सोसाइटीज सुचारू रूप से चलें और सहकारी आन्दोलन गैर-सरकारी लोगों के हाथों में आवे तो उसमें भूल करें, लेकिन फिर भी ऐसी हालत में सरकार को चाहिये कि वह न केवल उनकी आर्थिक सहायता करे बल्कि समय-समय पर उनको टेक्निकल असिस्टेन्स दे और उनको ऐडमिनिस्ट्रेटिव सहायता भी दे, लेकिन इस आन्दोलन की दिशा पूरी तरह से धीरे-धीरे गैर-सरकारी हाथों के अन्दर होनी चाहिये । यह सही है कि उसकी आडिटिंग, उसके इन्सपेक्शन व उसकी देख-रेख का इन्तजाम पूरी तरह से सरकार अपने हाथ में रखे, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कोआपरेटिव आन्दोलन में बराबर कोआपरेटिव निर्देशन के ऊपर बल हो कि किस आधार पर हम अपने सारे समाज का आर्थिक पुनर्निर्माण करना चाहते हैं । इसके लिये प्रशिक्षण द्वारा गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग द्वारा कोशिश की जाय ।

[श्री बनारसीदास]

अगर कोआपरेटिव आन्दोलन को गौर से देखा जाय तो इसके कई आर्थिक पहलू भी हैं जो कोआपरेटिव की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने विशेष रूप से इस बात का निश्चय किया कि बड़े बड़े शहरों में जहां की आबादी ५० हजार से ऊपर है, वहां कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स कायम किये जायं और उनके जरिये जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं को लोगों को सप्लाई करने की कोशिश की जाय। गवर्नमेन्ट की तरफ से उसको प्राथमिकता देने की बात थी ताकि जनता के उपभोग में आने वाली सारी आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर मिल सकें और स्थायी रूप से सारी चीजों के मूल्य भी निश्चित हो जायं। यह न हो कि युद्ध की परिस्थिति खतम होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाय। इसके लिये आवश्यक है कि न केवल हम जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करें, बल्कि जितनी उपयोग में आने वाली वस्तुयें हैं उनको सप्लाई करने की भी कोशिश करें। पहले जमाने में जो हमारा आर्थिक जीवन चलता था वह सप्लाई और डिमान्ड के आधार पर चलता था, लेकिन अब वह चीज नहीं है। आज तो जीवन का आधार यह है कि उत्पादन के आधार पर किस तरह से कीमतें निश्चित की जायं। आज किसी चीज का भाव कुछ है और दूसरे ही दिन उसका भाव बहुत ऊंचा चढ़ जाता है। पहले के जमाने में मुनाफाखोरी वाली पद्धति भले ही ठीक समझी जाती रही हो, लेकिन आज के जमाने में वह बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है आज-कल के जमाने में जरूरत इस बात की है कि मुनाफाखोरी पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो और सारे के सारे उत्पादन और वितरण का कार्य सरकार अपने हाथ में ले ले। उसके लिये अवश्यक है कि उत्पादन व वितरण के जितने भी साधन हैं उन पर डेमोक्रेटिक तरीके से जनता का नियंत्रण हो। वह आधार जिसके द्वारा नियंत्रण, वितरण और उत्पादन पर समाज का काबू हो सकता है वह केवल सहकारिता का ही आधार है और उसको ही अपना-कर हम सफल हो सकते हैं। इस तरह से जब सर्वांगीण रूप से जनता स्वयं जागृत, प्रबुद्ध और प्रशिक्षित होकर सारे कार्य को अपने हाथ में लेगी और सहायक समितियों के द्वारा उत्पादन हो, वितरण भी उसी के द्वारा हो और जितनी भी और उत्पादन की इकाइयां हैं वे सब सहकारिता के आधार पर संगठित हों, ताकि बीच के लोग खत्म हो जायं। इस बीच में इस आन्दोलन ने बहुत प्रगति की है। यदि मैं आपके सामने इन ५-६ साल के आंकड़े रखूं तो बावजूद कुछ कमजोरियों के काफी प्रगति दिखाई देगी। सन् ५९ में कुल प्रदेश के सदस्यों की संख्या ३२ लाख थी और अब वह ५ साल के भीतर ७० लाख हो गई है, शेयर कैपिटल कुल १५ करोड़ रुपया था जो अब बढ़ कर ३४ करोड़ हो गया है। बावजूद तमाम आलोचनाओं के और खामियों के सहकारिता में जनता की आस्था और साख कितनी बढ़ी है इसका अन्दाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ५९ तक हमारी तमाम संस्थाओं में कुल धरोहर १५ करोड़ थी जो अब बढ़ कर ४५ करोड़ हो गई है और अपनी पूंजी जो ५९ में २० करोड़ थी और जो अब संचित होकर सन् ६४ में ५० करोड़ हो गई है। कारोबार की पूंजी जो सन् ५९ में ६६ करोड़ थी वह अब बढ़ कर २ अरब हो गई है, इसी तरह से लाभ जो ५९ में २ करोड़ था वह साढ़े ४ करोड़ हो गया है।

एक खास उन्नति इस दिशा में भी हुई है कि हमारे यहां दूध की यूनियन्स तेजी से बढ़ रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी फैसला किया है और खास तौर से जिस तरह से गुजरात मिल्क सप्लाई योजना चलाई गई है उसी तरह से ४००० मन की सप्लाई दिल्ली मिल्क सप्लाई यूनियन के द्वारा होती है और केन्द्रीय सरकार चाहती है कि दिल्ली को दूध की सप्लाई प्रदेश की सहकारी यूनियन करे। हमारे यहां दिल्ली मिल्क सप्लाई का काम ८ यूनियनें करती हैं। मेरठ और बुलन्दशहर में, ३-४ और बन रही हैं और अभी तक उनका संबंध दिल्ली मिल्क यूनियन से है। अभी जो कांफ्रेंस हुई थी वहां भी इस पर विचार हुआ

था। हमारे चिलिंग सेन्टर भी ८-१० जगह काम कर रहे हैं। यह भी फैसला हुआ है कि दिल्ली की सप्लाई का काम यू० पी० सरकार के हवाले किया जाय। इधर २ साल में केवल दिल्ली को दूध की सप्लाई की मात्रा ४ हजार मन हो गई और केन्द्रीय सरकार की बातचीत के बाद अब हम प्रासेसिंग का एक कारखाना मेरठ डिवीजन में लगाने जा रहे हैं, जाड़ों में जो अधिक दूध होता है उससे हम सूखा दूध बनायेंगे और दूध की अन्य प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। इसलिये अब सब से अधिक बल दूध के प्रासेसिंग पर दिया गया है। हमने इसके लिये फेडरेशन बनाये हैं, हमारे यहां सब से पहले डेरी फेडरेशन कायम किये गये हैं और उन्होंने अपने नक्शे बनाकर दिये हैं और अपने यहां इमारतें बनवाई हैं। जिसमें २ करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। हमारे यहां की इमारतों और उसके माडल को देखकर केन्द्रीय सरकार ने उसी तरह के मिल्क फेडरेशन दूसरे प्रदेशों में भी बनवाये हैं।

आखिर को सारे देश में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कृषि को और उत्पादन को इसके साथ लिंक किया जाय और वसूलयाबी को भी मार्केटिंग के साथ लिंक किया जाय। इस तरह से कोआपरेटिव मार्केटिंग और प्रासेसिंग यूनिट्स मार्केटिंग के काम से जुड़े हैं, हमारे यहां १९८ मार्केटिंग सोसाइटीज काम कर रही हैं। गत वर्ष हमें गर्व है कि सारे भारत में मारकेटिंग ने हमारे प्रदेश में ११ करोड़ रुपये का काम किया। उसके बाद में थोड़ा बहुत काम गुजरात में हुआ। हमारा लक्ष्य था कि तृतीय योजना के अन्त तक हम १३ करोड़ रुपये का माल हैंडिल करें। मुझे विश्वास है कि हम इतने का माल अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से हैंडिल कर पायेंगे। हम चाहते हैं कि किसान का उत्पादन, जिसके लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज कर्जा देती है वह मारकेटिंग सोसाइटीज के जरिये से वसूल किया जा सके। मारकेटिंग सोसाइटीज के जरिये इस साल प्रदेश में केन्द्रीय बैंक ने करीब ४८ करोड़ रु० एडवांस किया उसमें से २०-२२ फी सदी मारकेटिंग सोसाइटीज में उनके माल के जरिये वसूल किया गया। तो मारकेटिंग सोसाइटीज बढ़ रही हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रही हैं और आखिर में राइस फैक्ट्रीज को सहकारिता क्षेत्र में लेने के लिये हमारा प्रयत्न है ताकि धान प्रोसेसिंग के लिये सहकारी क्षेत्र में कारखाना कायम किया जाय। केन प्रोसेसिंग के लिये हमारे प्रदेश में सहकारी मिलें काम कर रही हैं और १ और बना रहे हैं। हम चाहते हैं और ज्यादा मिलें इस क्षेत्र में लगें।

इसी तरह से इटावा में स्पिनिंग फैक्ट्री काम कर रही है। इसी तरह की और फैक्ट्रीज सहकारी आधार पर कायम करना चाहते हैं। तो १९०४ और १९१२ में सहकारिता आन्दोलन की जो हालत थी उससे कहीं बढ़ गयी है। आज कोई आर्थिक पहलू नहीं है जिसको सहकारिता आन्दोलन न छूता हो। यह मौजूदा कानून प्रथम बुनियाद है। सन् १९६० में एक कानून पर संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की जिसने रिपोर्ट १९६१ में दी, लेकिन उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया और वह अधिनियम बन कर लागू नहीं हो पाया क्योंकि एक दम चुनाव हो गये इसलिये १९६१ में संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट लैप्स हो गयी। यदि आम चुनाव न होते तो वह कानून अमल में होता। इसलिये हमारे सामने १९१२ का कानून मूल रूप से संशोधित शक्ल में आया है। मौजूदा कानून में कोआपरेटिव कानून के लिये जो कमेटी केन्द्रीय सरकार ने बनायी, या कोआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिये बी० एल० मेहता कमेटी जो बनी उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा जो संयुक्त प्रवर समिति ने सिफारिशें कीं, केन्द्रीय सरकार के जो सुझाव हैं और दूसरे प्रदेश में जो कोआपरेटिव के कानून बने हैं उन सब अनुभवों से फायदा उठा करके हमने इस बिल में नये नये संशोधन का समावेश किया है। पहली जो संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट थी उसमें एक अंग लैन्ड मार्गेज बैंक से संबंधित था, लेकिन चूंकि उसके संबंध में हम अलग से विधेयक पास कर चुके हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गयी इसलिये मौजूदा विधेयक में से भूमि विकास बैंक से संबंधित जितनी धारायें थीं उनको

[श्री बनारसीदास]

निकाल दिया गया है और पृथक् से एक विधेयक के मातहत भूमि प्रबन्धक बैंक कायम करने जा रहे हैं।

इसकी विशेषता यह है कि इसके अन्दर पहले जैसा होता था कि जितनी संघीय संस्थायें होती थीं जैसे जिला विकास संघ, मार्केटिंग फेडरेशन व्यक्तिगत सदस्य हो सकते थे। अब उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया है कि केवल कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशन ही कोआपरेटिव सोसाइटीज के किसी संघ या संस्था का सदस्य हो सकता है।

दूसरे कनज्यूमर्स व्यापक नामिनल सदस्य नहीं हो सकते थे, एसोसियेट नहीं हो सकते थे। कोई कन्ज्यूमर्स स्टोर्स से सामान लेना चाहता तो नहीं ले पाता था। इस विधेयक से वह अब एसोसियेट सदस्य बन सकता है। इसकी इजाजत इसमें दी गयी है। वोट देने के संबंध में भी इसमें व्यवस्था की गयी है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि एक कोआपरेटिव फेडरेशन बैंक में भाग लेने वाले व्यक्ति का भी एक मत है। अब देश में चीजों के भाव काफी हो गये हैं। इसमें पहले १ हजार के शेयर खरीदे जा सकते थे और अब उसको ५ हजार शेयर्स में कर दिया गया है। पहले जितने रजिस्ट्रार के अधिकार थे उनके आर्डर्स के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता था। अब हमने रजिस्ट्रार के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये एक कोआपरेटिव ट्रिब्युनल की व्यवस्था कर दी है। उसके सामने रजिस्ट्रार के अधिकारों के निर्णय को ले जा सकेंगे उस पर वह एवार्ड दे सकेगा, सस्पेन्शन या सुपरसेशन या उसको भंग करने के जितने भी फैसले होंगे, इस विधेयक द्वारा ट्रिब्युनल के सामने जा सकेंगे। कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां भी हमारे सामने आईं कि कोई सोसाइटी वाइन्ड-अप पहले हो तब उसको देखा जा सकता है। पर इस विधेयक में हमने कर दिया है कि पहले हम उसको देखें। आज जैसे जैसे कोआरेटिव का कार्य बढ़ता चला जाता है उसमें सुधार होते जाते हैं। जगह जगह गबन की शिकायतें होती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आडिट के इन्सपेक्शन की जो अभी तक व्यवस्था थी और जो अपूर्ण थी, उसको भी पूर्ण बनाने के लिये इस विधेयक में अधिकार दिये गये हैं। कुछ व्यक्तियो ने कोआपरेटिव सोसाइटीज को अपने परिवार की मोनोपाली बना रखा है। इस विधेयक में अधिकार दिये गये हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सदस्य हो सकता है और वह अपील ला सकता है। इस प्रकार से कहीं पर भी कोई सोसाइटी है उसमें सीमित क्षेत्र नहीं रह सकता है। दूसरे सदस्य भी उसके अन्दर शामिल हो सकते हैं। राज्य के अनुदान और सहायता के लिये भी कोई प्राविधान पहले नहीं था। मौजूदा कानून के जरिये इसमें ऐसा कर दिया गया है सरकार अब शेयर्स खरीद सकती है, ग्रान्ट इन एड दे सकती है। उसमें मदद कर सकती है।

कोआपरेटिव फार्मिग का इसमें कोई प्राविधान नहीं था। मौजूदा कानून में इस प्रकार का भी प्राविधान किया गया है। यानी जैसा मैंने निवेदन किया कि आज सबसे बड़ी क्रान्ति जो कि हम अपने समाज में लाना चाहते हैं वह यह है कि उत्पादन बढ़े और संकीर्णता से ऊपर उठे और वह आधार बन सके जिसके द्वारा समाज को ऊपर उठा सकें, समाज में उनको वस्तुएं मिल सकें, उनको काम मिल सके। ऐसे समाज के लिये जो पुरानी आर्थिक व्यवस्था थी, पुराने व्यापार का ढंग था उसको हमें बदलना होगा। वह आमूल परिवर्तन क्या होगा? हमको उत्पादन और वितरण पर कंट्रोल करना होगा और यह भी देखना होगा कि स्टेट कैपिटलिज्म के आधार पर व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का हरण न हो जाय। इसलिये कोआपरेटिव एक दर्शन है। इसके आधार पर हम एक समाज की पुनर्व्यवस्था कर सकते हैं। कानून की एक दिशा दिखा सकते हैं। केवल निर्देशन के लिये अनुबन्धक के लिये एक किताब की धाराओं के अन्दर क्रान्ति की चिन्गारी को दिखाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिल पायेगी।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

जरूरत इस बात की है कि हम एक आधार बनायें जिससे सहकारिता का आन्दोलन एक स्वस्थ तथा मजबूत दिशा की ओर चल सके। और प्रदेशों में जैसे कानून पास किये गये हैं उनकी धाराओं का भी समावेश करके यह विधेयक आपके सामने पेश किया जा रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण कानून है इसलिये पहले भी प्रवर समिति इस पर गौर कर चुकी है। चार पांच साल के अन्दर जो तब्दीलियां हुईं और क्या क्या नई-नई बातों का समावेश किया गया वह इस विधेयक में प्रस्तुत है। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और जब शरदकालीन अधिवेशन हो तब इस विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट हमारे सामने पेश हो। उस पर विचार करने के पश्चात् यह अधिनियम बन सकेगा और उसके मुताबिक सारे प्रदेश के अन्दर सहकारी आन्दोलन चलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सेक्शन ९६ में न्यायाधिकरन का प्राविजन किया है। तो क्या आप उनको नामिनेट करेंगे अपने अधिकारियों में से या जो जजेज हैं उनमें से लेंगे ?

श्री बनारसीदास--

बार्ड की जो व्यवस्था की है उसमें यह नहीं लिखा है कि किस को हम नियुक्त करेंगे ? लेबर में आम तौर से हम रिटायर्ड जजेज या अन्य जजेज को रखते हैं। आम तौर से जुडीशियरी के आदमी रखते हैं। लेकिन इस पर बाद में विचार करके जो सबसे अधिक उपयुक्त होगा वह करेंगे। इस वक्त इसमें यह प्रोवाइड नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कमलासिंह यादव, रियासत हुसैन और होरीलाल। इन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखा था, किन्तु ये उपस्थित नहीं हैं। इसलिये माननीय मंत्री के प्रस्ताव पर जो माननीय सदस्य विचार व्यक्त करना चाहे, खड़े हो जायं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस सदन में पेश किया गया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और इसके अलावा जो प्रस्ताव किया गया है कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय उसका मैं समर्थन करता हूं। इस विधेयक को दरअसल कई वर्ष पहले इस सदन में पेश हो जाना चाहिये था, क्योंकि समाज और मुल्क की परिस्थितियां इतनी आगे बढ़ गयी हैं कि जो मौजूदा कानून कोआपरेशन पर हमारे प्रदेश में लागू हैं वह नाकाफी हो चुके हैं। उसके नतायज हम देखते हैं कि कोआपरेटिव सेक्टर में जितनी संस्थायें हैं, जितना भी कार्य क्षेत्र इसका विस्तृत रूप से बढ़ा है हर जगह हमें अव्यवस्था नजर आती है।

इतने समय के बाद जब यह कानून बनान जा रहे हैं और यह बिल पेश किया जा रहा है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं कि बढ़ती हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए जल्द से जल्द इस को पास किया जाना चाहिए और बड़ी कमियां और खामियां, जो कोआपरेटिव में दिखायी पड़ती हैं, उनके ऊपर अवश्य दृष्टिपात होना चाहिए और जब तक उन को दूर करने के लिए इस विधेयक के अन्दर नये प्राविजन नहीं रखे जायेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हमारे इस ऐक्ट में भी कमियाँ और खामियां रह जांयगी, जो कि हर समय हम को महसूस होने लगेंगी। इसलिए मैं कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में जो प्रवर समिति में भेजा जा रहा है कम से कम इन बातों का समावेश किया जाना चाहिए जो नितांत आवश्यक है, कोआपरेटिव ऐक्टीविटीज को गति देने के लिए और मजबूती से उन को आगे बढ़ाने के लिए कोआपरेशन एक मीन्स ही नहीं है, बल्कि एन्ड भी है। इन दोनों को एचीव करने के लिए जो कोआपरेटिव का प्रिंसिपल है वह एक प्राकृतिक नियम है और विश्व की सृष्टि

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

में विधान विहित है। यह कोई नयी चीज नहीं है। सब से पहले कोआपरेशन का काम जर्मनी में शुरू किया गया था और बहुत वर्षों के बाद हमारे देश में शुरू किया गया। परन्तु असली बात यह है कि कोआपरेशन विधि के विधान में निहित है। विश्व के अन्दर हर वस्तु में एक कोआपरेशन है। मर्द और स्त्री के कोआपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं कोआपरेशन से फसल पैदा होती है और सृष्टि की हर वस्तु में कोआपरेशन दिखायी पड़ता है। मैं समझता हूं कि कोई भी सुन्दर और मजबूत वस्तु इस संसार में जो हम लोगों के लिए उपयोगी साबित होती है वह कोआपरेशन के द्वारा ही उपस्थित की जा सकती है।

श्रीमन्, हम जो कानून बनाने जा रहे हैं, उसकी बड़ी भारी अहमियत है और मैं समझता हूं कि जनता के जीवन को सुचारु रूप से संचालन करने के लिए, उसके अन्दर सुन्दरता पैदा करने के लिए, उस के अन्दर सहकारिता के भावना जगाने के लिए और मजबूत कदम बढ़ाने के लिए जो सहकारिता के आन्दोलन के लिए अत्यन्त आवश्यक है और इसका क्षेत्र जो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। आज हम सारे देश के हर व्यक्ति को कोआपरेटिव एक्टीविटीज से कवर करना चाहते हैं। अब तक जितना कवरेज हुआ है वह कम नहीं हुआ है। आने वाले चन्द वर्षों में हमारे देश का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो कोआपरेटिव एक्टीविटीज के बाहर रह जायगा। परन्तु यह नाकाफी है कि हमारे दिमाग के अन्दर कोआपरेटिव एक्टीविटीज की सुन्दर तस्वीर हो और उस सुन्दर तस्वीर को हम आने वाली सन्तान और समाज को इस कानून के रूप में पेश करें तो हम देखते हैं कि वही बात होती है जैसे कि कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने चुन-चुन कर दुनिया की सारी सुन्दर बातों को रखकर उस को एक सुन्दरता का पुंज बना दिया, लेकिन जब उसको कार्य रूप में परिणित करने की बात होती है तो हमें बड़ी कमियां और खामियां नजर आती हैं। जैसे इसी माननीय सदन में हम ने देखा कि प्रजातन्त्र को मजबूती के साथ चलाने के लिए हमारे कदम डगमगाते हैं। इसका कारण यह है कि जो हमारी व्यवस्थायें हैं वे अव्यवहारिक हैं और व्यवहारिकता से बहुत दूर हैं। हम आदर्शवाद की ऊंची उड़ान को लेकर मुल्क में व्यवस्था कर सकेंगे, इस में मेरा अधिक विश्वास नहीं है। हमारे काम वही होने चाहिए जो व्यवहारिक हो सकते हों। इसलिए मैं मानता हूं कि उच्च आदर्शों को कानून में वहीं तक स्थान देना चाहिए जहां तक व्यवहारिक हो।

इसलिए श्रीमन्, पहली बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि कोआपरटिव क्षेत्र के चारों तरफ जो विचार और भाव बढ़ते चले आ रहे हैं, मैं समझता हूं उनको सम्हालने के लिए और उस से काम लेने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे प्रकार के कानून को बनाया जाय जिससे हमारे देश के अन्दर समृद्धि हो। हमारे समाज के विक्षिप्त जीवन के अन्दर नवीन स्फूर्ति आवे उसके लिए आवश्यक है कि कोआपरेटिव के जो प्रिंसिपिल्स हैं उनको साउन्ड बेसिस पर कानूनी रूप दिया जाय। हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार भी इस बात की हामी है कि जनजीवन को मजबूत बनाने के लिए कोआपरेटिव ऐक्टिविटीज को समृद्ध किया जाय और कोआपरेटिव को हर क्षेत्र में प्रिफरेंस दिया जाय। मेरी समझ में वह व्यवस्था कानून की नहीं आती जिस की व्यवस्था को इन्फोर्स न किया जा सके। आज वस्तुस्थिति यह है कि हमारे हर डिपार्टमेंट के हेड्स आदर्शवाद के तो हामी हैं कि कोआपरेटिव को प्रोत्साहन मिले, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस खाई को जो सिद्धान्त और आदर्श में एक ओर और व्यवहार में दूसरी ओर पड़ी है, उसको पाटना है। हमारे दिल दिमाग में जो कोआपरेटिव की तस्वीर है और जो उसका व्यवहारिक रूप है उस में सामंजस्य लाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने माननीय सदस्यों से दस्तबस्ता दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज जहां हिन्दुस्तान के कोने-कोने में कोआपरेटिव सोसाइटीज हों, वहां यह भी जरूरी है कि उनके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो।

हम चाहते हैं कि पी० डब्लू० डी०, जंगलात, इर्रीगेशन विभाग के जितने ठेके हैं, चाहे वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे प्रदेशीय सरकार के, बिल्डिंग के हों, सड़कों के हों, नहरों के हों या दूसरे जितने काम ठेके से सरकारी होते हैं वे अगर कोआपरेटिव्ज के जरिये से हो सकते हों, तो उनको उसी प्रकार करने दिया जाय जिस प्रकार कि ठेकेदारों के द्वारा इन कामों को सरकार कराती है। बल्कि, उन कामों के लिए कोआपरेटिव्ज को प्रायरिटी दी जानी चाहिए। लकिन जब हम इसे व्यवहार में देखते हैं तो चारों तरफ निराशा मिलती है। हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स बजाय हेल्पिंग हैन्ड कोआपरेटिव को देने के कोआपरेटिव के नाम पर उन के दिल में एक चोट सी लगती है और ऐसा काम करते हैं जैसे मानों कोआपरेटिव को प्रोत्साहन देने से उनके डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज खत्म हो रही है। वह यह कहते हैं कि कोआपरेटिव के द्वारा काम सन्तोष-जनक नहीं होता, जो कतई गलत है। मैं इसलिए दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगा कि कोआपरेटिव को हरा भरा करने के लिए यह कदम फौरन उठाना चाहिए कि कोई भी काम जो मुल्क की उन्नति के लिए किया जा रहा है उसको थोड़ा-सा कष्ट उठाकर भी कोआपरेटिव के जरिये करावे, क्योंकि आज जहां कैपिटलिस्ट्स हुआ करते हैं वहां अगर गवर्नमेंट कोआपरेटिव सोसाइटीज की प्रोटेक्शन नहीं देती तो इस तरह की सस्थायें कभी भी उस कम्पिटीशन को स्टैण्ड नहीं कर सकतीं।

हमारे मंत्री जी ने जो लिस्ट पढ़ी उसमें हम देखते हैं कि कोआपरेटिव्ज बैंक्स हैं, कोआपरेटिव फेडरेशन है, मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, प्रोडक्शन करने वाली सोसाइटीज हैं, लेकिन इस में बुरा मानने की बात नहीं है, मिनिस्टर महोदय के नाराज होने की बात नहीं है, न माननीय सदस्यों के समझने की यह बात है कि मैं कोआपरेटिव मूवमेंट को डिसकरेज करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हमें अपने मुल्क की ठीक व्यवस्था करनी है तो कोआपरेटिव मूवमेंट को बहुत साउन्ड बेसिस पर चलाना चाहिए। क्योंकि आप यह देखेंगे कि ये जितनी कोआपरेटिव्ज हैं यह ओपिन मारकेट के कम्पिटीशन में खड़ी नहीं हो सकती ह। अगर आप ने ओपेन मार्केट में खुली छूट दे दी बिजिनेस मैगनेट को और दूसरी संस्थाओं को तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आप की एक भी कोआपरेटिव खड़ी नहीं रह सकती है। मेरे कहने का मतबल यह है कि जो चीज आप कोआपरेटिव बाडी के द्वारा जनता में बांटना चाहते हैं तो उन को ऐसी सहूलियत मिलनी चाहिए जो प्रोटेक्टिव नेचर की हों। अगर यह सरकार चाहती है कि जनता को कोआपरेटिव बाडी के द्वारा सहूलियत पहुंचे और वह सब सामान पहुंचे जो सरकार जनता को देना चाहती है, तो आप को ऐसी प्रोटेक्टिव नेचर की सहूलियत कोआपरेटिव बाडी को देना पड़ेगा जिससे उनकी बराबरी में आकर कोई ट्रेडर या कैपिटलिस्ट उनको कम्पिटीशन में गिरा न सकें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर हमारे देश में ये कोआपरेटिव पनप नहीं सकती है। अगर पनपेगी तो लड़खड़ाती हालत में ही आगे चलेगी जिस हालत में वह आज चल रही हैं। सरकार के ऊपर इस बात का उत्तरदायित्व है कि इन कोआपरेटिव्ज की समृद्धि को किसी न किसी तरह से बचाया जाय और बचाया ही न जाय बल्कि उस को और आगे बढ़ाना चाहिए।

जो लूप होल हमारे कोआपरेटिव ऐक्ट में रह गये हैं जिन लूप होल का ऐडवान्टेज कोआपरेटिव के अधिकारी उठाते थे, मिल जुल कर वे करोड़ों और अरबों की सम्पत्ति कोआपरेटिव के खजाने से अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुरा लिया करते थे, उन लूप होल्स को दूर किया जाना चाहिए, बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारा नया कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए कि पुराने कानून के मातहत जिन लोगों ने रुपया चुराया है वह उस कानून के मातहत उन से लौटाया जा सके। लाखों और करोड़ों रुपया लोगों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए चराया है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो सम्पत्ति लाखों और करोड़ों रुपये की हमारे खजाने से निकल गयी है उसको वापस लाने का प्रयत्न होना चाहिए और यह वापस लाने का हमारा उत्तरदायित्व है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम उसके लिए नाकाबिल साबित होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कोआपरेटिव के कानून में कमियां हैं उनको दूर किया

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जाय और रिकवरी के लिए समुचित व्यवस्था इस कानून में अवश्य बनायी जानी चाहिए।

मेरा अपना अनुभव यह है कि जो मिल्क यूनियन हैं उनके जितने अफसर हैं और जितने सरकारी नौकर हैं वे सब आपस में मिल कर चोरी, डकैती इस मुल्क की यूनियनों में डाल रहे हैं। मुझे देखकर दुख होता है कि इन मिल्क यूनियन के जितने एम्प्लाई हैं, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद में मैंने देखा है कि न उनके बाप का पता है और न उनके गांव का पता है। गांव का नाम पता नहीं, जिला मालूम नहीं, जात का पता नहीं। उन को दूध डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए दिया गया और हिसाब किताब भी उन के जिम्मे कर दिया गया। नतीजा यह है कि किसी के पास ६,०००, किसी के पास ८,००० और किसी के पास १०,००० रुपया रहा और वे लापता हो गये। डाइरेक्टर, मैनेजिन्ग डाइरेक्टर भी ऐसे हैं कि जो ४०, ६० और ८० हजार रुपया ले कर लापता हुये हैं। वह सब हजम हो गया। इस प्रकार की अव्यवस्था अगर यहां चली और अगर यही हमारी विजिलेन्स रही तो गाड़ी चलेगी नहीं। आप के कर्मचारियों के पूरे नाम, पते आप के पास होने चाहिए, उन की जमानत होनी चाहिए, पूरी लिखत पढ़त होनी चाहिए। जो उन के सरकारी इन्चार्ज थे उन के लिए मैंने सरकार को लिखा कि उन से पूरी इन्क्वायरी करायी जाय और यूनियन का पूरा रुपया वापस आना चाहिए। मिनिस्टर कोआपरेशन इस दिशा में सख्त कदम उठायें। मैं चाहता हूं कि यह काम देश में चारों ओर फैले, लोगों को इस से प्रेरणा मिल और आप के कार्यों में स्थायित्व और सुन्दरता हो ताकि लोग आप का अनुकरण करें। कोआपरेशन के द्वारा हम वह बड़े-बड़े काम कर सकते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते।

अन्त में मैं यह सद्कामना करता हूं कि यह विभाग तरक्की करे और हमारा कानून सुन्दर तरीके से पास हो। जब यह प्रवर समिति में जाने वाला है तो मैं यह भी चाहता हू कि मंत्री जी जरा अपने विचारों को जरा जनरल और चैरिटेबिल बनायें ताकि किसी नयी बात के परिधि में न आने के कारण इस में आने से रोका न जा सके, इसलिए कि हम को एक नयी व्यवस्था करना और उस के लिए जो बात आवश्यक है उस को इस बिल में अवश्य इन कारपोरेट करना चाहिए।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोआपरेटिव सोसइटी का नाम लेते ही मेरे तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जहां यह सोसाइटियां काम कर रही हैं उसका नाम रख दिया है अफसरों का चरागाह। इन सोसाइटियों की वजह से हमारी आजादी को जितना धक्का लगा है और जितनी परेशानी इन की वजह से पैदा हो गयी है उस से मैं बहुत घबराता हूं। विरोधी दल की बेंचें खाली होने के कारण कांग्रेस पार्टी के जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी है, इसलिए मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये उन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसलिए कि विरोधियों का काम भी उन्हें ही पूरा करना है। कोआपरेटिव मूवमेंट के कारण जो परेशानियां पैदा हो गयी हैं, उन्हें देखते हुए मुझे तो भय है कि कहीं यह जनतंत्र ही न समाप्त हो जाय। आप गांव में चले जाइये। वहां आप को ८५ प्रतिशत सोसाइटियां ऐसी मिलेंगी कि जिन में गबन है, भ्रष्टाचार है, जाल है और हमारी सरकार का कोई ध्यान उस तरफ नहीं है। मैं सच कहता हूं कि अगर लेजिस्लेचर पार्टी, कांग्रेस में दम होता तो कई मन्त्री निकाल दिये गये होते अब तक, मगर वह सो रही है, उस को नींद आ गयी है। आप को याद होगा, हमारे रेल मंत्री थे माननीय लाल बहादुर शास्त्री, जो आज प्रधान मन्त्री हैं। न वे ड्राइवर थे, न कंडक्टर थे, न गार्ड थे, न एक लोहे की चूड़ी ऐंठ सकते थे, मगर ३–४ रेल दुर्घटनायें हो गयीं और उन्होंने इस्तीफा दाखिल कर दिया। मैं भूल गया, वर्ना उनका पत्र ले आता, और यहां पढ़ कर सुनाता। मैंने उन को लिखा था कि आप की क्या जिम्मेदारी है, आप ने क्यों इस्तीफा दाखिल कर दिया, आप नहीं मन्त्री होंगे, तो कौन रहेगा? तब मैं विरोधी दल में था। उन्होंने जवाब दिया कि "३–३ रेल ऐक्सीडेंट

हो गये और मैं मिनिस्टर था। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और मैं इस काम के बोझ से अब हलका होना चाहता हूं। मुझे बहुत बड़ा दुख है, इसलिए मैं इस काम को अब नहीं संभाल सकता हूं।" हमारा सारा समाज आज भूखों मर रहा है। विरोधी दल यहां नहीं है। हमारे मन्त्री जी बैठे हैं, उनकी प्रतिष्ठा इसी में थी कि उनको इस्तीफा दाखिल करना चाहिए था। अगर वह नहीं करते हैं तो लेजिस्लेचर पार्टी का कर्तव्य था कि कांग्रेस की इज्जत रखने के लिए उन से पार्टी मीटिंग में कहा जाता कि आप इस्तीफा दाखिल कर दीजिये इस तरह से परम्परा बनती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप खाद्य समस्या पर बोल रहे हैं?

श्री उमाशंकर—

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे काम होता है। कोआपरेटिव मूवमेंट में भी इसी तरह से चल रहा है। माननीय बनारसी दास नये मिनिस्टर हैं, इनकी अभी कोई खास जिम्मेदारी ऐसी नहीं है जिसके लिए इन को कुछ कहा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा आग्रह होगा कि जो सहकारी बिल है और उस के बारे में जो प्रस्ताव हैं मन्त्री जी का उसी तक आप अपने को सीमित रखिये।

श्री उमाशंकर—

मैं उसी पर बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो गति-विधि है उस पर अच्छी तरह से प्रकाश पड़े ताकि यह विधेयक जो प्रवर समिति में जाने वाला है उसमें मंत्री जी कुछ ऐसे सूझ-बूझ के सदस्य रखें जो पिछली गलतियों को देख कर के उसकी रोशनी में इसको दुरुस्त करें। कहने को तो कोआपरेटिव सोसाइटियों को बड़ा आर्थिक अधिकार दे रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से नहीं। आप चले जाइये गांव में और गांव वालों से पूछिये तो लोग यही कहेंगे कि इसकी वजह से हमारा गला फंस गया, हम परेशान हो गये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो रुपया सहकारी समितियों द्वारा दिया जाता है उस में इन अफसरान का तथा उसके पदाधिकारियों का हिस्सा होता है। ५ साल के अन्दर यह बात जरूर है कि संख्या सदस्यों की बढ़ी है, लेकिन कौन सदस्य? जिनको असली जरूरत है, जिनको चाहिए उनकी संख्या नहीं बढ़ी है। आप बता नहीं सकते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ने कितने कुएं बनवाये, कितने ट्यूब वेल बनाये, कितने रहट खरीदे हैं या मेम्बरान को मुनाफे का कुछ पैसा भी बंटा है। मैं भुक्तभोगी हूं। मैं आजमगढ़ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी का गठन कर्त्ता रह चुका हूं। मैं परेशान हो गया। दरवाजे-दरवाजे घूम-घूम कर १०-१० रुपये के शेयर दिलवाये सब को।

अब तो वह तकाजा करना भी छोड़ दिये हैं। लेकिन बहुत पहले लोग कहा करते थे कि हमारा १० रु० वापस हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन वह भी शेयर के १० रु० वापस नहीं हुये, मुनाफा तो दूर जाने दीजिये। इसलिये अगर कहीं विधान बन गया तो और भी परेशानी होगी और मैं आप को बताना चाहता हूं कि यह कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह इस पर ध्यान दे। मैं इसे विश्वास के साथ कहना हूं कि आगे के १० वर्षों में कांग्रेस के लिए जीवन मरण का सवाल है। जैसा विकास चल रहा है और वह जिस प्रगति के साथ चल रहा है, सोसाइटियां जिस प्रगति से चल रही हैं, यदि यही प्रगति रही तो इस जनतन्त्र की मृत्यु हो जायेगी, बच नहीं सकता और हम को यह कलंक लग जायगा।

जो हमको टीका लगा है कि अंग्रेजों को भगाकर के इस मुल्क में आजादी कायम किया, आजादी लाये और आजादी के लिए अनेकों मुसीबतें सही। उसी तरह से हमको कलंक लगेगा

[श्री उमाशंकर]

कि हमने जीते जी इस आजादी को खो दिया। मैं यहां कांग्रेस पार्टी में किसी स्वार्थ के कारण नहीं आया हूं, न मैं किसी कमेटी का मेम्बर होना चाहता हूं, न मुझे कोई पद लेना है। मैं आप से यह भी कह रहा हूं कि मैं विधान सभा के टिकट के लिए दौड़-धूप भी नहीं कर सकता हूं। मैंने तो स्पष्ट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों से कह दिया था कि अगर उसे जरूरत हो तो कि मुझे खड़ा होना चाहिए और वह कहें तब ही मैं खड़ा हो सकता हूं। कांग्रेस में भी मैं अपना यही रवैया रखूंगा। मैं कांग्रेस में किसी लालच से नहीं आया हूं, केवल इसलिए आ गया हूं कि जनतन्त्र अब कांग्रेस की जिन्दगी के साथ नत्थी हो गया है। इधर विरोधी दल के जो लोग बैठे हुये हैं, उनको मैं जनतान्त्रिक समझता नहीं हूं। एक सर्व हारा की डिक्टेटरशिप चाहता है, कोई चाहता है कि नाजिज्म जैसा समाजवाद हो जाय और कोई मुसोलिनी जैसा समाजवाद यहां लाना चाहता है। इसलिए जब मैं यह समझ गया कि ५ वर्ष बाद अगर कोई जनता के सामने अपने आप को ले जाता है, चाहे वह भ्रष्ट हो या उस में अन्य कोई दुर्गुण हों, वह यही कांग्रेस ले जाती है। इस के सिवा यदि कोई दूसरी पार्टी होती तो मैं वहीं रहता, लेकिन अब आज कोई ऐसी पार्टी रह नहीं गयी है। इसलिए मैंने सोचा कि कांग्रेस के अन्दर रहकर ही इस में प्रगति लायी जाय। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके मेम्बरों के साथ बात कर के सब कुछ कर के इस में प्रगति लायी जाय और अगर इतने मेम्बर मिलकर चाहें, तो वह कोआपरेटिव मिनिस्टर, खाद्य मिनिस्टर और चाहे प्रधान मन्त्री भी हों, सब को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। वे कहें कि देखो भाई आप इस काम को संभाल नहीं सकते हैं, नहीं निभा सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिये। उनके स्थान पर दूसरे सदस्य रखे जायं, चाहे मन्त्रिमण्डल बराबर बदलना पड़े, लेकिन बदलने की प्रवृत्ति आप के अन्दर आना चाहिए लोक कल्याण के लिए।

तो आज जो कोआपरेटिव का बिल हमारे सामने आया है, इस को भी हर दृष्टि से तौल लेना चाहिए। यह भी बहुत दूर हमें जनतन्त्र से ले जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से जितने मेम्बर यहां नहीं हैं उन को भी कन्वेंसिंग कर के यहां बैठाना चाहिए और हर एक को इस पर विचार करना चाहिए और उनको खुले दिल से इस पर राय देना चाहिये।

मैं माननीय मन्त्री जी से सिफारिश करना चाहता हूं कि दिल्ली को दूध पहुंचाने का काम तो हो सकता है और हो रहा है और लखनऊ में भी कोआपरेटिव डेरी का मक्खन और दूध मिलता है, लेकिन सौतेले लड़के जो गांव में बैठे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है ? क्या उनके लिए एक अलग डिपार्टमेन्ट बनेगा ? उनकी उन्नति का कोई उपाय कीजिये। अफसर कहते हैं कि किसान गंवार है, मैं गंवार तो नहीं कह सकता, मगर है ऐसा ही। उसे तत्काल १० रु० मिल जाय, देना पड़े चाहे २० रु० आखिर में। तत्काल उसे ५ रु० मिल जाय तो २० रु० पर वह दस्तखत बनाता है। इसका फायदा सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं।

मैं आप से एक बात और बताऊं सरकारी कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक इस काम में लगे हुये हैं कि यह गवर्नमेंट फेल हो जाय। मैं अपनी वही मिसाल दे रहा हूं, मैं बहुत दिनों तक जेलों में रहा हूं। अब जरा सी चिट्ठी दिखला दी जाती है उनके खिलाफ, तो जांच होने लगती है, मुअत्तल हो जाते हैं कैरेक्टर रोल में लिख दिया जाता है। तो उनको इसका खेद होता है। वह इस बात को सोचते हैं कि अगर यहां पर डिक्टेटरशिप होती तो हमारा हुक्म चलता। उनका भी जो असन्तोष है, वह भी आप लोगों पर है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर अगर आप सोचें, तो अगर कोई आपका रक्षक है तो वह जनता। किन्तु विरोधी दल के लोग उस जनता को भी बरगलाने में लगे हुये हैं। आप को सजग होना चाहिए। मैं देखता हूं कि आप उस में सजग नहीं हैं। गफलत को छोड़ कर जितने भी विधेयक, जितने भी कानून आप बनायें और पास करें, उन पर आप गम्भीरता के साथ विचार करके, मेरी राय है आप अपने

को विरोधी दल का भी समझिये और सरकारी पक्ष का भी समझिये क्योंकि आज कोई स्वस्थ विरोधी है नहीं। स्वस्थ विरोधी तो मैं उसको समझता हूं जो समान उद्देश्य में विश्वास रखते हुये सलाह दे कि यह गलत है, वह गलत है और सरकार को इस उद्देश्य पर पहुंचने के लिए विचार करना चाहिए। किन्तु वे सरकार को उसकी गलतियां न बता कर उद्देश्य ही को खत्म करने वाले हैं। हम वहां न पहुंच सकें, किसी तरह से हमारे उद्देश्यों को वे बिलकुल नेस्त नाबूद कर के अपने को कामयाब करना चाहते हैं। इसलिए हम इस सरकार के विरोधी भी हैं और हम इसके संचालक भी हैं। इस लिए हम अपने मन्त्रियों को कर्म जगत में जाने की सलाह देना चाहते हैं।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में एक डी० सी० एफ० के खाद के गोदाम में १ लाख ७५ हजार रुपये का गबन हो गया। मुकद्दमा किस पर चला--एक ५२ रुपया तनख्वाह पाने वाले चपरासी पर। जज ने अपने जजमेंट में लिखा है--मुझे अफसोस है, जजमेंट की भाषा तो मुझे याद नहीं जो कि मैं पढ़ कर सदन में सुना सकता। जज ने अफसोस जाहिर किया है कि ५२ रुपये का चपरासी और १ लाख ७५ हजार रुपये का गबन। यह कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो जो हमारे ऊंचे-ऊंचे अफसर हैं, जो कि मिल कर गबन करते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय जज के रिमार्क पर सी० आई० डी० की जांच तो हो ही सकती थी। इस तरह से इस सरकार का पैसा जाया हो रहा है।

मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं। मेरे घर से थोड़ी दूर पर जहां से कि मैं मोटर से उतरता हूं एक दिन कुछ लोग नहर पर बने पुल की ईंटों को निकाल कर लिये जा रहे थे। मैंने पूछा कि तुम लोग यह क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि घर का नाबदान बनाने के लिए लिये जा रहा हूं। मैंने उनको डांटा तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप को क्या गरज पड़ी है। उसी तरह से हमारी सरकार को भी कोई परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि रिबेट का कितना पैसा दिया जाता है उसका ९९ परसेंट अफसरों और कुछ थोड़े से लोगों द्वारा जो कि सोसाइटी में पदाधिकारी हैं, ले लिया जाता है। मैंने कई बार उस के बारे में लिख कर दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ६-६ महीने तक कागजात फाइलों में दबे रहते हैं, ऐसे सार्वजनिक हित के मामले भी जिन पर गम्भीर चार्ज लगाया जाता है। एक सोसाइटी के बारे में जिस पर ५० हजार रुपये का गोलमाल है, मैंने लिख कर दिया कि इस सम्बन्ध में जांच की जाय और इससे सम्बन्धित लोगों पर मुकदमा चलाया जाय, किन्तु कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो यह हालत है आज। पंचायत के डाइरेक्टर का सरकुलर पढ़ कर मैंने सुनाया। कोई जांच नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सब काम पड़ा है। इसलिये कांग्रेस पार्टी को मालूम होना चाहिये कि इसका असर बहुत बुरा होने वाला है। अगर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जायगी तो मुझे उसकी चिन्ता नहीं है, मुझे चिन्ता इसकी है कि उसके खत्म होने के साथ मुल्क खत्म हो जायेगा, यहां डिक्टेटरशिप हो जायगी।

बर्मा से आये हुये लोगों से जब मैं वहां की कहानी सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भी लोग लौट कर आये हैं उनकी कहानी सुन कर दिल रोने लगता है। अगर कहीं वहां जैसी डिक्टेटरशिप यहां भी आयी तो मुल्क खत्म हो जायेगा। मैं आपके यहां आकर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुल्क को सम्भालिये। मैं इसीलिये कांग्रेस पार्टी में आया हूं कि यहां आकर मैं कुछ समझा सकूंगा। आप लोग वही लोग हैं जिन्होंने जेलखाने जाकर, बड़ी-बड़ी मुसीबतें सहकर आजादी हासिल की है। आज आपको क्या हो गया है जो हर तरफ आपको हरा हरा ही नजर आ रहा है? मेरा निवेदन है कि आज आमूल परिवर्तन की जरूरत है। कोआपरेटिव सोसाइटियों में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की जरूरत है। सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जब भी जिस समय कोई कोआपरेटिव सोसाइटी का पदाधिकारी या आफिसर बने उसी समय उसकी आर्थिक स्थिति की जांच होना चाहिये। कुछ ही दिनों बाद, जिसके पास पहले छप्पर होता था, सहकारी समिति का सेक्रेटरी बनने के बाद उसका मकान बन कर तैयार हो जाता है। आप आजमगढ़ जिले के कलेक्टर का

[श्री उमाशंकर]

बुला कर पूछिये तो वह बतायेंगे कि कोआपरटिव सोसाइटियों को जितनी भी सस्ते गल्ले की दुकान दी गयीं उन सब में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि लेजिस्लेचर पार्टी के वे लोग जो पेशेवर नहीं हैं और सस्ते गल्ले की दुकानों को लिये हुये हैं वे कृपया उसे छोड़ दें। लेजिस्लेचर पार्टी के कई मेम्बर कुछ अपने नामों से कुछ अपने भाइयों के नामों से दुकानें लिये हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया विषय पर ही बोलें।

श्री उमाशंकर—

कभी-कभी तो बोलने के लिये समय मिलता है। खैर, तो मैं यह कह रहा था कि साधन सहकारी समिति तथा कन्ज्यूमर्स सहकारी समिति आदि में तो आप असफल रहे हैं, अब आप कृषि सहकारी समिति जो बनाने जा रहे हैं, इसमें अगर यही रवैया आपका रहा तो यह मुल्क गर्त में चला जायेगा। आप यह मत सोचिये कि किसान की हालत पढ़ा लिखा आदमी बहुत अच्छी तरह जानता है। किसानों के जो सही प्रतिनिधि होंगे उनको भी इस समिति में रख कर और पूरा इस विधेयक को कसौटी पर कस कर तब इसको लाना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत दिनों के इन्तजार के बाद यह सहकारी समिति विधेयक इस सदन में आया। इसका हम स्वागत करते हैं। परन्तु होना यह चाहिए था कि कहावत है कि "देर आयद दुरुस्त आयद", जितने दिनों के बाद यह बिल आया था, उतने दिनों में शायद यह कुछ ठीक होकर आता तो उचित था। यह विधेयक पहले पहल सन् ६० में आया हमारे सामने। प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया। उसकी रिपोर्ट आयी। मैंने उस विधेयक को भी देखा था, प्रवर समिति की रिपोर्ट को भी देखा था और इसको भी देखा। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अन्त में मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि आज सहकारी समिति विधेयक से जो अपेक्षा की जाती थी वह पूरी नहीं हुई। माननीय सहकारिता मंत्री ने अपनी जो भावनायें व्यक्त की सहकारिता के सम्बन्ध में, मैं उनका आदर करता हूं और ऐसी ही उनसे आशा करता था। परन्तु इस विधेयक में यह आशा पूरी नहीं हुई। श्रीमन, आज सहकारिता से जो सबसे बड़ी आशा की जाती है वह है जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने भी किया कि इसमें जो सरकारी नियंत्रण हो रहा है, इसमें जो आफिशियल कंट्रोल हो रहा है, उसके बजाय यह प्रजातांत्रिक बने। श्रीमन्, सहकारिता का श्रीगणेश जर्मनी में हुआ, उसके बाद १७९५ ई० में इंगलैण्ड में यह शुरू हुई। हम यदि उसको देखें तो उसकी शुरूआत इस प्रकार हुई कि जब कुछ मजदूर लोग परेशान हुए, उनको चीजें महंगी मिलने लगीं, सरकार उनकी मदद नहीं कर सकी तो उन्होंने अपनी मदद स्वयं करने के लिए एक रास्ता निकाला। सबसे पहले आटा मिल के नाम से एक सोसाइटी उन्होंने कायम की और उससे उन्हें लाभ हुआ। इसी प्रकार हर देश में जहां भी सहकारिता चली और अब तो लगभग सभी देशों में है वहां इसी प्रकार से जब लोग परेशान हुए और सरकार उनकी सहायता नहीं कर सकी तो उन्होंने अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सहकारिता को अपनाया। हमारे यहां जो स्थिति होती चली जा रही है वह यह कि सहकारिता बिलकुल सरकार पर आधारित होती चली जा रही है।

श्रीमन्, मैं आपके समक्ष इसे दूसरे रूप में रखूं। आज यदि सहकारिता से, जो कि चल रही है, उससे सरकारी सहायता और सरकार को निकाल दें तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि उसकी इमारत भी ढह जायगी। इसी आधार पर हमारे पंडितों ने बहुत सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने

बहुत सोचा। मैं आपके सामने कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट सन् १९४९ से कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं—

"Co-operation is a form of organisation in which persons voluntarily associate together on a basis of equality for the promotion of their economic interests. Those who come together have a common economic aim which they cannot achieve by individual, isolated action becuase of the weakness of the economic position of a large majority of them. This element of individual weakness is over-come by the pooling of their resources by making self-help effective through mutual aid and by strengthening the bonds of moral solidarity between them."

यह सहकारिता का आधार था। परन्तु आज सहकारिता उस जगह से आकर इस जगह पहुंच गई। यह नहीं कि हम किसी काम को कर रहे हैं, इसको करन के हमारे साधन सीमित हैं, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जुटकर उसे करें, बल्कि सहकारिता इसलिए बनने लगी है कि सरकार कुछ रुपया बांट रही है, अनुदान दे रही है, कर्जा दे रही है, रिबेट दे रही है, या किसी भी शक्ल मे रुपया दे रही है. उस रुपये को हासिल करने के लिए हम एक सहकारी समिति बना लें। सहकारिता को बनाने के लिए किस बात की आवश्यकता थी ? श्रीमन्, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े पंडितों की ओर से एक सेमिनार किया गया ओखला में सन् १९६१ में, उसमें माननीय सुब्रह्मण्यम साहब भी मौजूद थे, जयप्रकाश नारायण जी मौजूद थे, उन्होंने बहुत डिस्कशन किया और आखीर में उन्होंने लिखा है—

"Co-operative legislation in India was founded on statutes which were already in disuse in Britain for over fifty years;"

आप जरा देखें जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया हमारे देश में कोआपरेटिव की बुनियाद १९१२ के ऐक्ट पर है और वह ऐक्ट एक प्रकार से दूसरे मुल्कों में बेकार साबित हो चुका था।

"The original law has been changed or modified invariably in a manner as to make it more rigid and authoritarian. The statutory powers and the non-statutory (assumed) functions enjoyed by the Registrar and his department combine to prevent the establishment or growth of co-operative societies enjoying voluntary character and internal autonomy. Co-operative legisi lation, as it exists in India, therefore, requires not just a few modifications here and there, but a fundamental and comprehensive revision.

The new Co-operative Law should recognise that co-operatives are member-controlled institutions."

इसके अतिरिक्त और भी बातें हैं जिनसे मैं यह साबित करने में समर्थ हो सकूंगा कि १९१२ में ज्यादा अधिकार कोआपरेटिव्स को दिये गये थे और अब इसके द्वारा रजिस्ट्रार को अधिक अधिकार दिये गये हैं। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि कुछ जगह जैसे न्यायाधिकरण, दो जगह सभापति चुने हुए बनाना तथा कुछ अपीलों का अधिकार इन में अवश्य डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। इसमें यह सन् १२ के ऐक्ट से कुछ आगे है। एक मोटी सी बात बतलाऊं। जहां तक परिनियमों में संशोधन करने का अधिकार है, सन् १२ के ऐक्ट में यह कहा गया है कि कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि रजिस्ट्रार उसकी स्वीकृति न दे दे और उस स्वीकृति के लिये एक प्रति रजिस्ट्रार को दी जायगी इससे स्पष्ट है कि समिति पहले उन्हें पास करे, ठीक था। इससे मैं सहमत हूं। वह आज भी मौजूद है, लेकिन एक चीज बढ़ा दी गयी है वह यह कि अगर रजिस्ट्रार महोदय संशोधन की जरूरत समझें तो वे स्वयं कर सकते हैं।

एक दूसरा उदाहरण दूं। सन् १२ के ऐक्ट में एक धारा ३९ है —डिसोल्यूशन आफ दि सोसाइटीज-समिति का विगठन। वह यह है कि यदि रजिस्ट्रार इंक्वायरी कराने के बाद

[श्री जगदीशप्रसाद]

और जानकारी के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि कोई सहकारी समिति ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है तो वह सुनवाई का मौका देकर उसके बाद वह समिति को डिजाल्व कर सकता है। डिसोल्यूशन के वह आदेश दे सकता है उस आदेश के बाद कोई भी सदस्य या जिसका रुपया हो-दो साह के अन्दर उसके विरुद्ध आपत्ति कर सकता है। लेकिन आज क्या कर दिया गया है? उतना तो ठीक था कि यदि इंक्वायरी करने के बाद और जानकारी के बाद यह समझा जाय कि कोई सोसाइटी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो उसे डिजाल्व कर दें, लेकिन जहां पहले ऐक्ट में यह था कि २ महीने के अन्दर अपील कर सकता है वहां कर दिया गया है कि ३० दिन के अन्दर अपील कर सकता है। इसके साथ ही साथ पहले यह था कि २ माह तक जब तक कि किसी को अपील करने का अधिकार था कोई भी डिसोल्यूशन का आदेश कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था, वहां अब यह कर दिया गया है कि डिसोल्यूशन के आदेश देने के बाद ही परिसमापक नियुक्त करेगा। एक व्यक्ति नियुक्त कर देगा जो चार्ज लेगा। इस प्रकार सब खत्म हो गया। अब उस पुराने ऐक्ट की बहुत सी धाराओं को लेकर उनका इस विधेयक से मैं मुकाबला करूं या कुछ कहूं, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें बहुत समय लगेगा और मैं समझता हूं कि ये दो उदाहरण जो मैंने दिये हैं और भी कई उदाहरण दे सकता हूं कि किसी न किसी माने में अगर यह विधेयक कुछ आगे बढ़ा है तो कुछ माने में सन् १९१२ के विधेयक से पीछे भी गया है।

जहां तक रजिस्ट्रार के अधिकारों को बढ़ाने का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो भावनायें व्यक्त कीं, वास्तव में वे वही थीं जो उन्हें करना चाहिये था। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और हमारे राष्ट्र नेता ने जिनका हवाला माननीय मंत्री जी ने दिया, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "कोआपरेटिव को सरकारी हाथों से निकालना होगा और उसके बाद सरकार का काम केवल यह होगा कि जहां जरूरत हो वह उनको सहायता दे, परामर्श दे।" परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं आपका ध्यान इस विधेयक के उद्देश्य की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा यह विचार था और इस पर इस सदन में काफी कहा जा चुका है कि हम जितने भी विधेयक लाते हैं उसके द्वारा सरकारी अधिकारियों को कुछ अधिक अधिकार ही देते हैं, परन्तु इस विधेयक में उनके अधिकार कुछ कम किये जायेंगे। सब देशों में जहां-जहां भी डेमोक्रेसी है वहां यही होता है। इंगलैण्ड की डेमोक्रेसी के बारे में भी मैंने पहले कहा है और आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहूंगा कि पहले जो अधिकार सरकारी अधिकारियों को थे उससे अधिक अधिकार डेमोक्रेसी में उनके बढ़ते गये, परन्तु उसके साथ ही साथ राष्ट्र का चरित्र ऊंचा उठता है तो वे अधिकार सुरक्षित रहते हैं और उनका दुरुपयोग नहीं होता।

जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, अभी दो माननीय सदस्य बोले, उनके बोलने का आधार यही था कि हमारे यहां उन अधिकारों का सही उपयोग नहीं होता है, बल्कि जो अधिकार हमने अब तक दिया है उनका दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं कि कदाचित् यह विधेयक ऐसा है जिसके द्वारा सरकारी अधिकारियों ने काफी अधिकार लिया है। इस विधेयक का जो उद्देश्य और कारण दिया हुआ है उसकी छठी लाइन की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है—"अनुभव से यह विदित हुआ है कि सहकारी समितियों तथा उन प्राधिकारियों के जिन्हें उनका पर्यवेक्षण, पथ-प्रदर्शन और नियंत्रण सौंपा गया है कुछ अतिरिक्त कृत्यों तथा उत्तरदायित्वों के लिये विधि में उपबंध बनाये जाने चाहिये।" कुछ अधिकार कम करने के संबंध में लिखा है कि "बहुत से वर्तमान उपबन्धों को उदार बनाने या परिष्कृत करने की आवश्यकता है" यहां शब्द उदार का प्रयोग किया गया है, किन्तु जो भी विधेयक हमारे सामने पेश होता है उसमें बस एक ही दलील होती है कि "अनुभव से यह विदित हुआ है कि इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये तथा अपने कर्तव्यों का सम्पादन सही रूप से करने में हमारे अधिकारियों को दिक्कत पड़ती है, इसलिये उनको यह अधिकार और दे रहे हैं।" इस सहकारिता विभाग के उद्देश्य में भी इस विधेयक के सम्बन्ध में यही कहा है कि सहकारिता विभाग के अधिकारियों

को अपने फरायज का अंजाम देने में तथा अपने कर्तव्यों के पालन करने में रुकावट पड़ती है, दिक्कत पड़ती है, इसलिये उनको ये अधिकार वे दे रहे हैं जिनका कि मैंने आपके सामने जिक्र किया। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के उद्देश्य में कहा है कि वर्तमान उपबन्धों को उदार बनाने की आवश्यकता है और मालूम होता है कि एक तरह से अपने हृदय की बात उन्होंने कह दी है। जिन अधिकारों के देने की बात उद्देश्य में कही गयी है, उस उद्देश्य के अनुसार ही यह विधेयक बनाया गया है।

पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि सन् १९६१ के ३१ दिसम्बर तक यह विधेयक सारे स्टेट में पास हो जायं और उस कान्फ्रेंस में माननीय बनारसी दास जी भी मौजूद थे और आज हम सन् ६४ में उस पर डिस्कस कर रहे हैं और उससे कितना पीछे चले गये हैं। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को दुबारा प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि वहां उसकी परिधि को भी बढ़ाने पर काफी विचार करें और सबको काफी सोचने का अवसर दें।

जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं। सहकारी समितियों का समामेलन और विलयन व सहकारी समितियों का विभाजन के बारे में मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। कोई दो समिति समामेलन करना चाहें तो रजिस्ट्रार को लिखें, वह चाहे तो इजाजत दे, चाहे न दें। परन्तु जब निबंधक की राय हो तो वह स्वयं दो समितियों का समामेलन कर दें, वह अलग करना चाहें तो अलग कर देंगे। जब रजिस्ट्रार चाहें कि इस अधिकारी को अलग करना जरूरी है तो वह अलग कर देंगे। निबन्धन आवश्यक है या ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ कर बता सकता हूं कि कुछ पंडितों ने तो यहां तक कहा है कि यह निबन्धन का काम भी डेमोक्रेटिक बाडीज के ही हाथ में जाना चाहिये। निबन्धन के लिये भी कहा गया कि उसके लिये भी सोसाइटी बना सकते हैं और वह सोसाइटी कोई एलेक्टेड बाडी बना सकती है।

एक बहुत बड़ा काम जो इस समय सहकारी समितियों के हाथ में है वह कर्जे का है। आज हम देखते है कि हमारी सहकारिता को चलाने का आधार कर्जा बन रहा है। जब कि कर्जा केवल उस दशा में दिया जाना चाहिये जब कि आवश्यकता हो तब दे दें वर्ना नतीजा यह होगा कि किसी समय में जब सरकार कर्ज देने के योग्य नहीं होगी तो हमारी सहकारिता समाप्त हो जायगी और हो रही है। जहां तक कर्ज देने या न देने का सम्बन्ध है माननीय उमाशंकर जी ने भी कहा और राघव जी ने भी कहा और हर सदस्य इस बात को जानता है कि कोआपरेटिव बैंक में क्या होता है और मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि हमारे लिये शर्म की बात है जो कुछ वहां होता है, उससे कम से कम मेरा सिर लज्जा से नीचे झुकता है। मैं अपने जिले की कह सकता हूं और शायद दूसरी जगह भी ऐसा ही होता होगा १०० रुपया काश्तकार लेता है और अगले साल के लिये उस से कुछ और रुपया ५–७- ९ रुपया लेकर इन्द्राज कर दिया जाता है, न रुपया दिया जाता है और न लिया जाता है। मेरे कानों में आवाज आ रही है कि सब जगह यही होता है। इस तरह से होता यह है कि जितना एक साल का सूद होता है वह दस दिन में वसूल हो जाता है। होता यहां यह है कि कुछ लोग जो बैंक से सम्बद्ध होते हैं वह अपना रुपया बैंक में जमा कर देते हैं और दिखा दिया जाता है कि रुपया आ गया और उनको सूद मिल जाता है वह अपना रुपया दस दिन के बाद निकाल लेते हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है। मैं चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री इस कलंक को हमारे माथे से धोयें। मैंने इस पर विचार किया और लोगों से भी इस बात की, इस विषय में मेरा सुझाव है कि वह कर्ज जो आप वापिस लेते हैं वह लम्बे समय में न लें। उसके लिये निश्चित कर दें कि ३ साल में लिया जायगा या ५ साल में लिया जायगा तीन साल का है और १०० रुपया है तो ३३ रुपया और सूद हरसाल लेंगे, ५ साल का है तो २०-२० रुपया और सूद लेंगे। आज १०० रुपये के भुगतान के लिये वह १०० रुपया में पहले पहले २० रुपया जमा और २५ रुपया खाद और ९ रुपया सूद का लेते हैं। उसको इस तरह से कितना मिलता है और चाहते हैं कि अन्त में १०० रुपया और सूद मिल जाय। हम यह क्यों नहीं करते कि कर्जा

[श्री जगदीशप्रसाद]

किस्तों में लें ? इसके खिलाफ विभाग के पास दलील यह है कि हम तो फसल की तरक्की के लिये कर्ज देते हैं इसलिये उसी में से ले लेते। इससे हमें माफ करें। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरक्की के लिये पैसा दिया जाय, लेकिन इस तरह की फाल्स एन्ट्रीज न हों। कोआपरेटिव्ज जैसा मैंने कहा इस तरह से नहीं चल सकती कि एक सरकारी कर्मचारी और एक पब्लिक का आदमी मिल जाय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक और तरीका है जिसकी वजह से हम किसी को पकड़ नहीं सकते। एक सरकारी कर्मचारी होता है और एक पब्लिक का आदमी होता है। सरकारी कर्मचारी सारी कार्यवाही ठीक कर लेता है और पब्लिक का आदमी नीचे ठीक करता है। जो काम आप विभाग से कराना चाहें करायें, इसे आप अगर बिल्कुल प्रजातांत्रिक बना देंगे तो जनता के लोग उसके सर हो जायंगे और इतना भ्रष्टाचार नहीं हो पायेगा। आज जनता के आदमी की बचत के लिये सरकारी कर्मचारी मिल जाता है।

इसी सेमीनार की रिपोर्ट में कर्जे के लिये लिखा हुआ है :

"It has been observed that the Registrars and the Reserve Bank exercise much more control and influence over the movement and its constituents in the process of giving financial aid than is envisaged by the much criticised co-operative law and its authoritarian provisions. We have, therefore, to devise certain principles so that State aid becomes avaialble without compromising the basic character of the movement."

इसका भी एक मात्र इलाज यही है कि उसमें उनका कम हस्तक्षेप रखें और उसकी किस्तें कर दें। हम केवल अगर इसी बात पर चलेंगे, जैसा मैंने कहा कि सरकारी सहायता पर ही चलें, हम यह भी देख लें क्या काम हुआ और किस प्रकार। मैं एक मिसाल दूंगा। हमें कोई काम करना हो तो हमने एक कमेटी बना ली और देख लिया कि रुपया मिल सकता है इस तरह से। तो हमने सोसायटी बनायी और रुपया ले लिया। प्रदेश में कोआपरेटिव ट्यूब वेल्स बनाये गये, मेरे यहां भी बने और जिस समय मैं ट्यूबवेल्स की बात करता था तो अधिकारी कहते थे कि काफी कामयाब हुए। आज मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह जरा देख लें उसके आंकड़े कि जो ट्यूबवेल्स बनाये गये उनका क्या हाल हुआ है। मैं कह सकता हूं कि जितना खर्चा आदि से अन्त तक उनमें किया है उतने में सरकार २-२ ट्यूबवेल्स बनवा कर दे सकती थी। इसलिये कोई योजना चालू करना चाहते हैं तो सरकार अपने विभागों के द्वारा चलाये और अगर कोआपरेटिव करे तो उसमें आप हस्तक्षेप न करें। अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति में इस पर अच्छी तरह से विचार होगा।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

अभी मैंने बड़े गौर से माननीय उमाशंकर जी का भाषण सुना है वह भी मेरे जिले से ही आते हैं। दुर्भाग्य से वह यहां पर इस समय उपस्थित नहीं हैं, उनको बड़ी शिकायत रही है सहकारिता विभाग से। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा संबंध सहकारी विभाग, सहकारी समितियों से २५-३० साल से है। मैं डी० सी० डी० एफ०, जिला कोआपरेटिव बैन्क और भी कई संघों का पदाधिकारी रह चुका हूं। मैंने सहकारिता आन्दोलन को नजदीक से देखा है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि सहकारी आन्दोलन के द्वारा जनहित के बहुत से काम किए जा सकते हैं और आवश्यकता इस बात की है कि इस आन्दोलन को जहां तक हो सके

विस्तृत किया जाय । किन्तु एक बात की तरफ जिसका संकेत माननीय जगदीशप्रसाद जी ने किया है, मैं उनके विचार से सहमत हूं, वह बात यह है कि हम देख रहे हैं कि अधिकारियों का नियंत्रण दिन पर दिन बढ़ता रहा है । इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को मैंने देखा और देखने से मुझे मालूम होता है कि प्रयास किया जाने वाला है सरकारी नियंत्रण जहां तक संभव हो उसमें कम किया जाय । इसमें यह भी प्रयास किया गया है कि जनता के नियंत्रण में सहकारिता विभाग को रखा जाय, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि आज की परिस्थितियां इसके विपरीत हैं । हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है । श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमें क्या करना चाहिये इस पर हमें बिचार करना है ।

कर्जे के संबंध में जो सुझाव दिये गये हैं, माननीय जगदीशप्रसाद जी ने भी दिया है, मैं मानता हूं वे ठीक हैं । मैं अपने गांव की सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा हूं । कभी कभी जब मैं उपस्थित नहीं रहता था तो उपाध्यक्ष वगैरह वही बात कर देते थे, जिसकी शिकायत माननीय जगदीश प्रसाद ने की है । जिन व्यक्तियों को कर्जे का १००–१०० रु० दिया जाता है उसके सूद वगैरह की व्यवस्था उसी रुपये में इधर-उधर से करके उसी रुपये को उसी के नाम देकर उसको पुनः दे दिया जाता है । मैं उनके उदाहरण से सहमत हूं । अधिकतर सोसाइटीज में कर्जे का रूप यही होता है । आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से इस रीति से सहकारिता आन्दोलन की प्रगति हो सकेगी ? मेरा उत्तर होगा कि इससे "करप्शन" का अन्त नहीं हो सकेगा । एक न एक दिन ऐसा आयेगा जब कि सारा सहकारिता आन्दोलन इसी बुनियाद पर समाप्त हो जायगा ।

श्रीमन्, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, आपके द्वारा कि उसे नियम बना दिया है कि कर्जा लेने वाले को २५ प्रतिशत का खाद अवश्य लेना पड़ेगा। सही बात यह है कि हर किसान से उसके कर्जे में से २५ प्रतिशत खाद के रूप में काट लिया जाता है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि उस कर्जा लेने वाले किसान को उस खाद की आवश्यकता हो तब तो चाहे उसे ५० प्रतिशत की खाद दे दीजिये, पर अगर वह केवल २ बीघे या १ बीघा खेत का काश्तकार है, जैसा कि अक्सर हमारे पूर्वी जिलों में होता है, तो उसके कर्जे का २५ प्रतिशत खाद के रूप में देना कहां तक उचित होगा ? उसकी हैसियत के अनुसार जितनी उसकी आवश्यकता हो उसे खाद दी जाय ऐसा एक नियम बना दें । हर किसान को २५ प्रतिशत की खाद लेना ही पड़ेगा यह भी भ्रष्टाचार का एक तरीका होता है। वे व्यक्ति जो इस प्रकार से खाद लेते हैं उसको २५ रु० में खरीद कर २५ रु० के स्थान पर १० या १५ रुपये में बेचते हैं और इस प्रकार से लोग उसे एक्स्प्लायट करते हैं । कर्जे के देने में भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा ।

एक बात की ओर और मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह हैं हमारे सुपरवाइजर । मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्ष से अपने जिले की अनुशासन समिति का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मैं देखता हूं कि भ्रष्टाचार के इतने केसेज हमारे साम ने आते हैं कि मुझे दुःख होता है कि सुपरवाइजरों में से अधिकतर ऐसे होते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि मैंने स्वयं यह देखा है कि वे अत्यन्त गैर जिम्मेदार होते हैं और वे हर सोसाइटीज में स्वयं गबन करते हैं । यही कारण है कि जनता की आस्था सहकारिता से कम होने लगती है। इसी प्रकार रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, इन्स्पेक्टर और

[श्री बृजबिहारी]

सुपरवाइजर यह जो फौज बनी हुई है इस संबंध में आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि इन पर अधिक से अधिक हम नियंत्रण रख सकें। चाहे डी० सी० डी० एफ० हो अथवा बैन्क हो जो चुने हुए सदस्य आते है उनको अधिकतर इनकी जानकारी नहीं होती है और उनका चुनाव भी एक मजाक सा ही होता है। सुपरवाइजर जिसको चाहता है चुनवा देता है और इस प्रकार चुने हुए लोगों को सुपरवाइजर के मुताबिक ही काम करना पड़ता है और उसे प्रसन्न रखना पड़ता है।

मुझे प्रसन्नता है कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने यह सुझाव रखा है कि संयुक्त प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजा जाये जहां इन बातों पर विचार किया जा सकेगा। जिलाधीश बैंक तथा डी० सी० डी० एफ० के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जिलाधीश महोदय नाम मात्र के ही अध्यक्ष होते हैं। उनके पास बहुत कम समय इन कार्यों के लिये रहता है। मैं स्वयं सहकारी बैंक का तथा डी० सी० डी० एफ० का पद धिकारी रहा हूं। फोन किया जाता है कि जिलाधीश महोदय मीटिंग में सम्मिलित हों, लेकिन उनको समय नहीं मिलता, वे नहीं आते। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार भी अगर लापरवाह मिल गये और कर्तव्य-परायण नहीं रहे तो सारा सहकारिता आन्दोलन ठप्प सा हो जाता है। इसलिये इन बातों क ध्यान में रख कर सहकारिता आन्दोलन की प्रगति पर बिचार किया जाना चाहिये ताकि जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। सहकारी भट्ठे, सहकारी संघ सहकारी गोदाम और सहकारी भंडार उन सबमें अव्यवस्था है। हमारे जिले में एक सहकारी भंडार कमल सागर नाम का है। उस पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने बड़े-बड़े गंभीर आरोप लगाये। चार्ज शीट दी और लिखा कि जो सेकेट्ररी हैं अथवा अन्य कार्यकर्त्ता है उनके खिलाफ कार्य-वाही की जाय, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। सरकार को लिखा गया, किन्तु वह भी चुप रही, जिले के अधिकारी भी चुप रह गये। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का कहना था कि यह उनकी बेवकूफी थी जो कि उन्होंने कार्यवाही करने के लिये लिखा, जब कि उसकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। सरकार को भी जागरूक इस तरफ होना चाहिये।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति का जो संगठन किया जाय उसमें इन त्रुटियों पर विचार करके उसका उचित समाधान किया जाय।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज का दिन अपने प्रदेश के लिये बड़े सौभाग्य का मानता हूं क्योंकि सहकारी मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है वह इतना क्रान्तिकारी है जो हमारे प्रदेश के भाग्य को बदलने में मदद करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि डेमोक्रसी को अगर हम चलाते हैं तो हमारा ईमान सहकारिता होगी। अब तक हमने इसको केवल एक नारा बना रखा है। जैसे हम अपने बहुत से काम करते हैं उनमें हमने इसको भी शामिल कर लिया है और उसी हिसाब से आज तक यह आन्दोलन चला रहे हैं।

मैं सहारनपुर जिले में १२ साल से रुड़की कोआपरेटिव बैंक चला रहा हूं। पहले ११ हजार का उसमें नफा होता था जो आज १ लाख ३७ हजार है और १६५ के बजाय ४०० समितियां हो गई हैं। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि मैंने अपने जिले के कोआपरेटरों की सेवा न करके उनके साथ अन्याय किया है। इसलिये कि जो भी काम हो रहा है वह सब दिखावे का और फर्जी मात्र है। इसलिये कि इसका संचालन सरकार के हाथ में है। इसमें कोई शुद्धता और रियलिटी न होकर केवल कागज पर काम होता है और उससे किसी किस्म का लाभ नहीं होता। जो कर्जा लेता है उसके लिये हम चाहते हैं कि वह महाजन से बचे। लेकिन आज उसको तीन जगह सूद देना पड़ता है। एक अर्जी बनते समय सुपरवाइजर कुछ लेता है, दूसरे ऋण अदा करने पर किसी

महाजन से बड़ी शरह पर पैसा लेकर वह जमा करता है और तीसरे जब अर्जी बनती है तो उसे फिर देना पड़ता है। इस तरह से बड़ी दिक्कत होती है। कहने को तो करोड़ों रुपया कर्ज दिया जाता है और वापस आता है। लेकिन ये सब खाली ट्रासफर एंट्री होती है। सुपरवाइजरों पर सरकारी कंट्रोल होने के कारण कार्यकर्त्ता कोई जनता की सेवा नहीं कर पाते क्योंकि सुपरवाइजर मनमानी करता है और जब कभी उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाता है तो जिला अधिकारी उनको बचाने के लिये तैयार रहते हैं या अनुशासन समिति में ऐसी हालत पैदा कर दी जाती है कि उनके साथ कुछ न किया जाय।

इस विधेयक में अब भी रजिस्ट्रार को बहुत बड़ी ताकतें दी जा रही हैं उनसे हमें डर है कि जनता की सेवा करने में उनके कारण बाधा आयेगी। मैं एक मिसाल दे दूं। अभी साधन समितियां बनाने का एक आन्दोलन चला। तो सब कागज पर बदल दी गई। मेरी तहसील में कुनारी गांव है उसके पास की समितियों को सुपरवाइजरों ने एक जगह कर दिया। इसमें दिक्कत यह आई कि कर्जा लेते समय एक समिति ने कर्जा वापस दे दिया था और दूसरी ने नहीं दिया था। इसलिये जिसने कर्जा दे दिया था उसको भी कर्जा नहीं मिल सका। इसमें ऊपर से हुक्म हुआ था कि समितियों को मिलाकर एक कर दो। इससे यह दिक्कत सामने आई। इसी तरह से अगर रजिस्ट्रार को ताकतें रही तो बहुत जटिल दिक्कतें सामने आयेंगी। कर्जे की जो बात है उसके लिये मेरा सुझाव है कि शार्ट टर्म लोन को लांग टर्म में बदल देना चाहिये। उससे हम काश्तकारों की अधिक सेवा कर सकेंगे, क्योंकि अर्जी मंजूर होते होते महीनों लग जाते हैं। फिर जब बैंक्स से रुपया मिला तो वह वक्त निकल जाता है जिस काम के लिये रुपया लिया गया था। निश्चित रूप से वह दूसरी जगह रुपये को लगा देता है और उसके बाद वह समय आ जाता है जब बैन्क को उसे रुपया अदा करना होता है और वह इस उधेड़बुन में रहता है कि रुपया कैसे वापस करे। परिणाम होता है कि ट्रांसफर एन्ट्री होती है, सूद का रुपया उसको देना पड़ जाता है और लाभ नहीं होता। माननीय जगदीशप्रसाद जी ने कहा कि उसको कर्ज कुछ हिस्सों में दिया जाय, वन थर्ड एक बार दें या जिस काम में लगाना हो उसके हिसाब से इन्स्टालमेंट्स में रुपया दिया जाय, लेकिन अगर शार्ट टर्म लोन को लांग टर्म में बदल दिया जाय तभी वास्तविक लाभ उससे हो सकता है।

समिति के सदस्यों की भर्ती के लिये बिल में जो गुंजायश रखी गयी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। होता यह था कि चंद लोगों ने एक सोसाइटी बना ली और उसके बाद वह किसी आदमी को घुसने देना नहीं चाहते, उसमें इतनी पार्टीबन्दी हो गयी और इस प्रकार वह कोआपरेटिव मूवमेन्ट वल ४, ५ १० घरों तक ही सीमित हो गया और वे मनमानी अपना रुपया लगाते और जिस तरह से चाहते करते हैं। इससे मूवमेन्ट फैल नहीं पाता। कुछ जो जरा ज्यादा अक्लमन्द लोग हुए तो वह बोगस मेम्बरशिप कर देते हैं। उससे बड़ी तादाद में रुपया बैन्क से वसूल कर लेते हैं और फिर उस रुपये को निजी व्यापार में लगाते हैं और फायदा उठाते हैं। लेकिन इसमें बिल जो रखा गया है कि किसी को मेम्बर बनने से रोकने पर अपील का मौका है, यह बड़ा अच्छा कदम है, इससे सहकारिता मूवमेन्ट काफी फैलेगा।

मंत्री जी ने कोआपरेटिव ट्रिब्युनल की बात बताई। वह भी बहुत सुन्दर है। अब तक ऐसा लगता था कि रजिस्ट्रार साहब के मुंह से जो निकल गया वह फाइनल है और वहीं बात समाप्त हो जाती थी। अब यह मौका रहेगा कि जो ज्यादती हो वह ट्रिब्युनल के सामने रखी जा सके। मेरी प्रार्थना यह अवश्य है कि ट्रिब्युनल का गठन ऐसा हो कि उसमें एक ख्याति प्राप्त कोआपरेटर, जुडीशियरी का भी एकाध व्यक्ति, विभाग के भी व्यक्ति जैसा कि लेबर ट्रिब्युनल में होता है, रहें जिससे लोगों को निश्चित रूप से वहां पर जस्टिस मिल सके।

[श्री जगदीशनारायण सिनहा]

कोआपरेटिव फार्मिंग के विषय में मंत्री महोदय ने बताया। अब तक ऐसा लगता था कि युग के साथ नारे लगते हैं। कुछ समय पहले कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा लगा। चन्द लोग इकट्ठे हुए और जमीन मिला ली उन्होंने और फार्म बन गया जिससे सरकारी अनुदान बैलों के लिये, हल के लिये, और शेड वगैरह के लिये मिल जाय। मेरा यह अनुभव है, मेरे जिले के पास कुछ फार्म्स हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। सहकारिता जिस प्रकार की प्रगति होनी चाहिये थी वहां वह बिलकुल नहीं हुई है। पर जो अब उसको आप एक आधार मान कर चल रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं।

अन्त में मैं यह अर्ज करूंगा कि प्रवर समिति में ऐसे लोगों को रखा जाय जिनको अनुभव हो और वे लोग वहां खुले दिल दिमाग से बैठ सकें जिससे केवल आफिशियलडम वाली बात उत्पन्न न हो और वे लोग ऐसे कदम उठा सकें जिससे सचमुच सहकारिता पूर्ण रूप से सफल हो जाय और सब लोग लाभान्वित हों।

*श्री शिव सम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सहकारिता बिल माननीय सहकारिता मंत्री ने प्रवर समिति में भेजने के लिये इस सदन के सामने रखा है वह बहुत ही बधाई की बात है क्योंकि जिस रूप में इस समय तक यह बिल हमारे सामने था वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण था। अगर इस रूप में ही इस बिल को रखते तो आज उत्तर प्रदेश से कोआपरेटिव के काम से गांव के अन्दर जो अशान्ति फैली हुई है उसको और भी बल मिलता। मैं निवेदन करूंगा कि जो कोआपरेटिव के काम ने प्रगति की है, जो आज तक कोआपरेटिव के आंकड़े हैं वह इतने फर्जी हैं और इतने असन्तोषजनक हैं कि उनके आधार पर हम अपना काम चलाये तो कोआपरेटिव का आन्दोलन खत्म हो जायगा। इसके जरिये से हमारे प्रदेश में बहुत से कार्यकर्त्ताओं में इतनी कटुता पैदा हो गई है कि उनमें कोई भी सार्वजनिक कार्य करने के लिये तैयार नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस कोआपरेटिव आन्दोलन के जरिये से जो कार्यकर्त्ता कभी यह नहीं जानते थे कि बेईमानी कैसे होती है और बेईमानी किसे कहते हैं और बेईमानी का तरीका क्या है वे आज सब बातों को जान गये हैं और छोटे छोटे गांव में, छोटे-छोटे कार्यकर्त्ताओं में यह सब बातें विद्यमान हैं। इसलिये मैं आपसे यह कोआपरेटिव आन्दोलन के संबंध में कहना चाहता हूं कि आप आज जो बिल का रूप है, उसमें आमूल परिवर्तन करने की कृपा करें क्योंकि आज कोआपरेटिव का आन्दोलन पार्टी-बाजी का अखाड़ा हो गई है और पार्टी बाजी अफसरों का अड्डा बन गई है। उसमें जो हमार उच्चाधिकारी हैं वे इस तरह की बातें करते हैं जो यहां पर कहना लज्जा की बात है। जिस रजिस्ट्रार महोदय को आज हम इस बिल के जरिये अधिकार देने जा रहे हैं उस रजिस्ट्रार के प्रति इस प्रदेश में इतना असन्तोष है, इस प्रदेश में उस रजिस्ट्रार के प्रति इतनी बगावत है कि उसको देखकर हृदय कांप उठता है। ऐसे अफसर यदि हमारे प्रदेश में हैं तो क्या कोई प्रगति इस प्रदेश में होने वाली है? आज पोजीशन यह है कि एक रजिस्ट्रार के अफसर हैं और दूसरे गैर रजिस्ट्रार अफसर हैं जो दौरे पर उनकी सेवा के तरीके को इस्तेमाल नहीं करते। जो दूसरे सेवा करने वाले अफसर हैं वह रजिस्ट्रार महोदय को जिले से लेकर प्रदेश तक पूर्ण रूप से सेवा करते हैं जैसा कि माननीय सदस्य अखबारों में देखते हैं....

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

वैधानिक प्रश्न है। माननीय सदस्य व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। वह इस बिल पर बात करें। रजिस्ट्रार होगा या नहीं होगा इससे इसका संबंध नहीं है। यह बजट का डिस्कशन नहीं है। इसकी मेरिट पर बात करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय तो विधेयक के उसूलों पर ही बात होनी चाहिये।

श्री शिवसम्पति शर्मा---

मैं उसूल की बात ही कर रहा हूं। जो परिस्थिति इस समय प्रदेश में है और जिस प्रकार अफसरान यहां काम कर रहे हैं उनको अगर हमने और अधिक अधिकार दिये तो उसका परिणाम अच्छा न होगा। मेरी निजी राय यह है कि अगर कोआपरेटिव बिल में कोई तरमीम लानी ही है तो वह ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें अफसरों को कम से कम अधिकार मिलें। अफसरों के कारण हमारी स्थानीय समितियां काम नहीं कर पातीं। उनको ऊपर उठाने और नीचेगिराने का काम ही अफसरान किया करते हैं और उससे सहकारी अन्दोलन का रूप भंग हो जाता है। मैं जानता हूं कि कालपी की मार्केटिंग सोसाइटी बड़ा अच्छा काम कर रही थी। उसका ८६ हजार रुपया है, ५२ हजार रुपया कुल मार्केटिंग कैपिटल है, लेकिन उस लोन की वसली के लिये कोई इंतजाम नहीं है। जब वह समिति वसूली के लिये कोई इंतजाम करती है तो हमारे रजिस्ट्रार महोदय अथवा दूसरे अधिकारी उसमें बाधा डालते हैं और वह कार्य होने नहीं पाता। यह मैं एक नमूना दे रहा हूं। जैसा जगदीश प्रसाद जी ने कहा, पिछले ऐक्ट से कहीं अधिक अधिकार हम निबंधक महोदय को देने जा रहे हैं। इसलिये प्रवर समिति के सामने यह बात रहनी चाहिये कि अफसरों के अधिकारों को इसमें कम किया जाना चाहिये और इसे और अधिक प्रजातांत्रिक ढंग से चलना चाहिये। अगर हमको मिल्क यूनियन, मार्केटिंग सोसाइटी आदि चलानी है तो उसके लिये अधिक अधिकार स्थानीय लोगों को दिये जाने चाहिये और उनको काम करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिये। उसमें रजिस्ट्रार आदि को अधिकार नहीं रहना चाहिये कि वह किसी को निकाल दे या किसी को रख दे।

एक बात और, रजिस्ट्रार को पिछले बिल में भी और इसमें भी यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई मेम्बर दो साल के बाद फिर खड़ा होना चाहता है तो उससे परमीशन लेगा। मेरा खयाल है कि इसमें एकरूपता नहीं बरती जायगी। जो मेम्बर रजिस्ट्रार को खुश कर लेगा, वह तीन-चार साल तक अपनी सदस्यता बनाये रख सकता है लेकिन अगर वह खुश न रख सका तो उसे परमीशन नहीं दी जायगी। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए अफसरों को कम अधिकार दिये जाने चाहिये।

कोआपरेटिव लोन के लिये, जैसा अन्य सदस्यों ने कहा, सही है कि केवल उनकी ट्रान्सफर इंट्री होती है। लोन बढ़ता जा रहा है और उसके वसूल होने की नौबत ही नहीं आती। अगर कभी आपने वसूल करना चाहा तो २५ परसेन्ट भी वसूली नहीं हो पायेगी। अंग्रेजी हुकूमत में जैसे वसूली के लिये लोग सड़कों पर लटकाये जाते थे वही नौबत आपके यहां भी आयेगी। गरीब काश्तकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में लोन के लिये अवश्य कोई व्यवस्था करें। लोन लम्बे समय के लिये दिया जाना चाहिये और उसमें कोआपरेटिव सुपरवाइजर को जो अधिकार दिया गया है उसे कम करना चाहिये। कोआपरेटिव सुपरवाइजर के बजाय अगर समिति दो-तीन मेम्बर की भेजी जाय और वह वसूली का काम देखे तो ज्यादा ईमानदारी से कर सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इन सुझावों को प्रवर समिति के बिचार के लिये प्रस्तुत करता हूं और मेरी मांग यह है कि जिलों में अफसरों का हाथ कम हो जाय ताकि कोआपरेटिव में आगे चलकर कामयाबी हो।

एक सदस्य---

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में कुछ चर्चा करने के पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि मूल उद्देश्य इस सहकारिता आन्दोलन के पीछे क्या छिपा हुआ है। हमारा विशेष उद्देश्य यही था कि हम व्यक्तिगत रूप से जिस कार्य को नहीं कर सकते, जिसके लिये हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है ऐसे कार्यों को सफल बनाने के लिये हमें सामुहिक रूप से सहकारिता को अपनाना चाहिये। जो बिखरी हुई पूंजी है उसको और पर्याप्त साधनों को जुटा करके हम सहकारिता आन्दोलन सफल बना सकते हैं जिसको कि हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। लेकिन आज सहकारिता क्षेत्र में इतनी बदनामी है, व्यक्तिगत स्वार्थों के वशीभूत होकर, वेस्टेड इंटरेस्ट की भावना से प्रेरित होकर ही अधिकतर लोगों ने इसको अपनाया है ताकि सरकार से कोई लोन, सहायता और सबसीडी प्राप्त कर सकें और उसको हजम करने के लिये इस आन्दोलन का सहारा लिया जाता है। आज अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग को सही रूप से आंका जाय तो सहकारिता से हमारी पैदावार व्यक्तिगत काश्तकार से ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वह केवल स्वार्थ ही है और केवल सरकार से सहायता प्राप्त करने का तात्पर्य होता है।

कई जगह चर्चा हुई कि इस सहकारिता आन्दोलन के ऊपर ब्यूरोक्रेसी का इतना अधिकार रहा है कि इसको स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का मौका नहीं मिलता। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत कम फीसदी संख्या ऐसी कोआपरेटिव्ज की आती है जो मेरिट्स के बल पर जीती है। होता यही है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा या किसी और प्रकार सोसाइटीज को अपने कब्जे में लेकर लोग उनको चलाने का प्रयत्न करते हैं। आज आवश्यकता है कि इस बिल में ऐसा प्राविधान होना चाहिये कि जिससे इन सब बुराइयों से ऊपर उठकर हम इस आन्दोलन को कामयाब कर सकें और सहकारिता को आगे बढ़ा सकें। अगर हम अपने जीवन में सहकारिता नहीं अपनाते तो समाजवाद और प्रजातंत्र का नाम लेना बेकार है, क्योंकि हमारे साधन इतने सीमित हैं कि हम हर एक काम को व्यक्तिगत साधनों द्वारा नहीं कर सकते। हम तो मिल-जुलकर के, सोसाइटी बनाकर इस आन्दोलन को आगे चला सकते हैं। अगर यह भावना रहे तो यह आन्दोलन बढ़ सकता है, वरना फिर कोई गुंजायश नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना ही अधिकतर इस आन्दोलन के पीछे रहती है बजाय इसके कि लोग एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ें।

सहकारिता के सम्बन्ध में आपके सामने मैं निवेदन कर दूं। सहकारिता के द्वारा अगर किसी कार्य को किया जाये तो इससे आपकी कई समस्यायें जो आपके देश में हैं, हल हो सकती हैं। सहकारिता एक ऐसा आन्दोलन है, जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग काम में लग सकते हैं। सहकारिता वह आन्दोलन है जिसके द्वारा देशमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार की जा सकती है। उद्योगों में जो मोनोपोलाइजेशन की भावना है, उसको भी सहकारिता के द्वारा काम करके उसमें भी एक डिसेन्ट्रलाइजेशन का आइडिया उत्पन्न किया जा सकता है, एक विकेन्द्रीकरण की भावना पैदा की जा सकती है। अगर आप लघु उद्योगों की बातें सोचते हैं तो वहां इस बात को भी देखना होता है कि छोटे छोटे उद्योगों के लिये भी कई कई लाख रुपये की जरूरत होती है, जो कि व्यक्तिगत रूप से सम्भव नहीं है, किसी के लिये भी अपने सीमित साधनों से इतना धन जुटा सकना सम्भव नहीं है। अतः सहकारिता आवश्यक हो जाती है। तो सहकारिता का काम करना, उसे आरम्भ करना और उसे आगे बढ़ाना हम री ईमानदारी पर निर्भर करता है। अगर हम सहकारिता को अपनाते हैं, तो उसके पीछे ईमानदारी की भावना होना आवश्यक है और हममें किसी किस्म के भी स्वार्थ की भावना न होनी चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जिनका इस बिल में प्राविधान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोआपरेटिव सोसाइटी फार्म करते समय इस बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की ओर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये कि यदि कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहा है तो वह स्वयं और सारे के सारे अपने परिवार के सदस्यों को ही उसका सदस्य बना लेता है । इस प्रकार से सहकारिता आन्दोलन में कुटुम्बवाद की भावना नहीं आनी चाहिये । कुटुम्बवाद से इस आन्दोलन को सर्वथा दूर रखना चाहिये । ऐसा होने से यह आन्दोलन कुछ हाथों में सीमित होकर रह जाता है । परिभाषा की दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि इसमें ५ से १० मेम्बर हों । उस सोसाइटी में १० आदमी एक परिवार के भी हो सकते हैं । इस प्रकार बहुत सी सोसाइटियां आज हमारे यहां ऐसी काम कर रही हैं, जिसमें एक परिवार के ही सब मेम्बर हैं । यह सोसाइटियां सोसाइटी के लिये मिलने वाला सब्सिडी और सहायता आदि हजम कर जाती हैं । और इसके लिये आपके पास कोई ऐसा ड्रास्टिक मेजर नहीं है कि आप छान बीन कर सकें और उससे धन वसूल कर सकें । इसलिये विधेयक म निश्चित रूप से यह प्राविधान होना चाहिये कि किसी व्यक्ति को सोसाइटी फार्म करते समय निश्चित रूप से यह ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यक्ति सोसाइटी फार्म करने जा रहा है उसके पास इन्कम के इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स होने चाहिये, क्योंकि यदि उसके पास ऐसे इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स नहीं होंगे तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई तो आप उससे वसूली कर सकते हैं । यदि ऐसे लोगों ने सोसाइटियां बनाईं तो आप न तो पैसा वसूल सकते हैं न उनके द्वारा यह सोसाइटियां आगे फैल सकती हैं । यदि ऐसे प्रभावशाली लोगों ने सोसाइटी बनायी और अपने तक उसे सीमित रखा और गांव के लोगों में कतई प्रचार न हुआ कि सहकारिता क्या है और उसके क्या क्या लाभ और नियम हैं तो गांव वालों में इसका प्रचार नहीं होगा ।

दूसरी बात आपके सामने यह निवेदन कर देना चाहता हूं सुझाव के तौर पर । इसके अन्तर्गत जो आप सोसाइटी फार्मेशन करने की बात करते हैं, तो सरकार उस पर पैसा भी खर्च करती है, रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उसके पीछे एक रिटर्न की बात जरूरी है । सोसाइटी बन गई, लेकिन उससे आमदनी क्या हुई, उत्पादन क्या हुआ । क्या प्रोडक्शन उसने किया ? जब तक आप यह बात उसके पीछे नहीं सोचेंगे तो इस प्रकार के गलत लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि वह बेईमानी करके आपका पैसा हजम करें और सोसाइटी के नाम पर ज्यादा करप्शन बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिये रिटर्न की बात जरूर होनी चाहिये ।

अगली बात मैं इस सम्बन्ध में यह कह देना चाहता हूं कि जब हम कोआपरेटिव सोसाइटी फार्म करने की बात सोचें, उससे पहले उन मेम्बर्स के बारे में सोचें, जो उस कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर बनने जा रहे हैं । उनकी प्रापर्टी का एक निश्चित रूप से डिक्लेरेशन होना चाहिये कि उनके पास और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास पृथक्-पृथक् कितनी प्रापर्टी है तथा प्रत्येक की इन्कम के सोर्स क्या-क्या हैं । ताकि किसी गड़बड़ी के समय जांच करके सही बात का पता लग सके और वसूली भी हो सके तथा उनकी ईमानदारी का पता भी जरूरत पड़ने पर चल सके । एक बात और इस संबंध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सोसाइटी के फार्मेशन करने में यह भी नितान्त आवश्यक है कि सोसाइटी के हरेक सदस्य को उसी नेचर का दूसरा बिजनेस करने का मौका नहीं होना चाहिये। इससे उसम जो सहकारिता की भावना है वह समाप्त हो जाती है । अगर वह उसी किस्म का दूसरा बिजनेस करता है तो वह बजाय सहकारी बिजनेस करने के अपने प्राइवेट बिजनेस पर काम करेगा और सहकारी बिजनेस से उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दूसरे, जो उसको सहायतादी जावेगी रा-मैटेरियल आदि के रूप में वह उसे सहकारी बिजनेस पर न लगा कर अपने काम में लगायेगा । इसलिये यह तीन-चार बातें मैंने कहीं जो सहकारिता के लिये आवश्यक हैं । इनके ऊपर निश्चित रूप से गौर करना चाहिये । जो रजिस्ट्रार को चेक और बैलेन्स के पावर दिये गये हैं उसके लिये भी कोई नियंत्रण होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को प्रवर समिति में जाने के लिये इसका समर्थन करता हूं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है और जो प्रस्ताव रखा है इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये, मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं । वैसे जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह विधेयक तो दिसम्बर, १९६१ तक ही आ जाना चाहिये था। जनता की इच्छाओं को देखते हुये और जो सामाजिक दृष्टिकोण सरकार ने अपनाया है, उसे देखते हुये, माननीय मंत्री जी ने जो इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है, वास्तव में कमियों के होते हुये भी मैं उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस किसी सज्जन ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, इसकी ड्राफ्टिंग की है, वे धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को अपने हाथ में इस विधेयक के जरिये से संचित कर रखा है और इस विधेयक के पास हो जाने के बाद मान्यवर मैं ऐसा समझता हूं कि जो डिसेन्ट्रलाइजेशन की भावना सरकार चाहती है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त किया जाय, उस भावना पर ही कुठाराघात करने का निश्चिय उन सज्जन का रहा होगा, उस समय जब कि उन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया होगा। श्रीमन्, मैं उनकी होशियारी पर धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा आप समझते हैं, उन्होंने बिल के उद्देश्य और कारणों में लोकतन्त्रशाही की बात की है, लेकिन जब उसकी बाडी में आया जाता है तो उसमें ऐसा पाया जाता है कि उनकी जो आत्मा है, वह उसमें छिपी हुई है और वह किसी तरह से भी अपनी आत्मा की पुकार को न छिपा सके। मैं इसलिये उनकी तारीफ करता हूं क्योंकि उन्होंने बड़ी सुयोग्यता से इसको ड्राफ्ट किया है।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि विकास कार्यों में १९०४ से लेकर आज तक काफी प्रगति हुयी है। मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्री जी काफी खुश हुये होंगे कि सरकारी आन्दोलन की गति तीव्र होती चली जा रही है और कैपिटल इसका बढ़ता चला जा रहा है। यह बात सही है कि उनको उससे खुशी हुई होगी, लेकिन जो उसका दूसरा नक्शा है उसको अगर माननीय मंत्री जी देखते तो उनको पता चलता कि इतनी पूंजी लगाने के बाद और इतना व्यय कर देने के बाद वह सब कहां गया, क्यों घाटा हुआ। हर विभाग की अगर आप आडिट रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां भी कोआपरेटिव के जरिये काम हुआ है वहां घाटा ही हुआ है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी यह नहीं कहा कि सहकारी आन्दोलन में आफिसरों का प्रभुत्व होना चाहिये। बल्कि पहले जब वे यहां आये थे तो उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन को जनता नीचे से ऊपर लाये और जनता का ही फुल कन्ट्रोल उस पर हो। आपको मालूम होना चाहिये कि बलगेरिया में अंग अंग में सहकारी अन्दोलन फैला हुआ है। वहां पर फायदा ही होता चला जा रहा है। लेकिन हमारे यहां हर सहकारी आन्दोलन में घाटा ही होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल यह है कि एक आदमी के हाथों में सारी सत्ता केन्द्रित कर दी गयी है। यह दुनिया के इतिहास के किसी भी सहकारी आन्दोलन में देखने को नहीं मिलेगा।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक की धारा १२७ को पढ़ना चाहता हूं। इसमें बट्टे खाते डालने के बारे में प्राविधान किया गया है। इसमें लिखा है कि "सहकारी समिति निबंधन, के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी परिसम्पत्तियों को बट्टेखाते डाल सकती है जो अशोध्य हों और वसूल न की जा सकती हो।" इससे यह होगा कि फर्जी सोसाइटियों के नाम से जो करोड़ों रुपया ले रखा गया है और जो वसूल नहीं हो पा रहा है और जब यह समस्या सामने है कि उसके लिये किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाय, कहीं ऐसा न हो कि उसके लिये इन आफिसरों की गर्दन पकड़ी जाय, तो उससे बचने के लिये आपके अधिकारियों ने ऐसा प्राविधान कर दिया। हमारे आफिसर्स बड़े होशियार हैं, मगर माननीय मंत्री जी को उनकी होशियारी से सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि उनकी होशियारी से ऐसा प्राविधान हो जाय।

श्रीमन्, न्यायाधिकरण की बात इसमें कही गयी है। उसके लिये एक न्यायाधिकरण होगा जिसमें ३ सदस्य होंगे। वह कौन सदस्य होंगे, उसका पता कहीं भी इस विधेयक से

नहीं चलता है। जब आपका उद्देश्य सहकारी आन्दोलन को देहातों में फैलाना है तो आप क्यों नहीं उसके अन्दर जनता के चुने हुये नुमाइन्दे को रखते हैं।

श्रीमन्, आज इतना ही नहीं है। एक और कमी आप इस विधेयक के अन्दर पायेगें। इस विधेयक में कहीं यह चर्चा नहीं है कि जो सर्विस कोआपरेटिव्ज या कोआपरेटिव सोसाइटी चाहे वह इंडस्ट्रियल सेक्टर की हों, चाहे वह केन डेवलपमेन्ट की हो, चाहे किसी विभाग की हो उसके आडिट की क्या व्यवस्था होगी? यह चीज आप इस विधेयक में कहीं नहीं पायेगें। आज स्थिति क्या है? मैं इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज और केन कोआपरेटिव की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। केन कोआपरेटिव्ज में जो आडिट होता है वह केन कमिश्नर के अंडर में होता है, केन डिपार्टमेंट का आडीटर केन कोआपरेटिव्ज का आडिट करता है। इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज का आडिट डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के द्वारा होता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप इस कोआपरेटिव को इतना ज्यादा व्यापक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्यों नहीं जो चीफ आडीटर कोआपरेटिव के हैं उनको मुकर्रर करते कि वह चाहे केन हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे मिल की कोआपरेटिव हो, उसका आडिट उनके जरिये से होगा जिससे कि कम से कम एक ऐसी जगह से हम उनका आडिट सही तरीके से करा सकें। क्योंकि आप उसी डिपार्टमेंटल हेड को वह देना चाहतें हैं ?

आज हालत यह है कि हम अगर कोई अच्छा काम भी अपने हाथ में लेते हैं तो दुनियां हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत करने के लिए तैयार होती है। बहुत सी विरोधी पार्टियां तो आज श्रीमन्, सरकारी और सहकारी नाम से चुनाव में जीत कर सदन में बैठने का दावा करती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सोशलिस्ट कहलाने वाली पार्टी के लिए यह कलंक की बात है कि अगर कोआपरेटिव मूवमेंट हमारा सफल न हुआ और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोआपरेटिव मूवमेंट सक्सेसफुल हो तो आप जनता का सहयोग इसमें प्राप्त करें। काटजू कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी काटजू कमेटी की रिपोर्ट को पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा, उसमें दिया है, आफिसरों का अफिशियलडम इसमें से अलग होना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, आप पूरे विधेयक को पढ़ जायं तो आपको मिलेगा, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव को इसमें सारी शक्ति प्रदान कर दी गई है। एक चैप्टर ही निबन्धक के ऊपर रखा हुआ है, सेक्शन, १२७,१२८ यह सारे उन्हीं के बारे में हैं कि कैसे सारी पावर से उनको ओतप्रोत कर दिया जाय। मैं बहुत अदब से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर वह चिन्तनशील हैं और मैं समझता हूं कि वह बहुत अध्ययन करते हैं, तो वह जरूर इस विधेयक के अन्दर बहुत सी खामियां देखते होंगे और प्रवर समिति में भेजने का उनका अभिप्राय मैं समझता हूं यही है कि ईमानदारी से वह महसूस करते हैं कि इसके अन्दर की खामियों को दूर करके, इसका शोधन होना आवश्यक है ।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को विधेयक प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद अवश्य देता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आफिशियल मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से सारी पावर को अपने हाथ में रखकर सहकारिता आन्दोलन को नचाना चाहती है, उससे वह बचे रहेंगे और जो आपके सोशलिस्टिक आइडियाज हैं और जनता के जिस सहयोग के लिये हमारे मरहूम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बार-बार कहते रहे हैं, उसके अनुरूप प्रवर समिति में इसको बनायेंगे जिससे कि जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सके और जो भ्रष्टाचार है वह अधिक सीमा तक मिटाया जा सके ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने पेश है और जिसके लिये मंत्री जी महोदय की ओर से सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया है, यह बहुत ठीक किया गया है । आमतौर से ऐसा होता है कि जब कोई सदस्य एक बिल को खटाई में डालना चाहता है या डिले करना चाहता है तो अपोजीशन की ओर से सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव पेश

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

किया जाता है। लेकिन यह जो प्रस्ताव मंत्री महोदय की ओर से प्रस्तुत हुआ है इससे साफ जाहिर है कि वे इस बात को महसूस करते हैं कि इस बिल में बहुत सी त्रुटियां हैं तथा वह इस बिल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर सारे समाज का संगठन निर्भर है। जो त्रुटियां अब तक सवालों द्वारा बतायी गयी हैं या पायी गयी हैं और अक्सर मेम्बरों की ओर से कहा जाता रहा है कि इनके द्वारा सरकारी द्रव्य का बड़ा दुरुपयोग होता है या गबन होता है, उन्हीं बातों को देखकर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है, ताकि बड़े विचारपूर्वक संशोधन किये जा सकें।

अब सवाल यह है कि संशोधन किस दृष्टि से किये जायं? एक विचार सेलेक्ट कमेटी के सामने यह होना चाहिये कि आजकल जो करप्शन की शिकायतें हैं वह आगे न होने पायें। एक बार चीफकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री गजेन्द्रगडकर साहब ने कहा था करप्शन इतना बुरा नहीं है जितना कि करप्शन का शुभा होना। जब कि हमारे समाज में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि अमुक डिपार्टमेंट या सोसाइटी में करप्शन है वह समाज के लिये और उस डिपार्टमेन्ट के लिये हानिकर है। इसलिये जब हमारी सोसाइटीज पर करप्शन का लांछन लगाया जाता है तो उसके लिये हमें खास उपाय सोचने चाहिये।

एक उपाय तो यह है कि सरकार के पास ऐसी लिस्ट मौजूद है कि किन सोसाइटीज के बारे में शुभा है और उसके अध्यक्ष और सदस्य कौन हैं। अतः भविष्य में वे अध्यक्ष और सदस्य कभी भी सोसाइटी के कार्यकर्त्ता न बन सकें। दूसरी बात यह है कि जब किसी सोसाइटी का प्रबंधक नियुक्त हो तो उसमें सबसे पहला सवाल इन्टिग्रिटी—दियानतदारी का आता है। वह ऐसा आदमी होना चाहिये जिस पर किसी का शुभहा न हो। नियुक्ति इंटिग्रेटी के आधार पर न कि पार्टी के आधार पर होनी चाहिये।

सहकारी सोसाइटीज के लिये जो कानून बना है वह करीब करीब ऐसा है जो सारे प्रदेश में एक सा लागू होगा। मेरा खयाल है इसमें सरकार को यह देखना है कि प्रत्येक जिले और स्थान की परिस्थितियों के अनुसार ही उसको होना चाहिये। जैसे पहाड़ों की सोसाइटीज हैं उनकी दशा बहुत शोचनीय है, उन सोसाइटीज को पहाड़ों की विशेष परिस्थिति के अनुसार बनाया जाना चाहिये। मुझे एक बात खासतौर से यह कहनी है कि पहाड़ में सोसाइटीज जो बनायी गयी हैं वे कुछ खास केन्द्रों में बनायी गयी जहां कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनका संचालन तो करते हैं लेकिन उनसे जो फायदा हमारी जनता को हो सकता था वह नहीं होता। तो इस बात का भी हमको खयाल रखना होगा कि सहकारी समितियां देहात में गांवों के नजदीक होनी चाहिये।

एक बात और भी खयाल रखने की यह है कि जब हम इस बिल का संशोधन करने जा रहे हैं तो सरकार को चाहिये कि पिछले ४–५ वर्षों के अन्दर इस सदन में जितने प्रश्न किये गये हैं जिनके द्वारा सरकार को इत्तला दी गयी है कि फलां फलां जगह इतने गबन हुये, या फलां फलां जगह ये अनियमिततायें हुई, उनको देखते हुये सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जब संशोधन हो तो वे त्रुटियां न रहने पावें जिनकी वजह से उनके बारे में फिर सरकार से सवाल पूछा जाय। सरकार की तरफ से जो जवाब दिये गये हैं उनको भी वह अपने ध्यान में रखते हुये इस विधेयक पर विचार करें। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने जा रहा है जहां इस पर पूर्ण से रूप से विचार किया जा सकेगा। हमारे समाज की सारी व्यवस्था इस पर मुनहसर है। सारा मानव समाज सहयोग से ही शुरू हुआ। पहले मानव समाज अपनी डफली लेकर अलग अलग ही राग अलापते थे। जब एकता के आधार पर समाज का संगठन हुआ तब मानव जाति उन्नति कर पाई। हमें यह देखना है कि इस बिल से समाज का फायदा होता है न कि किसी खास व्यक्ति का।

*श्री देवेन्द्र सिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ है और जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सहकारी आन्दोलन हमारे प्रदेश में सन् १९०४ में शुरू हुआ। उस समय यह आन्दोलन सरकारी आन्दोलन था और कुछ उद्देश्यों को लेकर यह आन्दोलन चलाया गया था। लेकिन जैसे जैसे इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा और इस आन्दोलन ने सरकारी रूप से सहकारी रूप धारण किया तब वास्तव में यह आन्दोलन शुरू किया गया। उस समय इसके कुछ सीमित उद्देश्य थे। वह यह कि हर किसान को सस्ते व्याज पर ऋण देने की व्यवस्था करना, जो गरीब जनता थी उसका उत्थान करना, जो कम या न्यून आय वाले लोग थे उनको तरक्की देने का मौका प्रदान करना। इसके अतिरिक्त गरीब जनता में एक और भावना उत्पन्न करना कि वे स्वावलम्बन अख्तियार कर सकें। ये तीन-चार कारण थे जिनकी वजह से यह सहकारी आन्दोलन हमारे प्रदेश में शुरू हुआ। जहां पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, वहां पर मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस समय इस विधेयक पर प्रवर समिति में विचार किया जाय, उस समय पर्वतीय क्षेत्र व पिछड़े क्षेत्र के दायरे को नजरअन्दाज न किया जाय और वहां की जो विशेष परिस्थितियां होती हैं, चाहे वे ऋण देने के सम्बन्ध में हों, चाहे सहकारी समितियों के सम्बन्ध में हों, चाहे किस्तों की अदायगी के सम्बन्ध में हों, उनको ध्यान में रखा जाय।

एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं कि पर्वतीय क्षेत्र में फसलें साल में लगभग एक बार या कहीं-कहीं पर दो बार हुआ करती हैं। तो अगर हमारे यहां ऋण की अदायगी के नियम साल में दो बार हों तो जहां पर वर्ष में केवल एक बार ही फसल होती है तो वहां किस प्रकार से दो बार अदायगी में सुविधा हो सकेगी, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिये। यदि हम इस कोआपरेटिव मूवमेंट को सफल बना सकें और ऐसे उपाय हम कर सकें तो हम अवश्य ही खाद्य की और उत्पादन की समस्या को हल कर सकते हैं। आज मन्त्री जी ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का सुझाव रखा है मेरा निश्चित मत है कि उन्होंने जब इस बिल पर विचार किया होगा तो उन्होंने इस में बहुत-सी खामियां पाई होंगी। मैं समझता हूं कि यही उनकी मंशा रही होगी और जो खामियां इस में रह गई हैं वह वहां दूर हो जायंगी जब प्रवर समिति इस पर गौर करेगी। मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं और उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

प्रजातन्त्र की जो आज हर जगह दुहाई दी जाती है और आज वह एक नारा-सा बन गया है उस के लिए यह जरूरी है कि विकेन्द्रीकरण को सफल बनाया जाय। लेकिन जब हम इस के दूसरे पक्ष को देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रजातन्त्र को कमजोर करने के लिए ज्यादा अवस्थाएं पैदा की जा रही हैं, बजाय इसके, शक्ति को विकेन्द्रित किया जाय उस को और केन्द्रित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि कौन इस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कहीं न कहीं और कोई न कोई इस के लिए जिम्मेदार है जिसकी तरफ मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

मैं आप के द्वारा सदन के सम्मुख कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं हमारा जो आजतक का सहकारिता का कानून है उसमें नियम है कि ५ हजार से अधिक जो कर्जा लेगा उसको ए० आर० से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जो बड़े-बड़े किसान हैं और ५,००० से अधिक का गल्ला सोसाइटी के द्वारा बेचते हैं उनके लिए इस से बड़ी खराब पोजीशन हो जाती है कि वह ५,००० से अधिक का गल्ला किस तरह से इन समितियों में रखें? अगर उन्हें ५,००० से अधिक का गल्ला लाना है तो उन को ए० आर० के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा और परेशानी उठानी पड़ेगी। वह विवश हो जाते हैं कि ५,००० से ज्यादा का गल्ला बनियों के हाथ बेचें या अन्य साधन ढूंढ़े इसका भी कुछ उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि हम देखते हैं कि हर साल जितनी भी समितियां होती हैं लगभग उन सब के चुनाव होते हैं जिस से जैसे ही वह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है, सभापति या उप-सभापति जो भी हो, उस का आधे से ज्यादा टर्म तो काम को समझने में समाप्त हो जाता है और जैसे ही उसमें काम सीखने की ख्वाहिश पैदा होती है उसका टर्म समाप्त हो जाता है और उसे कठिनाई होती है। यह स्थिति ठीक नहीं है, मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति इस पर विचार करते समय यह देखे कि क्या यह टर्म एक साल की जगह २ वर्ष रखना उचित होगा।

इस में एक बड़ी अच्छी बात यह की गई है कि रजिस्ट्रार के अधिकार कुछ कम किए गए हैं, लेकिन विकेन्द्रीकरण की बात को ध्यान में रखते हुए उनके जो अधिकार फिर भी रखे गए हैं इस विधेयक के द्वारा उन को भी और कम करने की आवश्यकता है ताकि हमारी सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिल सके और उन में एक आत्म विश्वास की भावना पैदा हो सके।

एक प्राविधान इस में यह भी किया गया है कि अब बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह पेड सेक्रेटरी होंगे। इस से जो वहां की व्यवस्था है वह एक अधिकारी के हाथ में चली जायगी जिससे मेरा विचार है कि वहां के वर्किंग में ज्यादा खराबी आ जायगी वर्तमान व्यवस्था के मुकाबले में। मैं चाहता हूं और मंत्री जी ने प्राविजन किया है कि जिलाधीश प्रेसीडेंट नहीं होगा। यह ठीक है। लेकिन जहां तक सेक्रेटरी का सवाल है वह पेड रहेंगे और उस पर सारा दारोमदार छोड़ना न्याय संगत नहीं होगा। बड़ी दुहाई दी जाती है कोआपरेटिव को प्रोत्साहन देने की, लेकिन व्यवहार रूप में जो आज हो रहा है मैं उस बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि बहुत-सी लेबर कोआपरेटिव्ज हैं जो विभाग में ठेके तथा अन्य कामों के लिए एप्लाई करती हैं। लेकिन उनको हतोत्साह किया जाता है और उन पर यकीन नहीं किया जाता है। इसलिए इस बात की व्यवस्था की जाय और प्रवर समिति इसकी सिफारिश करे कि उनको ऐसे कामों में प्राथमिकता देने के लिए प्राविजन किया जाय जिससे वह पनप सकें।

जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि बोगस कोआपरेटिव्ज बनायी जाती हैं जिसके जरिए सरकारी रुपया लेना ही लक्ष्य होता है और लक्ष्य पूरा होते ही वह समाप्त हो जाती हैं। अतः ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि जिससे बोगस कोआपरेटिव्ज बनने से रुक सकें। आज कोआपरेटिव सोसाइटीज, बैंक, मिल्क यूनियन्स या केन सोसाइटीज अपने बाई लाज बनाती हैं तो २, ३ साल तक रजिस्ट्रार के यहां से उनकी स्वीकृति नहीं हो पाती। अतः सरल नियम बनाए जायं जिससे कोआपरेटिव्ज की नार्मल वर्किंग पर कोई असर न पड़े। अन्त में निवेदन है कि अगर हमको सही माने में आफिशियल कन्ट्रोल को कम करना है और विकेन्द्रीकरण को बढ़ाना है तो हमें इन बातों का प्राविधान इस बिल में करना होगा ताकि जिस भावना को ले कर कोआपरेटिव को बढ़ाना चाहते हैं वह पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहकारी मन्त्री को बधाई देता हूं जो उन्होंने ऐसा विधेयक पेश किया जिसकी यहां की गरीब जनता आशा लगाए बैठी थी कि सहकारिता में किसी प्रकार का सुधार हो। जो विधेयक पेश हुआ है उसको देखते हुए कुछ ऐसी आशायें बंधी हैं कि सहकारिता में जो बुराई आ गयी हैं वह दूर हों और कुछ जागृति और उन्नति आवे। बहुत दिन क बाद यह विधेयक आया है। जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध है मैं नहीं समझ पाता कि हममें से कोई भी यह स्वप्न में भी सोच पाता होगा, अंग्रेजों के जमाने में, कि सहकारिता का ऐसा रूप होगा जिसमें सरकारी अधिकारियों का अधिकार सहकारिता में अधिक होगा और इस प्रकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सहकारिता स्थापित होगी कि अधिकारियों का बोलबाला रहे और जनप्रतिनिधियों की कोई आवाज न रहेगी।

श्रीमन्, हम लोग तो यह सोचते थे कि जो हमारे ऋषि-मुनियों ने और बुजुर्गों ने सहकारिता का निर्माण किया था और इस देश में सहकारिता चलाई गई थी, जिसमें आपस में मिल-जुल कर काम करते थे, वह चलेगी, पर देखा गया है कि उसमें सरकारी अधिकारी घुस बैठे हैं। पहले जमाने में हमारे मामले पंचायतों में तय होते थे और कभी कोई झूठ नहीं बोलता था, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें सभी झूठ बोलते हैं। पहले जो अधिकारी हैं वे अधिकतर अमीर घरानों से आते हैं, वे क्या जानें कोआपरेटिव सोसाइटीज या कोआपरेशन के सम्बन्ध में? सहकारिता को समझने और चलाने के लिए मजदूरों के घरों से, किसानों के घर से, दस्तकारों के घर से, उद्योग धंधा करने वालों के घर से और फिर व्यापारियों के घर से आने चाहिए जो इस सहकारिता के काम को चला सकें। इन सरकारी अफसरों को तो पता भी नहीं है कि सहकारिता चीज क्या है। इनके ऊपर तो यह जबरदस्ती से लाद दिया गया है। इसका नतीजा यह है कि आज हर जगह गबन हो रहा है। दुग्धशालाओं में भी जिनको ९–९ लाख रुपए में तैयार किया जाता है और जिनके अधिकारियों की तनख्वाहों में हजारों रुपया बरबाद किया जाता है उनमें गबन होते हैं और ठीक तरह से वे नहीं चलती हैं। यह भी देखा गया है कि जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं उन पर गबन आदि के जब केस चलाये जाते हैं तो पहला नियम यह हो कि यदि किसी ने गबन किया है तो उसके चाहे डायरेक्टर हों या और कोई अधिकारी हो उससे पूछा जाय। मुकदमें में क्या होता है, उसमें भी रुपया बरबाद होता है। तो वह सहकारिता सहकारिता नहीं रही।

आज बड़े-बड़े मिल, बड़े-बड़े कारखाने और बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे सहकारिता में चल रहे हैं। पहले भी हमारे गांवों में डंगवारे के रूप में चलता था, कुएं जब चलते थे और गन्ना पेरने के लिए जब कोल्हू चलते थे तो सहकारिता से उनमें काम चलता था। न कोई उनमें सरकारी अधिकारी का दखल होता था और न कोई बेईमानी होती थी और न कोई गबन ही कभी होता था। इस तरह से हमारे कार्य सुचारुरूप से चलते थे और हमें यह ही चाहिए। मजदूरों की सोसाइटीज हों और अधिकारियों को केवल इतना अधिकार हो कि वे छठे महीने में वे आडिट कर लें कि पैसे का सही उपयोग हुआ या नहीं। उनका काम यह नहीं होता कि वे पार्टीबाजियां करायें। आज देखा जाता है कि रुपया किसी के नाम है और रुपया किसी ने लिया है क्योंकि इस विभाग के सुपरवाइजर बैरिस्टर हो रहे हैं और यहां जो डायरेक्टर वगैरह यहां बैठे रहते हैं उनका क्या सम्बन्ध है सहकारिता से? जब सहकारिता में जनता के लोग होंगे तभी हमारे उद्योग-धंधे पनपेंगे, हमारा कृषि व्यापार पनपेगा। पर यहां पर उल्टा हो गया। आज तक किसी अफसर को सजा नहीं हुई जिसमें गबन हुआ हो। इनमें सुपरवाइजरों को सजा क्यों नहीं दी जाती क्योंकि वे खाते हैं, मजा करते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो सुपरवाइजर, कामदार, इन्स्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर तथा डायरेक्टर ने कह दिया वह पत्थर की लकीर है और जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं।

मेरा सुझाव है कि अधिकारियों का सहकारिता से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए और अगर यह सम्बन्ध रहा तो चाहे सारा बजट इस देश का खर्च कर दें आप सहकारिता में उससे गरीबों का, जनता का भला होने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मजदूर उन्नति नहीं कर सकेगा। यहां का व्यापार भी उन्नत नहीं हो सकेगा। मेरठ में दुग्धशाला है और ९ करोड़ रुपया उसमें लगा। अधिकारियों का उसमें हाथ था। एक आफिसर से नहीं पूछा गया कि क्या हुआ उस रुपए का? हमारी ग्रामीण जनता में पंचायत हुआ करती थी। कसम दिलवाई जाती थी। देहाती रुपया देने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन कसम खाने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन आज झूठी कसम खाई जाती है। मन्त्री जी इतना ध्यान रखें कि सहकारिता में नौकरशाही नहीं होनी चाहिए। वे ग्राम सेवक बनें। आडिटर हर ६ महीने बैंक और सोसाइटी के हिसाब को चेक करें, चुनाव वक्त पर हों और बैंकों तथा सहकारी सोसाइटी में जो पार्टी-

[श्री हरीसिंह]

बाजी हो रही है उसे खत्म किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सहकारिता पनप नहीं सकती। सहकारिता का अर्थ है सबका सहयोग। जनहित में सहकारिता होगी तभी पनप सकेगी। व्यक्तिगत शुगर मिलें हैं, लाखों रुपए का फायदा होता है, सहकारी शुगर मिलों में नुकसान होता है। इसका कारण है वहां की अफसरशाही, जिसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। फिर यह सहकारिता कैसी? जैसे चुर्क सीमेंट फैक्टरी वैसे सहकारी शुगर मिल। १५ वर्ष में सहकारी विभाग ने इस प्रदेश के गरीब निवासी की हैसियत तय नहीं की। मैं अब वर्तमान मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि जो गरीब आदमी रहता है इस प्रदेश में उसकी हैसियत तय की जायगी। हजारों रुपया गरीब के नाम पर अपव्यय किया जा रहा है। फिर इस सहकारी विभाग में १८ परसेन्ट हरिजनों को जो रिजर्वेशन मिला है वह भी नहीं दिया जाता चपरासी तथा सुपरवाइजर तक की नौकरियों में। अगर कुछ रखे भी जाते हैं तो निकाल दिए जाते हैं कि साहब अयोग्य हैं, मानो हरिजन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकलते हैं और योग्य व्यक्ति किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से। लेकिन चन्द दिनों के बाद हरिजन अयोग्य हो जाते हैं क्योंकि वे सहकारिता को जानते हैं। हम लोग दुखी हैं इसलिए सहकारिता की आवश्यकता है। धनवान चाहे किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो उसे सहकारिता की आवश्यकता नहीं है। निर्धन, निर्बल कमजोर चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या कोई भी हो उसे सहकारिता की आवश्यकता है।

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि जो बंजर भूमि है वह खेतिहर मजदूरों को दी जाय। उनको खाद वगैरह दी जाय और वे उसमें खेती करें। साल में पैदा न होगा तो दूसरे साल में होगा। आज कहा यह जाता है कि जमीन को बांटा जाय। लेकिन जमीन क्या कोई रबड़ है? हम कहते हैं कि मिलें क्यों न बांटी जायं? आजकल अगर कोई कारखाना कहीं खोला भी जाता है तो उसमें बड़े-बड़े अफसर यहां से भेज दिये जाते हैं और सारा मामला ठप्प हो जाता है। वही उस कारखाने का मैनेजर होना चाहिए जिसके हिस्से हों। इसके अलावा सेक्रेटरी बिना वेतन के नहीं होना चाहिए। कोई आदमी बिना वेतन के अपना पूरा समय नहीं दे सकता है। गरीब मजदूर, किसान कैसे सेक्रेटरी बन सकते हैं? वे खायेंगे कहां से? दूसरे देशों में भी सेक्रेटरी को पे दी जाती है। श्रीमन्, आप मजदूर और किसानों की सोसाइटी बनाइए और होल सेलर सोसाइटी भी बनाइए जो छोटी-छोटी चीजें सोसाइटीज से लेकर व्यापारियों को सौंप दें या भिन्न-भिन्न दुकानों को दें। वे दुकानें भी सहकारिता की होनी चाहिए। इस तरह की जब सहकारिता की आपकी कड़ी होगी तभी सहकारिता पनप सकती है। अगर सरकार के हाथ में रहेगी तो कभी नहीं पनपेगी। किसी भी देश का उत्थान सहकारिता से ही हो सकता है और देश समृद्धशाली सहकारिता द्वारा ही बन सकता है।

श्रीमन्, आजकल चमड़े का उद्योग करोड़ों रुपए का है। हमने यह तय किया कि जो जानवर मरें वे उसको दिए जायं जो हड्डी निकाल कर बेच दे और उस पर एक आना रुपया सोसाइटी को दे। हड्डियां उसी को बेचे जो खाद बनाए और मांस भी उसको दे जो खाद बनाए और एक आना रुपया सोसाइटी को दे और खाल भी उसको दे जो उसको पकाए। इसमें न कोई टैक्स है, न घाटे का सवाल है न और किसी बात का है। जो खाद लेने वाले आवें तो वह भी दें, मांस लेने वाले आवें वह भी दे, इस तरह चमड़े का जो भी रोजगार करे वह एक-एक आना फी रुपया दे। इधर मोची का जूता तैयार हुआ वह सहकारी दूकान पर आया और अगर जूता बाजार में २५ का मिलता है तो यहां १५ का बिकेगा, क्योंकि यहां पर जूता ८ का पड़ेगा। उधर १५ आने सोसाइटी को भी आ जायेगा। लेकिन वह बात आपके अधिकारी जानते नहीं हैं। जो पैसा जमा हो उससे हमारे लड़के विदेशों में जायं और बढ़िया कलायें सीखकर सहकारिता को फलने फूलने में मदद पहुंचावें। बड़ी-बड़ी दूकानें जूतों की, सूटकेस की सब सहकारी हों, वहां भी एक आना रुपया कटे। न गबन, न घाटे का डर, उस धन से

हमारे बैंक की स्थापना होगी, आठवें दिन रुपयों का भुगतान होगा, शेयरहोल्डरों का रुपया भी सेफ, लेकिन यह सब आपके आफिसरों से नहीं हो सकता। यह सारा काम रोटेशन से होने लगेगा।

जहां तक अन्न का सवाल है, आप कानून बनाते हैं। लेकिन सहकारिता का आधार लो कानून बनाने की जरूरत नहीं। फिर सरकारी अधिकारी कानून बनाते चले जावें, और हो कुछ सके नहीं। किसानों की गल्ले की सहकारी सोसाइटी हो, वे ही दाम तय करें, उनकी यूनियन हो, उनकी दुकानें हों, वहां पर जो माल बिके उससे भी एक आना रुपया सहकारिता आन्दोलन के लिए कटे। उससे सेक्रेटरी या जो भी कार्यकर्ता हों उन को उससे तनख्वाह मिले। लेकिन यह आपके अधिकारियों के द्वारा नहीं होगा और अगर उनके द्वारा हुआ तो छटंकी, कहीं फटका, कहीं बोरी में कुछ परखो से पहुंच गया कहीं मिट्टी मिल गयी। तो कहीं इन कर्मचारियों के द्वारा सहकारिता फैल सकती है ? मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम सब सदस्यों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि हम सहकारिता को अपना आन्दोलन समझकर अपने देश में उसको फैलावें, हम इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझें कि जब तक घर-घर सहकारिता का प्रचार नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अपने माननीय मंत्री से इसीलिए निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य भेजना चाहिए।

सहकारी खेती का जहां तक प्रश्न है करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो रहा है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो सहकारिता आजकल चल रही है उसको देखकर बड़ा दुख होता है। यह हमारे प्रदेश का सवाल है। हम जब सहकारी खेती देखते हैं तो हमारी समझ में नहीं आता कि क्या बवाल है। लाखों करोड़ों रुपया उसके नाम पर अपव्यय हो रहा है। हमने यह समझा था कि जो नयी जमीन तोड़ी जायगी या जो बंजर भूमि होगी वह जिनके पास जमीन नहीं है उनको बैल, हल, खाद, पानी आदि की सहायता देकर उनसे उसमें खेती करवायी जायगी, उनके वह स्वयं मालिक होंगे, लेकिन हुआ उसका उलटा। आज बड़े-बड़े फार्म वाले कोआपरेटिव बना रहे हैं। छोटा किसान उनमें कोई नहीं है। अगर आप उनकी तह में जाओगे तो पाओगे कि उसमें मजदूर, छोटा किसान कोई नहीं है, दो एक जैसे फैजाबाद और बनारस की हैं, मैं उनकी नहीं कहता, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दें। खेतिहरों में जमीन का वितरण किया जाय तभी खेती बढ़ सकती है। जहां तक उद्योग धन्धे का प्रश्न है वह सहकारिता के द्वारा जरूर बढ़ सकता है। सहकारिता के अलावा हमारे सामने और दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा ऐसा आन्दोलन नहीं है जो जनहित में हो, जो जनता को लाभ पहुंचाने वाला हो। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे जनता का हित प्रदर्शित होता है और अपने देश में और प्रदेश में आगे चलकर उन्नति कर सकते हैं। ब्लाक में क्या होता है ? वहां कुछ नहीं होता है। वे जीप में बैठे फिरते हैं, लेकिन उनसे क्या हो रहा है। यह सब रुपए का अपव्यय हो रहा है। प्रदेश की उन्नति केवल सहकारिता के द्वारा ही हो सकती है और सहकारिता की उन्नति तब हो सकती है जब आप इन सारे अफसरों को हटायें, नहीं तो यह सहकारिता सफल होने वाली नहीं है।

जहां तक पानी का सम्बन्ध है सहकारिता ने अपने ट्यूबवेल लगाए और व्यक्तिगत लोगों ने ट्यूबवेल लगाए। व्यक्तिगत लोगों ने ट्यूबवेल लगाए तो उनको मुनाफा और सहकारिता ने लगाए तो उनको घाटा हो रहा है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सहकारिता के ट्यूबवेल को क्यों घाटा हो रहा है और व्यक्तिगत ट्यूबवेल को क्यों मुनाफा हो रहा है ? करोड़ों रुपया सहकारिता क्यों घाटा उठा रही है ? क्या वह घाटा हो रहा है या नहीं यह मन्त्री जी बतलायें ? बीज के बारे में यह हालत है कि आधा बीज और आधी मिट्टी किसानों को दी जाती है। नहर विभाग का भगवान् मालिक है, उसकी बाबत मैं ही नहीं हमारे सब माननीय सदस्य जानते हैं। पशु पालन विभाग को लीजिए। सहकारिता का दूध से मतलब है तो भैंस और गाय गरीब और मजदूरों को दीजिए। इनसे उनकी जीविका चलेगी लेकिन इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं किया। पशु पालन में उन्होंने एक पाई भी खर्च नहीं किया। यदि यह सरकार

[श्री हरीसिंह]

चाहती है तो मजदूरों को भैंस और गाय दे दे उनसे उनका निर्वाह हो सकता है। हमारे पश्चिमी जिलों में हालत यह हो रही है कि वे तबाह हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पूर्वी जिले का कोई मर जाता है तो यहां पर हल्ला मच जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक प्रान्त का बटवारा नहीं होगा और पश्चिम और पूर्वी हिस्से को अलग नहीं किया जायगा, तो पश्चिमी जिले बरबाद होते रहेंगे और उनकी मुसीबत को कोई नहीं सुनेगा। पश्चिमी जिले अलग हो जायं तभी उन्नति कर सकते हैं। पश्चिमी जिले आज मेहनत करके भी बरबाद हो रहे हैं। १७, १८ जिलों में आपत्ति आई हुई है पर यहां पर मन्त्री जी भी, जो पश्चिमी जिलों के रहने वाले हैं वह भी नहीं सुनते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह प्रदेश बटना चाहिए। तब तक हम खुश नहीं रहेंगे और न सरकार और सहकारिता भी नहीं चल सकती है। यही आपकी सहकारिता है। इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि इसे आप प्रवर समिति में भेजें और उसमें माननीय सदस्यो के सुझाव को सुनें और फिर संशोधित रूप में विधेयक को सदन में लायें। आज वह विधेयक सदन में लाए इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान देंगे क्योंकि इसके बिना हमारा प्रदेश और देश उन्नति नहीं कर सकता। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों को अलग होना चाहिए तभी हम जीवित रह सकेंगे।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि काफी इन्तजार के बाद सहकारिता मन्त्री एक व्यापक बिल इस सदन में लाए और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बिल का समर्थन भी करता हूं। सहकारिता कोई नयी चीज इस देश के लिए नहीं है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक पुरानी देन है। जब से अंग्रेजों का शासन देश में आया उसके कुछ पहले से सहकारिता हमारे गांव से, कुटुम्ब से लोप हो गयी और अब हम इसे एक नयी चीज समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि सहकारिता दूसरे मुल्कों से यहां आयी है। एक समय था जब हमारे यहां गांवों में प्रत्येक काम सहकारिता के आधार पर होता था। खेती करने के लिए अकेले एक परिवार से काम नहीं चलता। खेत की सिंचाई के लिए कई आदमियों की जरूरत पड़ती है और उसमें किसान एक दूसरे से मिल कर काम करते हैं। इससे सिंचाई भी हो जाती है और आज कल का आपका श्रम बैंक भी बन जाता है। इसी तरह की जो पद्धति गांवों में थी वह आज नहीं रही, समाप्त हो गयी और इस कारण ही तमाम-सी दिक्कतें हैं। पहले गांव में जो पैदावार होती थी वह सारे गांव की समझी जाती थी और लोग उसे आपस में बांट कर इस्तेमाल करते थे। आज ऐसा नहीं है। पहले हमारे कुटुम्ब में ही ५०, ६० आदमी होते थे, उनका रहन-सहन, काम आदि एक तरह का होता था और उनमें आपस का स्वार्थ नहीं था। आज कल यह सब समाप्त हो गया है। भाई-भाई भी आज एक साथ नहीं रहते। सहकारिता की भावना आज उन में नहीं है। पहले अवश्य थी। उस समय भले ही कोई आदमी परिवार का आमदनी करता हो अधिक या कम, लेकिन उन सब की कमाई एक जगह इकट्ठा होती थी और उसके बाद कुटुम्ब के हर व्यक्ति का खाना, कपड़ा आदि उससे एक यूनिफार्म तरीके पर होता था।

सहकारिता की परिभाषा को अगर हम देखें तो गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से की है, जोकि सर्वोदय साहित्य से हम मालूम कर सकते हैं। उन्होंने गांव को एक इकाई माना है। उनका कहना यह था कि गांव में जितनी भूमि हो उस में सब लोग मिल कर पैदावार करें और जो जिन्स हो वह सारे गांव के लोगों में हिसाब से बंट जाय। जितने कपड़े की जरूरत है उस के लिए उन्होंने कहा है कि कपड़े के शिल्पकार मिलकर तैयार करें और प्रत्येक व्यक्ति को बराबर कपड़ा मिल जाय। सब आवश्यक वस्तुएं गांव में पैदा की जायं और सब का बटवारा आपस में बराबर-बराबर कर दिया जाय। जब सारी जमीन गांव की होगी, सब लोग मिलकर पैदावार करेंगे, रहन-सहन एक-सा होगा, खाना-कपड़ा एक-सा होगा तो लड़ाई झगड़े खत्म हो

जायेंगे। फिर यह झगड़ा नहीं होगा कि कौन हमारी जमीन पर आ गया, हम किस की जमीन पर पहुंच गये। गांव की सारी सम्पत्ति सब की होगी। फिर चोरी, डकैती का भय नहीं होगा, एक दूसरे की सम्पत्ति के नाम पर झगड़े का भय नहीं रहेगा। फिर न पुलिस की आवश्यकता रह जाती है, न लेखपाल की, न सेक्रेटरी की, न सुपरवाइजर की और न ऊपर के बड़े सुपरवाइजर्स की। फिर न शोषक का भय होगा न शोषण का। कौन किसका शोषण करेगा? जब हमारा अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन शोषण करेगा और कौन शोषित होगा? फिर ऐसे बुद्धिजीवी जो सुपरवाइजर बन कर या लिखा-पढ़ी का काम कर के समय बिताते हैं उन की जरूरत नहीं रह जाती है। क्योंकि दिन भर काम करने के बाद शाम को बैठ कर हम गांव का हिसाब-किताब लगा सकते हैं। इस तरह से गांधी जी ने सर्वोदय साहित्य में बहुत ही अच्छे ढंग से सहकारिता की परिभाषा की है। यह बात सही है कि अभी सहकारिता उन व्यक्तियों के पास पहुंच पायी है जिन के पास काफी साधन और पैसा है। वह तो अपने निजी साधनों से ही अपने काम को चला सकते हैं। अड़चन तो उन व्यक्तियों को पड़ती है जिन के पास साधन नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों का बहुमत है जो मजदूर हैं। एक प्रशिक्षित मजदूर है और एक गैर-प्रशिक्षित मजदूर। एक वह है जो ट्रेनिंग लिये हुये है, चाहे दस्तकारी की हो या घरेलू काम की या गांव में उत्पादन की। एक वह है जो प्रशिक्षित नहीं है, सिर्फ मजदूरी करता है। अपनी पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से अगर हम प्रशिक्षित लोगों की सहकारी समिति बना दें और उन को यह भासता रहे कि जो हम काम कर रहे हैं वह हम अपने लिए कर रहे हैं, इस में हमारा स्वामित्व है, इस में जितना हम पैदा करेंगे, उस में जो मुनाफा होगा, वह हमारा भी होगा। यह विचार कर के ही वह पूर्ण परिश्रम से अपना कार्य करेंगे और उस से पैदावार भी बढ़ेगी और इस प्रकार उस की भी आमदनी बढ़ेगी और मुल्क की भी सम्पत्ति बढ़ेगी। लेकिन थोड़े बहुत यदि प्रशिक्षित व्यक्तियों के बीच में अगर सहकारिता कहीं अपनायी भी गयी है तो उस पर इतना अधिक अधिकारियों का दबाव रहता है कि वह अपने को मजदूर भी समझने लगते हैं, अपेक्षाकृत इस के कि वह भी अपने को स्वामी और बराबर का हिस्सेदार समझते और पूरी लगन से और मेहनत से कार्य करते।

इस पर विस्तार से सोचना चाहिए कि किस तरह से उन को यह अधिकार प्राप्त हों और उसके साथ ही साथ जो खराबियां होती हैं, जो गबन वगैरह होते हैं, उन को किस तरह से रोका जाय। बहुत-सी चीजें इस वजह से पैदा हो जाती हैं कि जो उनकी देखभाल का स्टाफ रहता है, वह इन लोगों को इस तरह से मजबूर करता है कि वह गड़बड़ी करें। गड़बड़ी करने में उनका उद्देश्य स्वयं अपना स्वार्थ साधन होता है। उनके द्वारा गड़बड़ी कराने के बाद वह सरकारी कर्मचारी खुद उसमें से फायदा उठाते हैं और उन सदस्यों को उस में फंसा देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने आये हैं। अतः अब जरूरत इस बात की है कि कृषि अथवा दुग्ध, पशुपालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन या और बहुत से चमड़े के उद्योग धन्धे आदि ऐसे गांव वालों के छोटे-मोटे उद्योग धन्धे हैं, जो कि सहकारिता के आधार पर चलाये जा सकते हैं और बहुत ही ठीक से चलाये जा सकते हैं। अभी तक जिसने सोसाइटी बना लिया है दबाव के कारण, जो एक जाल सा है, उस में वह स्वतन्त्रता पूर्वक काम नहीं कर पाते हैं और जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाते हैं।

इनकी बहुत-सी सोसाइटियों के बाई-लाज भी नहीं अभी तैयार हुये हैं कि किस तरह से सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और क्या उसके नियम होने चाहिए। केवल एक-दो तरह की सोसाइटियों के बाई-लाज तैयार हुये हैं, जैसे कि साधन सहकारी और दुग्ध सहकारी समितियां। लेकिन अभी तक भटठा सहकारी समिति के नियम आदि नहीं तैयार हुये हैं। पशुपालन और सुअरपालन आदि बहुत-सी इसी तरह की सोसाइटियां हैं जिनके बाई-लाज अभी तक नहीं बन पाये हैं। अगर लोग सोसाइटियां बनाकर अपनी तरफ से बाई लाज बनाते हैं और उन्हें जब रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं तो उन को विभाग से कोई भी मदद नहीं मिलती है। उन को बाई-लाज के एतराज और कमियां आदि ठीक से नहीं समझाते हैं, इस तरह से कार्य में बड़ी देर लगती है।

[श्री मुरलीधर कुरील]

बहुत समय बाद बिना कोई सुझाव दिये केवल वापस एतराज के साथ कर देते हैं। इस तरह से सालों सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में लगते हैं और वह सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है। यहां जो विभागीय अधिकारी हैं यदि वह उन को सुझाव दिया करें और बता दिया करें कि यहां-यहां पर गलती है और सुधार करने में उन की मदद किया करें, तो इस में आसानी हो जायेगी और उन्हें एक ही बार में सुधार कर के रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। जिस से सोसाइटी का काम चलने लगेगा बजाय इस के कि वह बार-बार इस को लौटाल देते हैं और सोसाइटी के मेम्बरों से कहते हैं कि वह सुधार कर के भेजें और विभाग का भाव न समझ सकने के कारण उन्हें परेशानी होती है और काम नहीं हो पाता है।

इस के साथ ही साथ में यह बताना चाहता हूं कि कृषि सहकारी समितियों का जहां तक कार्य है, उस में शायद ही कुछ ऐसी कृषि सहकारी समितियां हों और वह भी उन्हीं लोगों की जिन के पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, साधन वाले लोग हैं उन की समितियां भले ही चल गयी हों और उन्होंने सहकारी विभाग से कुछ लाभ उठाया हो, लेकिन वह लोग जो छोटी-छोटी जमीन वाले हैं, हमारे जो कृषि मजदूर हैं, अगर उन्होंने कोई अपनी कृषि सहकारी समिति बनायी है, तो उन को कोई बढ़ावा नहीं मिलता, चाहे वे जितना चिल्लायें। अभी मैं, अपने कानपुर की एक नगसिया नगर सहकारी समिति है, उस गांव में २-३ सौ बीघे जमीन बंजर पड़ी है। वहां के खेतिहर मजदूर, जिन्होंने अपनी २-४ बीघे जमीन को मिला-मिला कर अपनी सहकारी समिति बनायी है, चाहते हैं कि उन्हें उसमें से, उस बंजर जमीन से जमीन मिल जाय तो उन के सोसाइटी के लिए भूमि पूरी हो जाय, और उनका काम ठीक तरीके से चलने लगे। मैं समझता हूं कि २-३ वर्ष बराबर विभाग को, कलेक्टर को और सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया और दौड़-धूप की गयी, किन्तु अब तक उस में यह नहीं तय हो पाया कि उन को भूमि किस तरह से दी जाय। वहां सभापति जो है, वह तरह-तरह के बहाने करता है और एक न एक अड़ंगा लगाता है तथा अड़चनें पैदा कर देता है। अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं बन पाया है कि गांव सभा अगर एतराज करे तो किस तरीके से जमीन लेकर खेतिहर मजदूरों को दी जा सकती है। तो इस तरह से उस पर विचार होना चाहिए कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जो अड़चनें पड़ रही हैं, उन अड़चनों को दूर कर, सही माने में उन्हें जमीन देकर, उनकी सोसाइटी बनाना चाहिए।

इस तरह से मैं समझता हूं कि अगर सही माने में सहकारिता को प्रोत्साहन मिल जाय और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता पहुंच जाय और हम यह महसूस करने लगें कि सहकारिता हमारे जीवन का एक अंग है, जिस के बिना हम चल नहीं सकते, जिसके बिना मुल्क की पैदावार बढ़ नहीं सकती, हमारा स्वामित्व सहकारिता पर हो जाय, तो मैं समझता हूं कि यह मुल्क बहुत आगे बढ़ सकता है और गरीबी दूर हो सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी प्रवर समिति में इस बिल को ले जाने के बाद, बहुत ही गम्भीरतापूर्वक, इस के हरेक क्षेत्र में विचार कर के, उस में हरेक क्षेत्र में सहूलियतें प्रदान कर, सहकारी आन्दोलन को पनपने का ऐसा आयोजन करेंगे कि जिससे प्रत्येक दिशा में प्रगति की जा सके और हम आगे बढ़ सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने जो यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। कारण है। इस को प्रवर समिति में जाना ही चाहिए क्योंकि इस बिल के १३४ सेक्शन में करीब-करीब आधे से अधिक जो धारायें हैं, उन में रजिस्ट्रार के अधिकारों को ही किसी व किसी

रूप में बढ़ावा दिया गया है। मैं इस का जो नाम सेलेक्ट कमेटी में जाने के पहले तजवीज किया है, उसे माननीय मन्त्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस बिल का नाम "यू० पी० कोआपरेटिव सोसाइटी बिल" की जगह अगर आप "रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी पावर एनहेंसमेंट बिल" कहें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इस में सारे अधिकार रजिस्ट्रार में वेस्ट हो गये हैं। सहकारिता का नाम इतना प्रिय नाम है कि जनता को इससे अपार श्रद्धा है। चाहिए तो यह था कि इस बिल को प्रजातांत्रिक तरीके से आप इस सदन में इन्ट्रोड्यूस करते।

इस बिल को पढ़ने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज जबकि एक तरफ जुडिशियरी को एक्जीक्युटिव से सेपरेट किया जा रहा है, वहां इस बिल में जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव दोनों पावर्स को एक ही व्यक्ति में, रजिस्ट्रार में, विहित कर दिया गया है। वही आदमी जज होगा और वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। वही निर्णय देगा और वही सलाह देगा। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक ठीक होगा। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि इस बिल को रजिस्ट्रार के अधिकारों को बढ़ाने वाला बिल कहना चाहिए। भुखमरी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि सहकारिता आन्दोलन आगे बढ़े, मगर इस तरह से वह आगे बढ़ने वाला नहीं है। यह देश शोषण किया हुआ देश है। इस देश में पूंजीवाद फलाफूला है। यह इस देश का सौभाग्य रहा है कि हमारे महान् नेताओं ने भुवनेश्वर के अधिवेशन में समाजवाद और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को माना है और अपना लक्ष्य प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना माना है। जिस हुकूमत का लक्ष्य यह हो वह सरकार इस तरह के बिल को लाये, यह उचित नहीं मालूम पड़ता, इस पर माननीय मन्त्री जी को विचार करना चाहिए। यह बिल प्रजातंत्र पर आघात पहुंचाने वाला बिल है। यह बड़ा गलत होगा कि एक ही आदमी के हाथों में दोनों तरह की पावर्स हों।

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सहकारिता मन्त्री जी का बहुत अच्छा ज्ञान है और उनका ज्ञान भी बहुत विस्तृत है, जब से उन्होंने इस विभाग का चार्ज लिया है, वे काफी अध्ययन और मनन इस विभाग के बारे में करते रहे हैं कि किस तरह से इस आन्दोलन को तरक्की दी जाय। लेकिन उन के आने से पूर्व का इसका अपना एक इतिहास चला आ रहा है। जिस तरह से सहकारिता आन्दोलन इस प्रदेश में चला है वह प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। आप के सामने प्रत्यक्ष लखनऊ में एक कोआपरेटिव फेडरेशन है। जिले-जिले में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन आपने बनाये हैं। मेरा खयाल है सि ५४ जिलों में शायद ही कोई जिला ऐसा बचा हो जहां पर आप को उन को सुपरसीड न करना पड़ा हो। यह सब इस बात का प्रमाण है कि सहकारिता आन्दोलन सहकारी अधिकारियों के कारण इस प्रदेश में सफल नहीं हो पाया है। जरूर इस में कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं, कमजोरियां हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक बिचार करें।

मैं श्रीमन्, रचनात्मक बात आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बिल के लाने के पहले सहकारिता आन्दोलन पर गम्भीरतापूर्वक बिचार कर लिया जाय कि यह आन्दोलन आगे किन-किन हालात में बढ़ सकता है और किन-किन हालात में इस आन्दोलन को नुकसान हो सकता है। श्रीमन्, इस आन्दोलन में मुझ छोटे से सदस्य का भी कुछ हिस्सा है। मैं भी इस आन्दोलन में काफी दिन से हूं। मुझे इस आन्दोलन की प्रत्यक्ष जानकारी एक मुद्दत से है। श्रीमन्, शेयर कैपिटल और उन के प्राफिट्स जो हम हर साल बैठकर ऐलान करते हैं, तकसीम करते हैं, उस को जो माननीय सदस्य सहकारी आन्दोलन में कार्य कर रहे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इसको कम्पलीटली नौकरशाही से अलग आन्दोलन अगर बनाया जाय तो यह आन्दोलन चल सकता है और अगर नौकरशाही का कहीं जरा सा भी हाथ रह गया तो इस आन्दोलन की कामयाबी की कोई सम्भावना मेरी समझ में नहीं है। कोआपरेशन इसका नाम है, लेकिन असलियत में नौकरशाही इस के साथ नान-कोआपरेट करती है, असहयोग करती है। अगर डाइरेक्टर्स या चुने हुए पदाधिकारी किसी चीज को स्ट्राइन्ट आउट करते हैं, तो

[श्री जे० पी० मिश्र]

श्रीमन्, सत्य बात कहने की गुन्जाइश इस सहकारी आन्दोलन में काम करने वाली नौकरशाही के रहते सम्भव नहीं है।

इसी उत्तर प्रदेश फेडरेशन ने नौ-नौ लाख रुपये का गुड़ बहाया है। गुड़ के हिसाब में घटा बढ़ा कर गुड़ का बहना दिखाया गया है। श्रीमन्, गुड़ स्टोर किया गया और बेच लिया गया और कोआपरेटिव फेडरेशन में लिख दिया गया कि ९ लाख का गुड़ बह गया बरसात में। इसका इतिहास श्रीमन्, बहुत भयंकर है और इस इतिहास के ऊपर अगर गौर किया जाय, सोचा-समझा जाय, तो एक ही बात इस इतिहास के पीछे है। अर्द्ध सरकारी होने के नाते और सरकार से पूरी पाबन्दी न होने के नाते इस मुहकमे में भ्रष्टाचार आखिरी चरण पर है। नीचे से लेकर ऊपर तक सरकारी जितने अफसर हैं सब उस में फंसे हुये हैं। भ्रष्टाचार के अंत के लिए हम प्रतिज्ञा-बद्ध हैं। माननीय गुलजारीलाल नन्दा, गृह मन्त्री ने यह एलान किया है कि अगर दो वर्षों के अन्दर हम भ्रष्टाचार दूर न कर सके तो पब्लिक लाइफ से माननीय नन्दा जी हट जायेंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य भी, अगर भ्रष्टाचार दूर न हुआ तो अकेले नन्दा जी को छोड़ना नहीं चाहते, उत्तर प्रदेश और इण्डियन यूनियन का लोअर रैंक का एक-एक कांग्रेस मैन उनके इस एलान से बंधा हुआ है और बंधा रहेगा। माननीय सहकारिता मन्त्री स्वयं यह सारी बातें जानते हैं। इनका तजुर्बा है, इन को इस विभाग का ज्ञान है और सहकारिता के ऊपर अच्छी तरह से इन्होंने स्टडी किया है। भ्रष्टाचार है और ऐसा घोर है, ऐसा भयंकर भ्रष्टाचार है कि जिस से किसान को बजाय फायदे के उस की कर्जदारी रोज ब रोज बढ़ रही है। एक जिले ने ७५ लाख रुपया कोआपरेटिव बैंक के जरिये से सवा ६ फी सदी और सवा नौ फीसदी इन्टरेस्ट पर बांटा। पाला पड़ गया और सैलाब आ गया और ट्रांस्फर एन्टरी कर दी गयी। किसानों ने जितना पैसा कर्ज लिया था उतना सूद उन पर लद गया, कर्जे के बोझ से दब गये, कुचल गये। अब उस किसान की दिक्कत है, उसके पास पैसा नहीं है और कुर्की, डिग्री, जेलखाना उसका हो रहा है। ये सारी दिक्कतें इन काश्तकारों को झेलनी पड़ रही हैं। इन्हीं बातों के कारण सहकारिता आन्दोलन की रीढ़ टूटती जा रही है। कोई भी उस गरीब को मदद नहीं कर रहा है। कुछ दैवी संकटों के कारण और कुछ नौकरशाही का मजबूत हाथ उन काश्तकारों को उस रास्ते पर लिये जा रहा है जहां से उसका सर्वनाश प्रत्यक्ष दिखायी दे रहा है।

सीड स्टोर्स कोआपरेटिव के मातहत हैं। पुराना इतिहास चला आ रहा है। १४-१४ वर्षों का आज भी काश्तकारों पर बकाया लगा है और बकाया इस तरह का लगा है कि गरीब काश्तकारों से फार्म पर ६ अंगूठे लगवा लिये। ५, १० और १५ मन चढ़ा कर कामदार, सुरपवाइजर और इन्स्पेक्टर ने लिख लिया। वे तो ट्रांस्फर पर चले गये और कुर्की डिग्री आदि की सारी मुसीबतें यह उत्तर प्रदेश का किसान इस कोआपरेटिव के नाम पर झेल रहा है। अगर किसी काश्तकार के पास से रसीद गुम हो गयी है तो ऊपर से नीचे तक किसी भी अदालत में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती। हजारों काश्तकार मेरे जिले में ऐसे हैं जिन के नाम के बोगस इन्टरीज हैं, किसी के नाम गल्ला चढ़ा हुआ है, किसी के नाम सीड चढ़ा हुआ है। वे अधिकारी तो ट्रांस्फर हो गये, लेकिन अमीन कुर्की डिग्री लिये उसके पीछे घूम रहा है।

इसलिए जब तक किसी मजबूत कमीशन का स्टेट लेविल पर निर्माण नहीं होता और जिले-जिले से इस किस्म के लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता जो ईमानदारी से सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाना चाहते हैं, तब तक इस बिल से कुछ होने वाला नहीं है। देखिये, इस बिल में रजिस्ट्रार को कितनी शक्ति दी गयी है। कोई सोसाइटी रजिस्टर होने के लिए आयी। उस की मर्जी में आया तो उस को स्वीकार कर लिया, मर्जी में आया तो उस को रिजेक्ट कर दिया। अगर उसका आर्बिट्रेशन हो तो जुडिशियल जजमेंट रजिस्ट्रार दे, एक्जीक्यूटिव आर्डर हो तो वह रजिस्ट्रार दे। श्रीमन्, डेमोक्रेसी में इस प्रकार के पावर्स अगर एक आदमी को

दे दिये जायं तो जनतन्त्र के सिद्धान्तों का पालन हो सकना नितान्त असंभव है। इसलिए माननीय सहकारिता मन्त्री ने बहुत अच्छा किया कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया, इस को पब्लिक ओपिनियन के लिए भी प्रचारित कर दिया जाय और इस में जो सेक्शन्स गैर जरूरी हैं, डेमोक्रैटिक सोशलिज्म के खिलाफ हैं, उन को डिलीट कर दिया जाय, तभी यू० पी० कोआपरेटिव सोसाइटी बिल अच्छी शक्ल में सदन के सामने आ सकेगा। इसके लिए मैं माननीय सहकारिता मन्त्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन की यह सूझ बहुत दूर की थी और मैं समझता हूं कि इस बिल का जैसा इम्प्रेशन मेरे दिमाग पर पड़ा वैसा ही असर डेमोक्रैटिक सोशलिज्म के सिद्धान्त को अपनाने वाले व उस को पनपाने वाले जो सहकारी मन्त्री पर पड़ा हैं, उन्होंने भी उसी तरह से सोचा है इस सोच विचार के लिए मैं उन की सराहना करता हूं और उन को मुबारकबाद देता हूं। आप ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव किया है वह इन्तहा अच्छा काम आपने किया है और बहुत गहराई के साथ इस को सोचने और विचारने के बाद प्रवर समिति के लिए आप इस बिल को इस सदन में लाये हैं।

श्रीमन्, मुझे कुछ बातें और निवेदन करनी हैं। इस सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में भारत सरकार का और विशेषकर हमारे महान नेता स्वर्गीय पंडित नेहरू का एलान था कि इस देश में सहकारिता को लाना है, उनका लक्ष्य सहकारिता का विकास करना था। उनका मकसद यह था कि सहकारिता को इतना प्रबल व शक्तिशाली इस प्रदेश व देश में बना दिया जाय कि सारे कार्य कोआपरेटिव के जरिये से हों। यह बहुत ही पवित्र व महान् उच्च आदर्श था, उच्च सिद्धान्त था और आज भी वह सिद्धान्त इस प्रदेश और देश के सामने है। श्रीमन्, किसानों और मजदूरों की समस्या बिना सहकारिता आन्दोलन के पनपे नहीं निबट सकती। इस सम्बन्ध में एक मशविरा मैं आप के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। अगर कृषि सोसाइटीज बनानी हैं, अगर कृषि के उत्पादन को सहकारिता के जरिये बढ़ाना है, तो मेरा सुझाव है कि उस सोसाइटी में केवल काश्तकार ही जायं जो अपने हाथों से हल चलाते हों और अगर मजदूरों के सम्बन्ध में किसी सोसाइटी का निर्माण करना है तो जिसका जिस काम का पेशा हो वही उस में रहे, वही मेम्बर रहे, वही पदाधिकारी रहे।

इस विधेयक में सेक्शन ११८ के अन्तर्गत सिम्पेथाइजर मेम्बर, नामिनल मेम्बर, व एसोसिएट मेम्बर की व्यवस्था की गयी है। जैसे चमड़े का कोई कारोबार चलाना है तो जो लोग कि उस पेशे में लगे हुए हों, उन्हीं की सोसाइटी बननी चाहिए। अगर सिम्पेथाइजर्स मेम्बर के नाम पर आप ने उस में माननीय जगदीश शरण अग्रवाल या माननीय धर्मदत्त वैद्य या मेरे ऐसे लोगों को रख दिया जो चमड़े के बारे में जानते तक नहीं कि किस तरह से चमड़े को पकाया जाता है, किस तरह से उसे काटा जाता है और केवल दिलचस्पी होने के नाम पर ही वे इस के मेम्बर हो गये, तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। कृपा कर के आप इस सेक्शन को डिलीट कीजिये और इन सिम्पेथाइजर, नामिनल व एसोसिएट मेम्बर को इस से निकाल दीजिये। क्योंकि जिन का जो पेशा है वही उस सोसाइटी के मेम्बर रहें, वही उस के सरपंच रहें, वही उस के मैनेजर हों और वही उस के कर्मचारी हों और वे सब मिल कर ही उसे चलायें तभी उस सोसाइटी की तरक्की हो सकती है। और अगर कहीं सिम्पेथाइजर, एसोसिएट व नामिनल मेम्बर के तीन खाते भी उस में जुड़े रह गये तो जो पुराना इतिहास है उस की पुनरावृत्ति की ही सम्भावना है और मेरी निजी राय में उस से हित होना असम्भव है। "असम्भवं हेम मृगस्य जन्मं"। स्वर्ण हिरण का जन्म असम्भव है, सिम्पेथाइजर मेम्बर, असोशिएट मेम्बर, नामिनल मेम्बर और जनरल मेम्बर है। इन सबकी जरूरत नहीं है बस जो खेती करें, प्रोफेशनल आदमी ही मेम्बर हों। अगर आप को सहकारी खेती को तरक्की देना है तो सहकारिता के द्वारा खेती की तरक्की का आन्दोलन चला सकते हैं। आप श्रमिकों को सहकारिता में डालकर औद्योगिक विकास सहकारिता के द्वारा कर सकते हैं, उन के द्वारा छोटे गृह उद्योगों का संचालन कर सकते है और उनके द्वारा आप खेती की तरक्की कर सकते हैं।

[श्री जे० पी० मिश्र]

इन्हीं दो उद्देश्यों पर इस सरकार को और हमारे सहकारिता मंत्री को बल देना चाहिये। करीब करीब ४५-५० करोड़ रुपया सहकारिता आन्दोलन के द्वारा हम इस प्रदेश के किसानों को कर्ज देते हैं। नियोजन का भी हमारा लम्बा चौड़ा बजट है, कृषि का भी बजट है और सिंचाई का भी बजट है, लम्बा चौड़ा बजट है। कोआपरेटिव, नियोजन, कृषि और सिंचाई विभागों के द्वारा हम सारे काम नियोजित ढंग से पहली, दूसरी और तीसरी योजना के अन्तर्गत चला चुके और चला रहे हैं। ४५-५० करोड़ रुपया खेती की उन्नति के लिये, बैल के लिये, हल के लिये, खाद और कृषि यंत्रों के लिये हम किसानों को कर्ज दे रहे हैं। यह कर्ज उन मदों के अलावा है जिनमें हम कृषि में, सिंचाई में, नियोजन में और धन व्यय करते हैं। इस तरह से करीब करीब १५० करोड़ रुपया कृषि की उन्नति के लिये सरकार हर साल खर्च कर रही है। लेकिन उसके परिणाम आप हम सब जानते हैं कि खेती की उत्पादन क्षमता बावजूद इस सहकारिता आन्दोलन के, लम्बे चौड़े ऋण के बावजूद अब भी हम नहीं बढ़ा सके हैं, बल्कि जो हमारे टारगेट्स थे ७५ लाख टन की पैदावार कम है। बजाय इसके कि इतना रुपया किसान पर खर्च करने के बाद उसकी ताकत बढ़ती, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती, उसको आगे नियोजित तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलता.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो दूसरे आइटम का समय हो गया है, अब आप अगर और बोलना चाहें तो कल बोलें।

श्री विजयपालसिंह की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है जो मुजफ्फरनगर के जिलाधीश ने तार द्वारा भेजी है। स्पीकर, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिनांक २४-८-६४ के १२ बजे दिन को खाद्य आन्दोलन के संबंध में धारा ७, क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९३२ के अन्तर्गत श्री विजयपाल सिंह, सदस्य विधान सभा को जुडिशियल अफसर, जानसठ, जिला मुजफ्फर नगर के न्यायालय के अन्दर गिरफ्तार करके कारावास मुजफ्फरनगर भेजा गया। विशेष सूचना जिलाधीश को भेजी जा रही है।

प्रदेश की खाद्य स्थिति पर साप्ताहिक वक्तव्य

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री काशीनाथ मिश्र के ध्यान आकर्षणार्थ दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मैं यह वक्तव्य देता हूं कि जहां तक पंजाब में गेहूं जोन से प्रतिबन्ध हटा लेने का प्रश्न है वास्तविक स्थिति यह है कि गेहूं के उत्पादन (व्हीट प्राडक्ट्स) के पंजाब से उत्तर प्रदेश को निर्यात तथा उत्तर प्रदेश में आयात पर जो प्रतिबन्ध था वह केन्द्रीय सरकार द्वारा हटा लिया गया है। परन्तु गेहूं के निर्यात तथा आयात पर प्रतिबन्ध अब भी कायम है। जो व्यापारी गेहूं के उत्पाद पंजाब से उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं उनके लिये रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण, अधिग्रहण और वितरण) आदेश, १९६४ के द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादक तथा बेचने वालों इत्यादि को बाध्य कर दिया गया है कि वे निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त खाद्यान्न अपने पास न रखें। इस आदेश के फलस्वरूप बाजारों में खाद्यान्न अधिक मात्रा में आने से इस प्रदेश में खाद्यान्न स्थिति सुधर जाने की आशा की जाती है।

श्रीमन्, जहां तक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में गल्ले की कमी हो जाने का प्रश्न है, यह स्वाभाविक ही था। पहले योजना यह थी कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक अदालती पंचायत पर एक सस्ते गल्ले की दुकान रहे और उसी के अनुसार प्रत्येक

दुकान पर गेहूं आदि भेजा जाता था। परन्तु जब राज्य सरकार का विदेशी गेहूं का कोटा भारत सरकार ने किन्हीं मजबूरियों के कारण काफी कम कर दिया तब प्रदेश में उपलब्ध खाद्यान्नों के समुचित वितरण के निमित्त सरकार ने ४ अगस्त, १९६४ को एक आदेश समस्त जिलाधीशों को दिया है, जिसके अनुसार समस्त जिलों के देहाती क्षेत्रों में (पहाड़ी क्षेत्र के अतिरिक्त) परिचय पत्र पर प्रति यूनिट प्रति मास ६ किलोग्राम खाद्यान्न अत्यन्त निर्धन जनों को देने की व्यवस्था की जा रही है।

देहाती क्षेत्र में वितरण के हेतु ४० हजार टन खाद्यान्न जिसमें ३० हजार टन आटा तथा गेहूं और लगभग १० हजार टन चावल है, उपलब्ध हैं। इस गल्ले को कमिश्नरियों में उत्पादन तथा आबादी आदि के आधार पर बांटा गया है। किस क्षेत्र में कितना गल्ला वितरित करना है इसे जिला खाद्य परामर्शदात्री समितियां तय करेंगी और उन्हीं के निर्णय के अनुसार दुकानें कार्य करेंगी। इस नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप दुकानों का परिवर्तन, नई दुकानों का खोलना तथा पुरानी में कमी किया जाना स्वाभाविक है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार जनता को अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न सस्ते दामों पर उपलब्ध करने के लिये भरसक प्रयत्नशील है, किन्तु वितरण के लिये खाद्यान्नों की मात्रा सीमित होने से सीमित जनसंख्या को ही गल्ला दिया जा सकता है। प्रदेश की सारी जनसंख्या के लिये सरकार द्वारा वितरित सस्ते खाद्यान्नों से लाभान्वित होना संभव नहीं है। देहाती क्षेत्रों की शेष जन संख्या को उस गल्ले से, जो उसके पास मौजूद है अथवा नयी फसल से उपलब्ध होगा, काम चलाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त खुले बाजार से भी गल्ला प्राप्त हो सकता है जिस पर कोई नियंत्रण इस समय नहीं है। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार सतत् प्रयत्नशील है कि प्रत्येक जिले को शीघ्रातिशीघ्र उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो जाय।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि मुरादाबाद जिले के देहाती क्षेत्रों में खुले बाजार में अथवा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध है और इस प्रकार यह कहना कि वहां भुखमरी और फाकाकशी की हालत हो गयी है, सत्य से परे है। गत कई मासों में उक्त क्षेत्रों के किसी बाजार में खाद्यान्न के प्रश्न पर किसी झगड़ा अथवा मारपीट की कोई घटना नहीं घटी है।

"जहां तक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को चुंगी के व्यय को वापस करने का प्रश्न है, जिलाधीश, फतेहपुर ने शासन से कुछ आदेश मांगे हैं। उन्हें आवश्यक आदेश दिये जा रहे हैं कि वह संबद्ध दुकानदार को चुंगी संबंधी धनराशि के भुगतान करने की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कर दें।

मार्ग व्यय के बिलों के भुगतान के विषय में, मुझे यह निवेदन करना है कि संबंधित अधिकारियों (जिलाधीश, फतेहपुर एवं क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर) को यह आदेश दिये जा चुके हैं कि वह इन बिलों का भुगतान अत्यन्त शीघ्र करने की व्यवस्था करें।"

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान खाद्य संकट के विरुद्ध संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की मांग पर १८ अगस्त, १९६४ को यू० पी० बन्द दिवस मनाया गया और सभी जगह आम हड़ताल कराई गयी। इलाहाबाद में भी इसी प्रकार आम हड़ताल कराई गयी और कई स्थानों पर प्रदर्शन और जलूस निकाये गये जिसमें अप्रिय घटनायें घटी। यह कहना कि प्रदर्शन शान्ति पूर्ण था, सही नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने ५ राजकीय बसों को क्षति पहुंचाई और १ कन्डक्टर को मारा पीटा। दूसरी जगह एक फेरी वाले की फल की टोकरी उलट दी गयी। एक अन्य स्थान पर भीड़ दो सरकारी कार्यालयों में भी घुस गई, लेकिन इसके पहिले कि वह कुछ नुकसान कर सकते पुलिस के दस्ते ने उन्हें भगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर रास्ते पर जाती हुई कारों को भी रोका और साइकिल रिक्शों के टायर काट दिये। लगभग ३०० व्यक्तियों ने स्थानीय केशरवानी

[श्री हरीदत्त कांडपाल]

इंटर कालेज को जबरदस्ती बन्द कराना चाहा और इस संबंध में ईंट व पत्थर भी फेंके जिसके फलस्वरूप ५ विद्यार्थियों को और कालेज. के सेक्रेटरी को चोटें पहुंची। मौके पर सिटी मैजिस्ट्रेट और पुलिस . उप-अधीक्षक नगर (डी० वाई० एस० पी०) सिटी पहुंचे और बिना किसी प्रकार के बल प्रयोग के स्थिति को काबू में कर लिया।

उपरोक्त घटना के तुरंत बाद लगभग २००० व्यक्तियों ने बादशाही मंडी स्थित नाज सिनेमा पर धावा किया परंतु उसको स्वयं बन्द देखकर कामता प्रसाद कक्कड़ रोड पर स्थित रूपबानी सिनेमा पर धावा किया जहां सिनेमा चल रहा था और उसको भी बन्द कराने का प्रयास किया। सिनेमा के लोहे के फाटक व अन्य वस्तुओं को हानि पहुंचाई और कर्मचारियों पर ईंट व पत्थर फेंके। घटनास्थल पर पुलिस के अतिरिक्त उप-अधीक्षक (शहर) एडीशनल डी० वाई० एस० पी० (सिटी) और अतिरिक्त जिलाधीश कुछ पुलिस के साथ पहुंचे और भीड़ को हट जाने को कहा और गुन्डा गर्दी करने से मना किया। इस पर भीड़ कुछ कदम पीछे हटी, परन्तु यकायक पुलिस वालों पर ईंटें पत्थर फेंके गये जिससे दो पुलिस के सिपाहियों को चोटें आई। इस उत्तेजना पर भी पुलिस ने शान्तिपूर्वक काम किया। उसी समय सिटी मैजिस्ट्रेट और पुलिस उप-अधीक्षक (शहर) डी० वाई० एस पी० (सिटी) कुछ और पुलिस दस्ते के साथ मौके पर पहुंच गये और भीड़ को हटने को कहा। लम्बे पुलिस के दस्ते को देखकर उपद्रवियों ने फिर ईंटें व पत्थर फेंके जिससे पुलिस के अतिरिक्त उप-अधीक्षक (शहर) (एडीशनल) डी० वाई० एस० पी० (सिटी०) श्री ए० एम० सिंह, होम गार्ड के कम्पनी कमान्डर, एक थानेदार और एक पुलिस के सिपाही को चोटें पहुंची। सिटी मैजिस्ट्रेट ने भीड़ को गैर कानूनी कार्य करने से मना किया और हटने के लिये कहा, परन्तु इसका जबाब पत्थरों से मिला। सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने इस भीड़ को हटाने के लिये और कोई दूसरा चारा न होने के कारण भीड़ को गैर कानूनी घोषित कर दिया और भीड़ को हटने के लिये पुनः आगाह किया परन्तु फिर भी भीड़ न मानी और तब सिटी मैजिस्ट्रेट को हल्का लाठी चार्ज करने के लिए आदेश देने पड़े, इस पर भीड़ में भगदड़ मची। इस भगदड़ में करीब १० व्यक्तियों को हल्की चोटें लगी। यह सही नहीं है कि २४ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए और कुछ की हालत चिन्ताजनक है।

उपरोक्त घटनाओं में कुल ८६ आदमी गिरफ्तार किये गये और जिनमें २० को छोड़कर सब को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। स्थिति पूर्ण रूप से काबू में है। उस दिन सभी सस्ते गल्ले की दुकानें और केन्द्रीय गल्ले के गोदाम खुले रहे। गल्ले की कोई लूटमार नहीं हुई।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं माननीय खाद्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि एक लाख ६८ हजार टन खाद्यान्न अर्बन एरियाज के लिये यानी ६० लाख पापुलेशन के लिये आपने मुकर्रर किया है और रूरल पापुलेशन के लिये ४० हजार टन क्यों, जब कि करीब-करीब ६ करोड़ जनता देहातों में रहती है और बकिया शहरों में ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

मैं नहीं समझ पाया कि यह १ लाख ६८ हजार की फीगर कहां से ले आये हैं। मैंने तो कहा है कि ५०–६० हजार टन के करीब है शहरों के लिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मैंने भी एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत दी थी कि फतेहपुर जिले में जो दुकानें हैं उनके बकाया का भुगतान अभी नहीं मिल पाया है ? क्या बताने की कृपा की जायगी कि क्या जिलाधीश को इन दुकानदारों को रुपया वापिस देने के आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आदेश जारी कर दिये गये हैं कि तुरन्त जिस किसी का रुपया बकाया है उसे वापस किया जाय ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब से व्हीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से पाबन्दी हटने से उत्तर प्रदेश में एक नयी आशा प्रकट हुयी थी तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस पाबन्दी के हटने के बाद उनकी क्या जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में व्हीट प्रोडक्ट्स कितना इम्पोर्ट हुआ और अगर यह कम हुआ तो क्या इसका कारण डिटेल्स का न बनना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने उसी रोज अपने जिलाधीश को यह आर्डर दे दिये थे कि वे अपने व्यापारियों को पंजाब भेजें लेकिन वहां मिलों ने उन लोगों को इंकार कर दिया देने से । कल परसों की खबर है कि कुछ वैगन्स आटे के चले हैं । फिर हमने एक आफिसर को भेजा है जो कि वहां बातचीत कर रहा है । गेहूं और चावल वहां से चल रहा है गवर्नमेन्ट एकाउन्ट पर । आटा गवर्नमेन्ट एकाउन्ट पर नहीं है । वह अफसर लौट कर आ जायं तो असली परिस्थिति मालूम होगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार के पास इस प्रकार की कुछ सूचना है कि प्रदेश में रूरल तथा अर्बन एरियाज के लिये कुल कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता है और जो खाद्यान्न अवेलेबिल हैं क्या उसी रेश्यो में उनको रूरल तथा अर्बन एरियाज में दिया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं पहले कई बार इस सदन में बतला चुका हूं हिसाब लगा कर कि कितना हमारे यहां कम है। दो, तीन तरीके से आंका था । एक तो यह था कि टोटल प्रोडक्शन तथा यहां की जनसंख्या क्या है और इम्पोर्टेड कितना है ? दूसरा यह था कि कितनी कमी हुई है उत्पादन में उससे कितने आदमियों की आवश्यकता पूरी होती । इन सब चीजों को ध्यान में रख कर यह अन्दाजा लगा कि ६०, ७० हजार टन के करीब देहातों में और ८० हजार टन के करीब शहरों में लगेगा और उसी हिसाब से हमने गल्ला मांगा था । उसको हम मई तक चलाते रहे लेकिन मई के बाद जब केन्द्रीय सरकार ने उस मात्रा में देना स्वीकार नहीं किया और कम मात्रा कर दी तो फिर नई योजना बनाई । उसके मुताबिक ६० हजार टन के करीब शहरों में और ४० हजार टन के करीब देहात में जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अभी रूरल पार्शल राशनिंग के आदेश भेजे गये है जिनसे विषम स्थिति पैदा हो गयी है । बनारस कमिश्नरी के जिलाधीश १८ अगस्त को एकत्रित हुए थे और यह हिसाब लगाया गया कि जितना गल्ला भेजा जा रहा है उससे साढ़े १२ परसेन्ट रूरल पापुलेशन को

[श्री कृष्णनन्द राय]

राशन कार्ड मिल सकेगा। पूर्वी जिलों में देहाती जनता में १८ परसेन्ट तो हरिजन हैं जिनके पास भूमि नहीं है और २० परसेन्ट वह पापुलेशन है जो धोबी, जुलाहे, नाऊ वगैरह में आती है। उसके पास भी भूमि नहीं है और न उनके पास अनाज रखने की व्यवस्था है। गाजीपुर के जिलाधीश ने तो यहां तक एडवायजरी कमेटी में बैठ कर एक पत्र सरकार को भेजा है अगर पार्शल राशनिंग साढ़े १२ परसेन्ट पापुलेशन पर लागू की जायगी तो वह ला एन्ड आर्डर मेनटैन नहीं कर सकेंगे। ४० परसेन्ट रूरल पापुलेशन के लिये राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है तो सरकार इस आदेश को वापस ले ले, सरकार इस संबंध में बताये कि क्या करने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, कार्ड बनाने का इसलिये निश्चय किया क्योंकि लोगों को आम शिकायत थी कि जो मुस्तहक हैं उनको नहीं मिलता और बड़े-बड़े लोग ले लेते हैं। अगर यह सिस्टम ठीक नहीं है तो न बनायें। मगर यह बात जरूर है कि वही दिक्कत फिर आयेगी। हम तो चाहते हैं कि ४० प्रतिशत ५० प्रतिशत मिले और तखमीना भी ३५ और ४० प्रतिशत के करीब था, लेकिन सामान नहीं है तो लामुहाला जो ज्यादा गरीब हैं उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी वैसे अगर मोटा अनाज या चावल की किनकी वगैरा उपलब्ध हुई तो उसको हम भेजेंगे, जिससे प्रतिशत बढ़ सके। इस बात को तो खाद्य समिति और अधिकारियों को समझना है कि इससे फायदा है या नुकसान है ? अगर नुकसान है तो हम नहीं चाहेंगे। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि गलत आदमी न लेने पावें और बैल वगैरा को न खिलायें जैसे कि मुरादाबाद का निकला है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार को मालूम है कि बार्डर एरिया में ऐसा कानून है जिससे कोई चीज नहीं पहुंच सकती है। जैसे इटावा जिले में जो मध्य प्रदेश के बार्डर पर है, शकर वगैरा के जाने की मुमानियत है जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत है ? क्या मंत्री जी इस विषम खाद्य परिस्थिति में रूल्स रिलैक्स करने के लिये तैयार हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो इसलिये किया गया था जिससे दूसरे प्रदेश में अनाज न निकल सके। अब यह है कि ५ मील के एरिया के बारे में अगर माननीय सदस्य पूछेंगे तो पूरा नियम मालूम हो जायगा। लेकिन मैं अन्दाज से कह रहा हूं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक या मन्डी तक ले जाने में या स्टेट के अन्दर लाने में कोई मुमानियत नहीं है। अपने निजी इस्तेमाल के लिये एक निर्धारित मात्रा है और जहां तक मेरा ख्याल है शायद ५ मन तक ले जा सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि ३०० वैगन हर साल जौ की डायर मीकिन और मोहन नगर को शराब बनाने के लिये दिये जाते हैं ? क्या मंत्री जी जांच कराके इस गल्ले को भुखमरी इलाके में भेजेंगे जहां लोग तरस रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन पता चलाऊंगा यह कहां से दिया जा सकता है, मैं समझ नहीं सकता। शायद उन्होंने खरीद लिया होगा।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

मंत्री जी को मालूम है कि पर्वतीय एरिया फसल अच्छी होने पर डेफीसिट एरिया है तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में जो कोटा मिल रहा है वह इतना कम है कि वहां २०–२५ प्रतिशत जनता को भी नहीं मिल रहा है ? क्या मंत्री जी कोटे को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम तो प्रदेश के किसी कोने में कमी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कष्ट उठाना है तो सभी को उठाना होगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देहाती क्षेत्र में जो सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं उनमें से कितनी कार्य कर रही हैं और प्रत्येक दुकान पर कितनी यूनिट हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, अब कितनी कार्य कर रही हैं इसके लिये तो हर जिले की सूची मेरे पास नहीं है। लेकिन एक सूची मैं जरूर रखता हूं कि हर जिले के हर गोदाम में कितना स्टाक है। कितनी दुकानें चल रही हैं इसको बताने में मैं असमर्थ हूं।

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम तो चाहते हैं कि जिसको जरूरत हो दिया जाय। लेकिन मेरठ कमिश्नरी में १,४५० टन दिया गया। पिछली फूड एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो बुलन्दशहर में हुई थी उसमें यह बताया गया था कि सरकारी एस्टीमेट के हिसाब से ३० परसेंट गरीब लोग हैं जिनके पास अन्न नहीं है। तो क्या कारण है कि सरकार शहर वालों को तो चाहे रईस हो, चाहे लखपती सब को देना चाहती है लेकिन देहात के ३० परसेंट गरीब लोग उनकी एस्टीमेट के मुताबिक हैं उनको भी केवल १० परसेंट देना चाहती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो मैं पहले ही से अर्ज कर चुका हूं कि जो हमारे पास है अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम उस प्रकार करें जिस प्रकार माननीय सदस्य चाहते हैं तो गोरखपुर में ४ हजार और बनारस में उससे कम हो जायगा। हमने अपने गल्ले में वितरण का ऐडजस्टमेंट पापुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्केयरसिटी इन सबको देख कर किया है।

श्री महावीरसिंह—

मेरा जवाब नहीं आया। मैं चाहता हूं कि क्यों नहीं शहर वालों पर भी सीलिंग लगा कर गल्ला देहात के लिये अधिक सरकार देती ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि सूबे की जरूरत के हिसाब से उन्होंने किया है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अभी थोड़े दिनों पहले सरकार का ख्याल था कि अपने प्रदेश में गल्ला काफी छिपा हुआ है और उसको निकालने के लिये उसने एक आर्डिनेंस भी निकाला। क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि उसके असर से कितना गल्ला सरकार को मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसका असर तो इससे ही मालूम होता है कि कहीं पर ४ कहीं पर ८ रुपये तक फी क्विंटल भाव गेहूं का गिरा है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह गलत है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरी यह सूचना है, हो सकता है कि आपको दूसरी हो।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मैंने यह पूछा था कि उसके असर से सरकार के पास कितना आया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उस आर्डर में कहीं पर सरकार द्वारा लेने का सवाल नहीं था। उससे तो हम माल खुले बाजार में लाना चाहते थे और उसका असर हुआ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

कितनी तादाद में माल आया?

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह गवर्नमेंट कैसे बता सकती है।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

मैं सरकार से यह कहना हूं कि हमारे यहां बस्ती जिले में जो पार्शल राशनिंग की स्कीम चलायी है उसको करके देखा है और १५ परसेंट कार्ड्स हमारे यहां बन गये हैं। पहले हमने साढ़े ७ परसेंट को दिये और अब १५ परसेंट करने जा रहे हैं। लेकिन अब भी वहां २५ या २० परसेंट की कमी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि गल्ले की हमारे यहां कमी है और जब तक वह है तब तक सिवाय पार्शल राशनिंग के और रास्ता नहीं है और मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कह दिया है कि वह चाहें तो अपने यहां पार्शल राशनिंग लगावें और चाहे न लगावें। तो आपको पालिसी निर्धारित करनी पड़ेगी और नहीं करते तो यह कार्य चल नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल कीजिये।

काजी जलील अब्बासी—

तो मेरा सवाल यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार की कोई मजबूत नीति है या महज वह सुझाव देती है कि जो चाहे सो करे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो सरकार की नीति है जैसा कि वह सब जगह उसको भेजती है। देहात में भी भेजती है। सब जगह वह नीति चालू हो रही है। अगर कहीं की खाद्य समिति इस बात को कहती है कि इससे अवस्था खराब हो जाती है तो सरकार अवश्य उस पर विचार करेगी और उनके विचारों के आधार पर अपवाद करने के लिये तयार है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जितनी भी यह ब्लैक मार्केटिंग हुई है इसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। दुकानदारों ने खुल्लमखुल्ला उसको ब्लैक किया है। अब एक नया सिस्टम कानपुर में जारी किया है जिससे नये कार्ड बने हैं। जैसा मैंने सुना है ४, ५ लाख घोस्ट कार्ड पकड़े गये हैं लेकिन यह सुनने में आया है कि यह काम फिर कार्ड बनाने का उन्हीं इन्सपेक्टर के जिम्मे किया जा रहा है कि वे बनायें तो फिर वे घोस्ट कार्ड अन्दर आ जायेंगे। तो सरकार कोई सख्त कदम उठायेगी कि इसमें वे घोस्ट कार्ड फिर न आयें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो स्कीम यहां से गई है वही कानपुर में या और कहीं चालू है। उसके अनुसार कहीं काम जल्दी हुआ है और कहीं पर देर हो रही है। वह देहात और शहर दोनों के लिये स्कीम गयी है। डोर टू डोर चेकिंग के आर्डर यहां से गये हैं। वह सब जगह हो रहा है। उसमें ये घोस्ट कार्ड निकल रहे हैं। कार्ड बनाने के लिये यह काम किसी अधिकारी को तो दिया ही जायगा। अब यह खाद्य समिति और जिलाधीश के ऊपर है। उनको सोचना चाहिये कि किसके जरिये से बने जिससे कोई खराबी न आये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गये हैं इस बुनियाद पर कि उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग किया था और उनके यहां से दो किस्म के कार्ड पकड़े गये हैं तो उनको फिर लाइसेंस किस बुनियाद पर दिया गया ? ऐसे लोग जो नाकाबिल साबित हुये उनके लाइसेंस और परमिट को कैंसिल करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार यहां से लाइसेंस नहीं देती है। जिलाधीश देते हैं। अगर किसी से मतलब हो कि उसका कैंसिल हुआ और जिलाधीश ने या जिले के अधिकारियों ने उसको फिर दे दिया तो बतलायें सरकार उस पर रिव्यू करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ अगस्त, १९६४।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७७ पर]

दिनांक १५-५-६४ को जिलाघोश को श्री सरजूराम, निवासी ग्राम रामपुर, तहसील मड़ियाहू के घर पर रक्खी हुई सिमेन्ट की शिकायत प्राप्त हुई और उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को इसकी जांच व उचित कार्यवाही हेतु रामपुर जाने का आदेश दिया। पूर्ति अधिकारी ने १५-५-६४ को रामपुर जाकर श्री सरजूराम चौरसिया, निवासी रामपुर बाजार के घर से ४८ बोरी सीमेन्ट हस्तगत किया और उसे सीज (seize) करके पुलिस के अधिकार में दे दिया।

श्री सरजूराम चौरसिया ने जिला पूर्ति अधिकारी को बताया कि उक्त सिमेन्ट श्री रामकृष्ण उपाध्याय, ब्लाक प्रमुख, रामपुर ने रखवाया था जो कि बाद में उठा लिया जाता। श्री रामकृष्ण उपाध्याय, ब्लाक प्रमुख ने पूर्ति अधिकारी को बताया कि उक्त सीमेन्ट ११ विभिन्न किसानों की है जो सहूलियत की दृष्टि से यहां रक्खा गया था और जिसे वे बाद में उठा ले जाते। इन ११ किसानों (परमिट होल्डरों) से पूछा गया कि क्या उन्होंने वास्तव में सीमेन्ट के लिये प्रार्थना-पत्र रामपुर विकास क्षेत्र कार्यालय में दे कर परमिट प्राप्त किया था और क्या वास्तव में उन्होंने सर्वश्री राज-किशोर तिवारी, जलील अहमद, सीमेन्ट बिक्रेता, मड़ियाहू के यहां से श्री संकटा प्रसाद द्वारा सीमेन्ट खरीदा था तथा उन्होंने क्यों सीमेन्ट को १२ दिन तक श्री सरजूराम चौरसिया के घर पर छोड़ा। पांच व्यक्तियों के उत्तर प्राप्त हुये कि उन्होंने श्री संकठा प्रसाद द्वारा सीमेन्ट खरीदा और वे उसे अपने कामों के लिये ले जाने को इच्छुक हैं। उनकी सीज (seize) की हुई सीमेन्ट इस शर्त पर मुक्त कर दी गई कि वे उसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत (produce) कर सकेंगे। शेष लोगों के उत्तर प्राप्त होने पर उनकी भी सिमेन्ट मुक्त कर दी जायगी।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १३–१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर]

(मैट्रिक टनों में)

माह			सस्ते गल्ले की दूकानों को केंद्रीय सरकार से प्राप्त गल्ले की मात्रा	प्रवेश की आटा मिलों को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त गहूं की मात्रा	सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा बेचे गई गेहूं की मात्रा
जनवरी,	१९६४	..	३७,०७८	४०,२२४	३८,९३४
फरवरी,	१९६४	..	७२,८६८	३६,३८७	६६,१९८
मार्च,	१९६४	..	१,४२,०८९	४५,५००	७५,८९४
अप्रैल,	१९६४	..	६४,५०७	३७,२५१	४७,५२४
मई,	१९६४	..	२८,२१७	३१,४९२	५१,३६२
जून,	१९६४	..	४६,७५३	२३,५५०	७२,९२०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८७ पर)

श्री हीरा सिंह, फार्म इंचार्ज, रामनगर, बाराबंकी के इस जिले में स्थानान्तरित होकर आने के पश्चात् से अब तक का प्रति मास भुगतान किये गये टी०ए० एवं डी० ए० का विवरण ।

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	समय		धनराशि	विशेष विवरण
		कब से	कब तक		
१	२	३	४	५	६
१	श्री हीरा सिंह ..	२६-११-५७	२६-११-५७	८२.८३	(स्थानान्तरित भत्ता)
		३०-११-५७	१४-१२-५७	११.४४	
		२७-१-५८	९-३-५८	३९.२५	
		३-७-५८	२८-७-५८	२८.३७	
		७-८-५८	२६-८-५८	२४.२५	
		११-९-५८	१७-९-५८	४९.११	
		३-१०-५८	२४-१०-५८	२३.७८	
		४-११-५८	२९-११-५८	२४.६२	
		५-१२-५८	२७-१२-५८	१९.७५	
	टी० टी० ए० ..	२२-१२-५८	२२-१२-५८	१२.५३	(स्थानान्तरित भत्ता)
		३-१-५९	२४-१-५९	१३.५०	
		३-२-५९	२०-२-५९	२१.००	
		४-३-५९	३०-३-५९	४३.१९	
		२-४-५९	२४-४-५९	३८.४०	
		४-५-५९	२२-५-५९	२१.२९	
		८-६-५९	२५-६-५९	२९.३७	
		३-७-५९	३०-७-५९	२७.००	
		५-८-५९	२८-८-५९	३६.००	
		५-९-५९	२८-९-५९	३०.५६	
		५-१०-५९	२८-१०-५९	२७.००	
		४-११-५९	३०-११-५९	४४.१६	
		४-१२-५९	३०-१२-५९	५०.१५	
		१-१-६०	२८-१-६०	९०.१७	
		४-२-६०	२२-२-६०	२२.१२	
		४-३-६०	२८-३-६०	४५.६५	
		१-४-६०	३०-४-६०	२८.५०	
		३-५-६०	३०-५-६०	३७.७३	

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	समय		धनराशि	विशेष विवरण
		कब से	कब तक		
१	२	३	४	५	६
		२–६–६०	३०–६–६०	५५.६२	
		२–७–६०	३०–७–६०	४४.८१	
		१–८–६०	२९–८–६०	४९.०६	
		१–९–६०	२९–९–६०	५५.७५	
		३–१०–६०	२९–१०–६०	८४.९२	
		१–११–६०	२८–११–६०	३६.५६	
		१–१२–६०	३१–१२–६०	७७.३१	
		२–१–६१	३१–१–६१	९७.००	
		२–२–६१	२८–२–६१	८६.२५	
		१–३–६१	३१–३–६१	६६.२८	
		१–४–६१	२९–४–६१	७४.६५	
		१–५–६१	३०–५–६१	३३.७५	
		१–६–६१	३०–६–६१	६५.२५	
		१–७–६१	३१–७–६१	७५.४१	
		१–८–६१	३१–८–६१	५९.००	
		४–९–६१	३०–९–६१	७८.८४	
		३–१०–६१	३०–१०–६१	६९.३४	
		१–११–६१	३०–१०–६४	५०.९६	
		२–१२–६१	२६–१२–६१	७६.४४	
		२–१–६२	३०–१–६२	७०.६९	
		२–२–६२	१४–२–६२	२५.७५	
		१–३–६२	१५–३–६२	२७.१२	
		४–४–६२	३०–४–६२	३८.६६	
		१७–३–६२	३१–३–६२	२३.२५	
		४–५–६२	२७–२–६२	४८.८७	
		१–६–६२	२८–६–६२	३७.००	
		३–७–६२	३१–७–६२	४७.५०	
		१–८–६२	३०–८–६२	४५.२५	
		१–९–६२	२८–९–६२	६२.००	
		४–१०–६२	३१–१०–६२	४३.२५	
		१–११–६२	२६–११–६२	४६.१२	
		२९–११–६२	२४–१२–६२	६८.०९	
		४–१–६३	२४–१–६३	४७.६०	
		२–२–६३	२४–२–६३	३६.५५	
		१–३–६३	३०–३–६३	९२.६६	
		१–४–६३	२६–४–६३	७२.२६	
		२–५–६३	३१–५–६३	४७.६५	

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	समय		धनराशि	विशेष विवरण
		कब से	कब तक		
१	२	३	४	५	६
		३-६-६३	२८-६-६३	६०.९५	
		३-७-६३	३१-७-६३	५४.४९	
		१-८-६३	३१-८-६३	५४.२६	
		३-९-६३	२८-९-६३	४७.१६	
		४-१०-६३	२८-१०-६३	७६.५४	
		१-११-६३	२९-११-६३	५७.१८	
		२-१२-६३	२७-१२-६३	६२.७९	
		१-१-६४	२७-१-६४	६९.७४	
		३-२-६४	२६-२-६४	५६.६९	
		१-३-६४	२५-३-६४	५३.६८	
				३६७०.७३	

रुपये तीन हजार छः सो सत्तर और न० पै० तिहत्तर केवल ।

ह० जिला कृषि अधिकारी,
बाराबंकी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

फैजाबाद डिवीजन के वर्ष १९६२-६३ से घाटे पर चलने वाले फार्मों की सूची

जिले का नाम	फार्म का नाम
प्रतापगढ़	१—प्रतापगढ़
सुल्तानपुर	२—त्रिसुन्डी
फैजाबाद	३—रौनाही
	४—फतेहपुर कमासिन
	५—फरीदपुर
बाराबंकी	६—भेलसर
	७—मालिनपुर
	८—बाराबंकी
	९—रामनगर
	१०—कुन्डी
	११—धौरहरा
गोंडा	१२—कल्यानपुर
	१३—कटहा
	१४—कस्तुबा
	१५—लक्ष्मणपुर
	१६—पंचपेड़वा
	१७—डोमा कासवी
बहराइच	१८—नानपारा
	१९—बरखारी।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९२ पर ।)

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि उत्पादन के लक्ष्य एवं पूर्ति के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

क्रम-संख्या	मद	इकाई	लक्ष्य	पूर्ति
१	अन्नोत्पादन	लाख टन	१२१.४०	११८.६७
२	तिलहन	लाख टन	८.२८	७.५५
३	गन्ना (गुड़ के रूप में)	.. लाख टन	३३.०३	२९.४०
४	कपास ..	.. लाख गांठ	०.८५	०.२९
५	जूट ..	.. लाख गांठ	०.९९	०.८९

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य एवं पूर्ति के आंकड़े निम्नांकित हैं :

क्रम संख्या	मद	इकाई	लक्ष्य	पूर्ति
१	अन्नोत्पादन	लाख टन	१४२.६७	१४२.५७
२	तिलहन ..	.. लाख टन	११.८०	१२.८५
३	गन्ना (गुड़ के रूप में)	.. लाख टन	३५.७०	५३.६५
४	कपास ..	.. लाखा गांठ	१.१०	०.४०
५	जूट ..	.. लाख गांठ	१.१०	१.३९

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४९७ पर)

बाराबंकी जिले के कृषि कार्यालय के हेड क्लर्क श्री प्रेमचन्द्र मिश्र का स्थानान्तरण निम्नलिखित तिथियों को उनके सम्मुख लिखे हुए स्थानों को किया गया:

स्थानान्तरण करने का दिनांक	कहां से	कहां को
१४–५–४७ ..	कार्यालय उप कृषि निदेशक, शारदा सर्किल, लखनऊ में लिपिक।	कृषि कार्यालय, बाराबंकी में लिपिक।
१५–४–५६ ..	कृषि कार्यालय, बाराबंकी में लिपिक	जिला नियोजन अधिकारी, बाराबंकी के अधीन कृषि अनुभाग में लिपिक।
१५–५–५८ ..	जिला नियोजन अधिकारी, बाराबंकी के अधीन कृषि अनुभाग में लिपिक।	जिला नियोजन अधिकारी, बाराबंकी के अधीन कृषि अनुभाग में ज्येष्ठ लिपिक।

फार्म इन्चार्ज रामनगर श्री हीरा प्रसाद सिंह का स्थानान्तरण निम्नलिखित तिथियों को उनके सम्मुख लिखे गये स्थानों को किया गया—

८–३–४५ ..	कार्यालय उप निदेशक, उत्तरी पूर्वी सर्किल, गोरखपुर।	कार्यालय डिवीजनल आफिसर वेजीटेबिल, लखनऊ।
१–१०–४६ ..	कार्यालय डिवीजनल आफिसर वेजीटेबिल, लखनऊ।	कार्यालय फ्रूट यूटीलाइजेशन मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ।
१–११–४६ ..	कार्यालय फ्रूट यूटीलाइजेशन मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ।	इंचार्ज बीज भंडार, गाजीपुर जिला।
२३–११–५७ ..	इंचार्ज बीज भंडार, गाजीपुर जिला	डिमान्स्ट्रेशन इंचार्ज, बाराबंकी
२६–१२–५७ ..	डिमान्स्ट्रेशन इंचार्ज, बाराबंकी	फार्म अधीक्षक, मालिनपुर फार्म
१–६–६० ..	फार्म अधीक्षक, मालिनपुर फार्म	फार्म अधीक्षक, रामनगर।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ. ५०० पर)

उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्यायिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) विधेयक, १९६४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यायिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० को संशोधित करने के लिये उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५२ ई० का संशोधन ।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यायिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा ।

दीर्घ शीर्ष नाम उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५२ ई०

२—उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यायिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० (जिसके एतत् पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की दीर्घ शीर्षनाम के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"बाढ़ के कारण हुई या सम्भावित विपत्ति से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये कतिपय व्यवस्था करने के निमित्त अधिनियम ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५२ ई० की प्रस्तावना का संशोधन

३—मूल अधिनियम की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"यह इष्टकर है कि बाढ़ के कारण आई हुई या सम्भावित विपत्ति से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये कतिपय उपबन्ध बनाये जायं ।"

धारा ३-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय :—

पानी का बहाव मोड़ने या बाधा हटाने का अधिकार

"३-क—(१) यदि जिला मजिस्ट्रेट का यह मत हो कि किसी क्षेत्र में बाढ़ के कारण आई या सम्भावित विपत्ति से जीवन पर आसन्न संकट अथवा सम्पत्ति की गम्भीर क्षति को रोकने के लिये लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है कि—

(१) बाढ़ के पानी के बहाव को मोड़ा जाय, या

(२) किसी दीवाल, बांध अथवा अन्य किसी वस्तु को, जिससे किसी भी दिशा में ऐसे पानी के बहने में बाधा उत्पन्न होती हो, पूर्णतः अथवा अंशतः हटाया जाय ;

तो वह ऐसे पानी के बहाव को मोड़ने के लिये अथवा यथास्थिति ऐसी दीवाल, बांध या वस्तु को हटाने के लिये ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(२) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (१) के अधीन दी गयी कोई आज्ञा ऐसे अभिकरण (Agency) द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित की जायगी जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय। "

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यायिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० की धारा ३, जिला मैजिस्ट्रेट को, बाढ़ के कारण आयी हुई या सम्भावित विपत्ति से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये, खाली कराने और अधिग्रहण करने के कतिपय अधिकार देती है । इन अधिकारों के अन्तर्गत बाढ़ के पानी के बहाव को मोड़ने अथवा किसी वस्तु को, जिससे ऐसे पानी के बहाव में बाधा पड़ रही हो, हटाने का अधिकार नहीं है । यह आवश्यक समझा गया कि लोकहित में जिला मैजिस्ट्रेट के पास ऐसे अधिकार होने चाहिये । तदनुसार प्रस्तावित विधेयक है ।

हुकुमसिंह बिसेन,
राजस्व मंत्री ।

विधान मंडल

विवरण-पत्र जिसमें इस विधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश बाढ़ संबंधी आत्यायिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० को संशोधित करने का प्रस्ताव वर्णित किया गया है ।

१—दीर्घ शीर्ष नाम — नावों को अधिगृहीत करने और ऐसे क्षेत्रों को जिनमें बाढ़ का भय हो या जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो खाली कराने के लिये व्यवस्था के निमित्त विधेयक ।

२—प्रस्तावना — नावों को अधिगृहीत करने और ऐसे क्षेत्रों को जिनमें बाढ़ आने का भय हो या जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो खाली कराने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है ।

३—नयी धारा ३-क का बढ़ाया जाना ।

विधान सभा सचिवालय

बी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११३ एल० ए०—१९६४—८६० ।